





भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

एनएमडीसी लिमिटेड का परिचालनात्मक निष्पादन



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



संघ सरकार (वाणिज्यिक)
इस्पात मंत्रालय
2019 की सं. 5
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

एनएमडीसी लिमिटेड का परिचालनात्मक निष्पादन

संघ सरकार (वाणिज्यिक)
इस्पात मंत्रालय
2019 की सं. 5
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

को लोक सभा तथा राज्य सभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया

सूची

विवरण		पृष्ठ
प्राक्कथन		i
कार्यकारी सार		iii - x
अध्याय I	प्रस्तावना	1-5
अध्याय II	लौह-अयस्क का उत्पादन, निकासी और बिक्री	6-58
	2.1 - लौह-अयस्क का उत्पादन	6
	2.2 - पूंजीगत प्रतिस्थापन/ मरम्मत	15
	2.3 - क्षमता संवर्धन	23
	2.4 - सांविधिक मंजूरियों की प्राप्ति	28
	2.5 - निकासी सुविधाओं में वृद्धि	43
	2.6 - इपीसीएम परामर्शदाता की नियुक्ति	49
	2.7 - बिक्री तथा लौह अयस्क मूल्य का निर्धारण	52
	2.8 - एनएमडीसी लिमिटेड का इसके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उत्पादन एवं परिचालनात्मक कुशलता	55
अध्याय III	विविधिकरण कार्यकलाप	59-88
	3.1 - छत्तीसगढ़ में नगरनार में एकीकृत इस्पात संयंत्र (एनआईएसपी) की स्थापना	59
	3.2 - पन्ना, मध्य प्रदेश में हीरा खनन	74
	3.3 - एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड	79
	3.4 - पलोनचा, तेलंगाना में स्पंज आयरन यूनिट	82
	3.5 - कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड (केवीएसएल), बेल्लारी	83
	3.6 - डोनीमलाई में पैलेट संयंत्र	84
अध्याय IV	संयुक्त उद्यमों में नीतिगत निवेश	89-102
	4.1 - जे एण्ड के मिनरल डिवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जम्मू में निवेश	89

	4.2 - नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल), ओडिशा में निवेश	92
	4.3 - कृष्णापट्टनम रेलवे कम्पनी लिमिटेड में निवेश	93
	4.4 - इंटरनेशनल कोल वेन्चर्स लिमिटेड में निवेश	94
	4.5 - लिगेसी आयरन ओर लिमिटेड, आस्ट्रेलिया में निवेश	98
अध्याय V	आंतरिक नियंत्रण व निगरानी	103-106
अध्याय VI	निष्कर्ष और सिफारिशें	107-109
अनुलग्नक I से VIII		111-145
संकेताक्षर की सूची		146-149

प्राक्कथन

एनएमडीसी लिमिटेड के परिचालनात्मक निष्पादन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के प्रावधानों के अंतर्गत यह निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया गया है। लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2007 तथा निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश, 2014 के अनुसार किया गया है।

लेखापरीक्षा में 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि को शामिल किया गया है। यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 2012-13 की प्रतिवेदन संख्या 20 (वाणिज्यिक) के अग्रानयन में है, जिसमें 2005-06 से 2011-12 की अवधि के दौरान एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा लौह-अयस्क के उत्पादन और बिक्री को शामिल किया गया था। यह प्रतिवेदन 2012-13 से 2016-17 के दौरान एनएमडीसी द्वारा लौह-अयस्क के उत्पादन, निकासी और बिक्री, व्यावसायिक विविधिकरण कार्यकलाप और संयुक्त उद्यमों में निवेश की जांच करता है।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान एनएमडीसी लिमिटेड, इस्पात मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और छत्तीसगढ़ तथा कर्नाटक राज्य के वन और राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों, द्वारा प्रदत्त सहयोग और सहायता के लिए लेखापरीक्षा आभार प्रकट करती है।

कार्यकारी सार

भूमिका

नवंबर 1958 में देश के खनिज संसाधनों की खोज के मुख्य उद्देश्य के साथ एनएमडीसी लिमिटेड निगमित की गई थी। 31 मार्च 2017 को कंपनी की लौह-अयस्क उत्पादन क्षमता 44 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) थी। कंपनी छत्तीसगढ़ राज्य में दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला सेक्टर में किरन्दुल (3 खदान) तथा बचेली (2 खदान) और कर्नाटक राज्य के बेलारी जिले में डोनीमलाई (2 खदान) में स्थित ओपन कास्ट खदानों के माध्यम से लौह-अयस्क का उत्पादन करती है। लौह-अयस्क के उत्पादन के अतिरिक्त, कंपनी ने कई व्यावसायिक विविधिकरण पहल की हैं जैसे कि नगरनार, छत्तीसगढ़ में इस्पात संयंत्र का संस्थापन; पन्ना, मध्य प्रदेश में हीरा उत्खनन; नगरनार में कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना; पलोंचा, तेलंगाना में स्पॉन्ज आयरन यूनिट का अधिग्रहण; डोनीमलाई, कर्नाटक में पैलेट संयंत्र का संस्थापन आदि। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने इस्पात संयंत्रों के संस्थापन और कोयला तथा लौह-अयस्क खदानों के विकास हेतु केंद्र/राज्य सरकार उपक्रमों तथा भारत और विदेशों में निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों में निवेश किया है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा कंपनी द्वारा लौह-अयस्क के उत्पादन और बिक्री की समीक्षा की गयी थी और लेखापरीक्षा निष्कर्षों को 2012-13 के प्रतिवेदन सं. 20 (वाणिज्यिक) में शामिल किया गया था। यह प्रतिवेदन 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा लौह-अयस्क के उत्पादन, निकासी तथा बिक्री, व्यावसायिक विविधिकरण कार्यकलापों और संयुक्त उद्यमों में निवेश की जांच करता है।

लौह-अयस्क का उत्पादन, निकासी और बिक्री

अपनी नीतिगत प्रबंधन योजना (एसएमपी)-विज्ञ 2025 में, कंपनी ने लौह-अयस्क उत्पादन के अति-महत्वाकांक्षी लक्ष्य जैसे कि 2018-19 तक 75 एमटीपीए तथा 2021-22 तक 100 एमटीपीए निर्धारित किए (अक्तूबर 2015)। लक्ष्य इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सलाहकार के प्रतिकूल निष्कर्षों पर आवश्यक संज्ञान लिए बिना और लौह-अयस्क की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की घट्टी प्रवृत्ति पर विचार किए बिना निर्धारित किए गए। तदनुसार, एसएमपी में संशोधन किया गया (सितंबर 2016) जिसमें 2018-19 और 2021-22 तक लक्षित उत्पादन

क्षमता क्रमशः 50 एमटीपीए तथा 67 एमटीपीए तक घटाई गई। तथापि, लक्षित उत्पादन क्षमता को प्राप्त करने हेतु विभिन्न परियोजनाओं तथा अवसंरचना सुविधाओं के संस्थापन के लिए कार्यवाही परिकल्पित समय सीमा के साथ समक्रमिक नहीं की गई।

(पैरा 2.1.3 तथा 2.1.4)

बेलाडीला सेक्टर में डिपॉजिट-11बी खदान के विकास के लिए सभी पैकेजों का क्रियान्वयन उनकी अनुसूचित तारीखों के बाद तक विलंबित हुआ। इसके परिणामस्वरूप परियोजना जून 2008 के अनुसूचित पूर्णता समय के प्रति कार्यान्वयन के अंतर्गत रही (मार्च 2018)। 11बी खदान की 7 एमटीपीए की संस्थापित क्षमता के प्रति स्क्रीनिंग सुविधाओं की अनुपलब्धता और अन्य पैकेज कार्यों के अपूर्णता के कारण, अगस्त 2015 में क्रशिंग संयंत्र और डाउनहिल कन्वेयर सिस्टम के आरंभन के पश्चात वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान कंपनी क्रमशः 0.61 एमटीपीए और 0.58 एमटीपीए लौह अयस्क का उत्पादन कर सकी।

(पैरा 2.3.1)

कुमारास्वामी लौह-अयस्क परियोजना (केआईओपी) का क्रियान्वयन कार्यान्वयनाधीन रहा (मार्च 2018) यद्यपि मार्च 2012 तक इसका पूर्ण होना अनुसूचित था। इस प्रकार, कंपनी द्वारा संशोधित एसएमपी- विज्ञन 2025 के अनुसार 2018-19 तक 7 एमटीपीए का परिकल्पित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करना दूरस्थ नजर आता है। इसके अतिरिक्त, केआईओपी के लिए स्क्रीनिंग संयंत्र तथा रेलवे यार्ड के साथ लॉडिंग संयंत्र की अनुपलब्धता के कारण, कंपनी को केआईओपी की आवश्यक सुविधाओं की पूर्णता तक खनन कार्य की आउटसोर्सिंग शुरू करनी पड़ी, जो पर्यावरण अनुकूल कदम नहीं था।

(पैरा 2.3.2 तथा 2.3.3)

केआईओपी के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) की विशेषज्ञ समीक्षा समिति द्वारा स्तर-I वन मंजूरी मिलने की शर्त पर, स्क्रीनिंग संयंत्र-II के लिए पर्यावरण मंजूरी की सिफारिश की गई (जून 2017), जो कि कंपनी द्वारा आवेदन (मार्च 2014) के तीन वर्षों से अधिक समय के बाद थी। यह विलंब कंपनी पर आंशिक रूप से रोप्य था क्योंकि कंपनी भूमि आवश्यकता में वृद्धि के कारण संशोधित संदर्भ शर्तों का आवेदन करने हेतु तत्काल कार्रवाई करने में विफल रही और एमओईएफएंडसीसी को आवश्यक जानकारी विलंब से

प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त, दिसम्बर 2014 में वन मंजूरी के लिए आवेदन किया गया जो अभी तक डिफरेंशियल ग्लोबल पॉजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) सर्वेक्षण संचालन करने में अकारण विलंब और उप-वन संरक्षक, बेलारी द्वारा महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत न किए जाने के कारण प्रतीक्षित था (मार्च 2018)।

(पैरा 2.4.1)

किरन्दुल कॉम्प्लेक्स के लिए स्क्रीनिंग संयंत्र-III के संबंध में, नवंबर 2013 में कंपनी द्वारा पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्राप्त की गई। तथापि, 74.236 हेक्टेयर के आवेदित भू-क्षेत्र के प्रति ईसी में वर्णित 65.936 हेक्टेयर के भू-क्षेत्र की त्रुटि कंपनी द्वारा तब तक नहीं देखी गई जब तक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) द्वारा इसे स्थापना के लिए मंजूरी (सीएफई) जारी करने से पूर्व इस त्रुटि को इंगित नहीं किया गया। कंपनी द्वारा एमओईएफएंडसीसी को संशोधित ईसी जारी करने का अनुरोध किया गया (दिसंबर 2016) जो मार्च 2017 में प्राप्त हुआ। इसके परिणामस्वरूप, जुलाई 2017 में सीईसीबी द्वारा सीएफई प्रदान किया गया। इस प्रकार, कंपनी की ओर से 38 महीनों (नवंबर 2013 से दिसंबर 2016 तक) का परिहार्य विलंब हुआ।

(पैरा 2.4.2)

लौह-अयस्क के लिए निकासी सुविधा को बढ़ाने के लिए, रेलवे के साथ किरन्दुल से जगदलपुर खंड की किरन्दुल-कोठावलासा रेल लाइन की डब्लिंग के लिए कंपनी ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया (दिसंबर 2012)। रेलवे द्वारा यह परियोजना अगस्त 2018 तक पूर्ण हो जानी थी। इस तथ्य के बावजूद कि परियोजना क्रियान्वयन समयसीमा का 88 प्रतिशत समय बीत चुका था (दिसंबर 2017), कार्य की समग्र भौतिक प्रगति केवल 41.50 प्रतिशत ही थी। समझौता ज्ञापन में रेलवे द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन की आवश्यकता के अतिरिक्त परियोजना निगरानी के लिए कोई अन्य व्यवस्था नहीं की गई थी।

(पैरा 2.5.1)

विविधिकरण कार्यकलाप

कंपनी नगरनार, छत्तीसगढ़ में एकीकृत इस्पात संयंत्र के संस्थापन के साथ आगे बढ़ी (जनवरी 2010) और कंपनी ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने की अपेक्षा तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता प्रतिवेदन (टीईएफआर) में दिए गए संभावित विवरणों के आधार पर विभिन्न पैकेज प्रदान कर दिए। इसके परिणामस्वरूप, आकलन अधोगामी रूप से संशोधित हुए तथा

निविदाएँ जारी करने के पश्चात तकनीकी आवश्यकताओं में सुधार किए गए। इससे निविदाकरण और पैकेज प्रदान करने में विलंब हुआ। इसके अतिरिक्त, परियोजना की लागत 43 प्रतिशत बढ़कर ₹15,525 करोड़ से ₹22,196 करोड़ तक पहुँच गई। ₹6,671 करोड़ की लागत वृद्धि में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के कारण हुई ₹3,842 करोड़ की वृद्धि शामिल थी, जिसे कंपनी द्वारा डीपीआर तैयार करने पर टाला जा सकता था। परियोजना कार्यान्वयनाधीन थी (मार्च 2018), यद्यपि इसकी समाप्ति मार्च 2014 तक अनुसूचित थी।

(पैरा 3.1)

पन्ना, मध्य प्रदेश में हीरा खनन के संबंध में, 2012-13 से 2016-17 के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके उत्पादन मात्रा का 39 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक के बिना बिके हीरों के भंडार की काफी मात्रा शेष रह गई थी। इन वर्षों के दौरान हीरों की औसत उत्पादन लागत निवल उदग्रहणीय मूल्य (एनआरवी) से अधिक थी। इस कारण 2016-17 के अंत में हीरा खनन परियोजना (डीएमपी) का निवल घाटा ₹27.16 करोड़ था।

(पैरा 3.2)

कंपनी ने बेलाडिला लौह-अयस्क रेंज में स्थित डिपॉजिट-13 के विकास के लिए छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (सीएमडीसी) के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी नामतः एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड बनाई (जून 2008)। परियोजना के लिए वन मंजूरी आवेदन करने (जनवरी 2003) के 14 वर्ष बाद प्राप्त हुई (जनवरी 2017)। यह विलंब कंपनी पर आंशिक रूप से रोप्य था क्योंकि कंपनी ने भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा स्वीकृत खदान योजना को संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत करने में चार वर्षों का समय लिया और स्तर-I वन मंजूरी की कुछ शर्तों का अनुपालन भी नहीं किया। इसके अतिरिक्त, संस्थापन के लिए अनुमति और परिचालन की अनुमति छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड से प्राप्त की जानी शेष थी (मार्च 2018)। इस प्रकार, एसएमपी 2025 में यथा परिकल्पित 2018-19 तक डिपॉजिट-13 से 2 एमटीपीए लौह-अयस्क के लक्षित उत्पादन को प्राप्त करने की संभावना निराशाजनक प्रतीत होती है।

(पैरा 3.3)

कंपनी ने जुलाई 2010 में घाटे में चल रही स्पॉन्ज आयरन इंडिया लिमिटेड का अधिग्रहण किया। स्पॉन्ज आयरन का उत्पादन उच्च उत्पादन लागत के कारण अलाभकारी हो गया और 31 मार्च 2017 तक स्पॉन्ज आयरन यूनिट (एसआईयू) को ₹194.77 करोड़ का घाटा हुआ। कंपनी ने अपनी प्रतिवर्तन योजना में उत्पादन लागत में कमी के लिए और ताप तथा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने, जो अभी स्थापित किए जाने थे, के लिए उपलब्ध भूमि (428.98 एकड़) के उपयोग के लिए एक अध्ययन करने का प्रस्ताव दिया। कंपनी ने परिकल्पित प्रतिवर्तन योजना को क्रियान्वित नहीं किया और जुलाई 2017 तक यूनिट के निष्क्रिय स्टाफ (कार्यकारी और अकार्यकारी दोनों) की संख्या 167 थी।

(पैरा 3.4)

कंपनी ने बेनेफिशिएशन तथा पैलेटाईजेशन प्रक्रिया के माध्यम से स्लाइम्स (1.59 एमटीपीए) तथा फाईन्स (0.30 एमटीपीए) के उपयोग द्वारा पैलेट्स के उत्पादन के लिए ₹572 करोड़ की लागत से डोनीमलाई में 1.2 एमटीपीए पैलेट संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। तथापि, प्रमुख पैकेज निर्माण कार्यों के असंकालन के कारण, परियोजना का आरंभन असामान्य रूप से विलंबित हुआ। पैलेट संयंत्र मुफ्त में उपलब्ध स्लाइम्स के भरोसे स्थापित करना प्रस्तावित था तथापि, केन्द्रीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा नियुक्त निगरानी समिति के पर्यवेक्षण के अंतर्गत कर्नाटक में लौह-अयस्क की बिक्री के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कंपनी को स्लाइम्स/फाईन्स ई-निलामी के माध्यम से अन्यों के साथ समतुल्य बाजार दर पर खरीदने पड़े। इसके कारण, पैलेट्स की उत्पादन लागत में वृद्धि निश्चित थी, जिसके परिणामतः, परियोजना की लाभकारिता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

(पैरा 3.6)

संयुक्त उद्यमों में नीतिगत निवेश

कंपनी ने जम्मू व कश्मीर में पंथल गांव में 30,000 टीपीए (टन प्रति वर्ष) की क्षमता वाला डेड बन्ट मैग्नेसाइट (डीबीएम) विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए जे एंड के मिनरल्स लिमिटेड के साथ जे एंड के मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) को स्थापित किया (मई 1989)। खनन पट्टा जेवीसी के नाम अंतरित कर दिया गया (अप्रैल 2011) तथा मई 2011 में जेवीसी को पर्यावरण मंजूरी मिल गई थी। तथापि, अक्तूबर

2016 में, एमओईएफएंडसीसी ने यह कहते हुऐ पर्यावरण मंजूरी वापिस ले ली कि ओपन कास्ट खनन के श्री माता वैष्णों देवी के पवित्र स्थल के समीप होने के कारण प्राचीन, दुर्बल और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र को अपूर्णनीय क्षति हो सकती है। इस प्रकार, परियोजना पर कंपनी द्वारा व्यय की गई ₹42.37 करोड़ की राशि निष्फल सिद्ध हुई और 2016-17 की लेखा बहियों में इसे बट्टे खाते में डाला गया।

(पैरा 4.1)

कंपनी ने अपने नाम विवादास्पद मनकादनाच लौह-अयस्क डिपॉजिट के आबंटन की प्रत्याशा में नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की इक्विटी में ₹100.60 करोड़ का निवेश किया। तथापि, खनन पट्टे पर विवाद का अभी तक समाधान नहीं हुआ था (मार्च 2018)। इस प्रकार, अब तक कंपनी द्वारा किए गए निवेश से कंपनी को कोई प्रतिफल नहीं मिला।

(पैरा 4.2)

विदेशों से मेटलर्जिकल कोकिंग कोल तथा थर्मल कोल आपूर्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से मई 2009 में एक एसपीवी नामतः इंटरनेशनल कोल वैचर्स लिमिटेड (आईसीवीएल) का निर्माण किया गया जिसमें एनएमडीसी लिमिटेड भी एक भागीदार था। जुलाई 2014 में, आईसीवीएल ने मोजाम्बीक में स्थित कोयला खदान और कोयला परिसंपत्तियों में रियो टिंटो पीएलसी यूके का स्वामित्व भाग अधिग्रहित करने का निर्णय लिया। यह देखा गया कि घाटा अर्जित कर रही मोजाम्बीक खदान परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए आईसीवीएल की गलत/अनुचित और अव्यावहारिक व्यापार योजना के आधार पर कंपनी द्वारा ₹376.36 करोड़ (जिस पर अब तक कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ था) किया गया निवेश विवेकपूर्ण नहीं था।

(पैरा 4.4)

कंपनी ने उत्खनन स्थल, जो कि लिगेसी आयरन और लिमिटेड (एलआईओएल) द्वारा अधिग्रहित किये जाने थे, पर प्रबंधन नियंत्रण सुरक्षित करने हेतु एलआईओएल, ऑस्ट्रेलिया में 50 प्रतिशत शेयर अधिग्रहित करने का निर्णय लिया (मई 2011)। इस तथ्य के बावजूद कि मूल्यांकन अद्ययन संचालित करने के लिए नियुक्त सलाहकार के मतानुसार यह एक नकारात्मक एनपीवी परियोजना थी और लघु से मध्यम अवधि के दौरान साधारण परिसंपत्ति थी, कंपनी ने एलआईओएल में ₹168.53 करोड़ (31.01 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर) का कुल

निवेश किया। एलआईओएल का शेयर मूल्य, आरंभ में अधिग्रहित 6.55 ऑस्ट्रेलियन सेंट प्रति शेयर से गिर कर 0.30 ऑस्ट्रेलियन सेंट प्रति शेयर रह गया (3 नवंबर 2017)। इसके कारण, कंपनी द्वारा किए निवेश का मूल्य ₹168.53 करोड़ से घट कर ₹17.13 करोड़ रह गया। इसके अतिरिक्त, कंपनी अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए व्यय के अतिरिक्त स्थल की देखभाल के लिए वर्ष 2030 तक ₹89.67 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने हेतु बाध्य थी।

(पैरा 4.5)

आंतरिक नियंत्रण व निगरानी

कंपनी का आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर था जो कि इन तथ्यों से सिद्ध होता है कि (क) चालू परियोजनाओं की समीक्षा हेतु उप-समिति ने प्राप्त करने हेतु स्पष्ट माइलस्टोन के साथ ऐसी कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की जिसकी समीक्षा उसकी अनुवर्ती बैठकों में की जा सके, (ख) प्रमुख निवेशों जैसे कि ओडिशा में विवादित लौह-अयस्क खदान (नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड) का अधिग्रहण, इंटरनेशनल कोल वैंचर्स लिमिटेड आदि में निवेश पर निर्णय स्वयं किए जाने योग्य परिश्रम के बिना लिए गए, (ग) बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित नीतिगत प्रबंधन योजना - विज्ञन 2025 के क्रियान्वयन की आवधिक मध्यावधि समीक्षा नहीं की गई जिसके कारण निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में आ रही कमियों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकी।

(पैरा 5.1)

सिफारिशें:

- 1) कंपनी को अपनी आवधिक योजनाओं में लक्ष्य निश्चित करते समय बाजार प्रचलनों पर विचार करना चाहिए ताकि निर्धारित लक्ष्य व्यवहारिक और प्राप्ति योग्य हों।
- 2) कंपनी निर्धारित समय सीमाओं के भीतर सांविधिक मंजूरियां प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों को समयानुसार प्रस्तुत करना और संबंधित सांविधिक प्राधिकारियों से निरंतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
- 3) कंपनी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश उद्यमों में शामिल होने से पूर्व जोखिम तथ्यों पर समुचित उद्यम करने और समुचित संज्ञान देने की आवश्यकता है।

- 4) कंपनी को परियोजनाओं/निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन में विलंब और समय तथा लागत की वृद्धि से बचने के लिए अपनी परियोजना क्रियान्वयन तंत्र/नीति को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
- 5) कंपनी का बोर्ड परियोजनाओं को समयानुसार समाप्त करने के लिए निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करे।

लेखापरीक्षा सिफारिशों पर मंत्रालय का उत्तर:

इस्पात मंत्रालय उपरोक्त सिफारिश सं. (2), (3) तथा (4) से सहमत था। सिफारिश सं. (1) के संबंध में मंत्रालय ने कहा कि अस्थिर बाजार दशाओं के मद्देनजर लौह-अयस्क उद्योग में सही बाजार प्रचलनों का पूर्वानुमान लगाना बहुत कठिन है। सिफारिश सं. (5) के संबंध में मंत्रालय ने कहा कि चालू परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा निदेशक मंडल की उप-समिति करती है और परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु सलाह और उपचारात्मक कार्रवाई सुझाती है।

लेखापरीक्षा सिफारिश सं. (1) तथा (5) पर मंत्रालय के उपरोक्त उत्तरों पर विधिवत विचार किया गया है और उनपर लेखापरीक्षा के मतों के साथ इस प्रतिवेदन के संबंधित पैरा (पैरा 2.1.4 तथा 5.1) में शामिल कर लिया गया है।

अध्याय I

प्रस्तावना

1.1 कंपनी का प्रोफाइल

एनएमडीसी लिमिटेड देश में खनिज संसाधन की खोज करने के मुख्य उद्देश्य के साथ नवम्बर 1958 में निगमित की गई थी और दो मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) लौह-अयस्क की उत्पादन क्षमता के साथ अपना परिचालन आरंभ किया, जो 31 मार्च 2017 तक 44 एमटीपीए की क्षमता तक बढ़ चुका है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय और कॉरपोरेट कार्यालय हैदराबाद में स्थित है। कंपनी को 2008 में नवरत्न का दर्जा दिया गया और 1989-90 से सदैव लाभ में रही है। वर्ष 2016-17 के दौरान ₹9,738.45 करोड़ की आय पर इसने ₹4,293.68 करोड़ का लाभ (कर पूर्व) अर्जित किया। कंपनी का मुख्य कार्यकलाप लौह-अयस्क का उत्पादन और बिक्री है जो कि 2016-17 के टर्नओवर का 98.63 प्रतिशत (₹8,708.90 करोड़) रहा तथा शेष 1.37 प्रतिशत (₹120.74 करोड़) हीरा, उर्जा, पैलेट्स और सेवाओं की बिक्री के माध्यम से अर्जित किया गया।

एनएमडीसी मुख्यतः घरेलू मांग को पूरा करती है और छत्तीसगढ़ राज्य में दंतेवाड़ा जिले के बैलाडिला सेक्टर में किरनदुल (3 खदान) तथा बचेली (2 खदान) में तथा कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में डोनीमलाई (2 खदान) के माध्यम से उच्च गुणवत्ता के लौह-अयस्क का उत्पादन करता है। किरनदुल, बचेली तथा डोनीमलाई में स्थित खदानों की अधिकतम अनुमत क्षमता क्रमशः 19 एमटीपीए, 13 एमटीपीए, तथा 12 एमटीपीए हैं।

केलेंडर वर्ष 2016 के दौरान विश्व का लौह-अयस्क उत्पादन 2,230 मिलियन टन (एमटी) रहा जिसमें से भारत का उत्पादन 160 एमटी था, जो कि इसका 7 प्रतिशत है और एनएमडीसी का हिस्सा 34 एमटी रहा जो भारत के कुल उत्पादन का 21 प्रतिशत है। देश में कुल प्रमाणित 33,276 एमटी (22,487 एमटी हैमेटाईट तथा 10,789 एमटी मेग्नेटाइट) के लौह-अयस्क भंडार में से 31 मार्च 2017 तक कंपनी के पास 2407.76 एमटी का प्रमाणित लौह-अयस्क भंडार था।

लौह-अयस्क उत्पादन के अतिरिक्त, कंपनी ने कई व्यावसायिक विविधिकरण पहल जैसे कि नगरनार, छत्तीसगढ़ में इस्पात संयंत्र की स्थापना; पन्ना, मध्य प्रदेश में हीरा खनन; नगरनार में कैप्टिव उर्जा संयंत्र स्थापित करना; पलोंचा, तेलगांना में स्पॉन्ज आयरन यूनिट का अधिग्रहण; डोनीमलाई, कर्नाटक में पैलेट संयंत्र की स्थापना आदि की है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने इस्पात संयंत्र के संस्थापन एवं कोयला और लौह-अयस्क खदानों के विकास के लिए केंद्र/राज्य सरकार उपक्रमों तथा भारत और विदेश में निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों में महत्वपूर्ण निवेश किया है। देश में कंपनी की परियोजनाओं का भौगोलिक फैलाव अनुलग्नक-। में दर्शाया गया है:

1.2 संगठनात्मक सेट-अप

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) कंपनी के अध्यक्ष है, जिनकी सहायता पांच क्रियात्मक निदेशक उत्पादन, तकनीकी, वाणिज्यिक, वित्त और कार्मिक डिवीजन द्वारा की जाती है। कंपनी के बोर्ड में दो भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक और छह स्वायत्त निदेशक थे (मार्च 2017)। खदानों के अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक/महाप्रबंधक है जो निदेशक (उत्पादन)/निदेशक (वाणिज्यिक) को दिन प्रतिदिन परिचालन की रिपोर्ट देते हैं।

1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि:

- (i) कंपनी ने उत्पादन, उत्पादन क्षमता की वृद्धि, निकासी सुविधाओं में सुधार और लौह-अयस्क तथा अन्य उत्पादों की बिक्री के लिए अपने लक्ष्य प्राप्त किये;
- (ii) कंपनी ने विविधिकरण पहल जैसे एकीकृत इस्पात संयंत्र, उर्जा संयंत्र, पैलेट संयंत्र, हीरा खनन और स्पॉन्ज आयरन उत्पादन के लिए अपने लक्ष्य प्राप्त किये;
- (iii) कंपनी ने लौह-अयस्क खदानों के साथ-साथ अन्य खनिज जैसे कोयला आदि के अधिग्रहण के लिए राज्य सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यमों में अपने निवेश से आशातीत लाभ अर्जित किए; और
- (iv) कंपनी के पास उसके परिचालनों के आकार के लिए समुचित आंतरिक नियंत्रण तंत्र था और क्या ये नियंत्रण प्रभावी रूप से परिचालित किए गए।

1.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा में (i) लौह-अयस्क और अन्य उत्पादों के उत्पादन और बिक्री के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियोजन, (ii) उत्पादन क्षमता, निकासी क्षमता के विस्तारण और देश और विदेश में खनिज भंडारों के अधिग्रहण के लिए आरंभ की गई परियोजनाओं के प्रति हुई प्रगति, (iii) कंपनी की विविधिकरण के अंतर्गत परिकल्पित एकीकृत इस्पात संयंत्र, पैलेट संयंत्र और उर्जा संयंत्र संस्थापन और नीतिगत निवेश योजना में की गई प्रगति, तथा (iv) आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता, को शामिल किया गया।

2005-06 से 2011-12 तक की अवधि को शामिल करके 'एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा लौह-अयस्क का उत्पादन और बिक्री' पर निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई तथा 20 दिसंबर 2012 को संसद में सीएजी का प्रतिवेदन (2012-13 की सं. 20) प्रस्तुत किया गया। वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा में 2012-13 से 2016-17 तक कंपनी के कार्यकलाप शामिल किए गए हैं। पिछले वर्षों में जो मामले ध्यान में आये, लेकिन पिछली रिपोर्ट में जिन्हें शामिल न किया जा सका तथा वर्ष 2016-17 के अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी जहां आवश्यक समझे गए शामिल किये गये हैं।

1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

कंपनी का प्रदर्शन निम्नलिखित मानदंडों के प्रति आंकलित किया गया:

1. यथा अनुमोदित विस्तारण/विविधिकरण परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत और समय सीमा;
2. इस्पात मंत्रालय (एमओएस) के साथ प्रतिवर्ष हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) में और कंपनी की कॉर्पोरेट योजना में निर्धारित लक्ष्य;
3. कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों में लिए गए निर्णय;
4. निविदाकरण और खरीदी के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देश;
5. कंपनी द्वारा निर्धारित मैनुअल/नीतियों के प्रावधान;
6. समय समय पर यथा संशोधित खदान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957, तथा खनिज रियायत नियमावली, 1960 के प्रावधान;

7. भारतीय खान ब्यूरो तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की रिपोर्ट में एनएमडीसी के खनन कार्यकलापों पर की गई आपत्तियां; तथा
8. पर्यावरण/वन मंजूरी के लिए पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा जारी दिशानिर्देश।

1.6 लेखापरीक्षा कार्यविधि

कंपनी के साथ लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र, कार्यविधि, तथा मानदंडों पर विचार-विमर्श करने हेतु 13 जून 2017 को एक एंट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। लेखापरीक्षा दलों ने जून 2017 से जनवरी 2018 के दौरान फील्ड लेखापरीक्षा संचालित की और उत्पादन इकाइयों (अर्थात् खदानों) तथा कंपनी के कॉरपोरेट कार्यालय, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ तथा कर्नाटक राज्य के वन और राजस्व विभागों के रिकॉर्ड की जांच की।

लेखापरीक्षा के दौरान, हमने लौह अयस्क और अन्य उत्पादों के उत्पादन, एचइएमएम व पूँजीगत उपस्कर से संबंधित खरीद फाईलें, लौह अयस्क बिक्री के दीर्घावधि अनुबंध, एनआईएसपी स्टील संयंत्र व पैलेट संयंत्र के आयोजन व निष्पादन के लिए प्रदान किये गए ठेकों, व जेवी समझौतों से संबंधित रिकॉर्ड की समीक्षा की।

22 फरवरी 2018 को तथ्यों और आंकड़ों तथा उनके उत्तर की पुष्टिकरण के लिए कंपनी को मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की गई। 8 मार्च 2018 को कंपनी के साथ एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कंपनी का उत्तर (3 अप्रैल 2018 को प्राप्त) तथा एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान अभिव्यक्त विचार मसौदा रिपोर्ट में समुचित रूप से शामिल कर लिए गए और उसको 23 अप्रैल 2018 को इस्पात मंत्रालय को जारी कर दिया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विचार विमर्श करने हेतु 8 जून 2018 को मंत्रालय के साथ एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मंत्रालय का उत्तर (23 जुलाई 2018) तथा एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान अभिव्यक्त विचार इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय समुचित रूप से शामिल किए गए।

1.7 रिपोर्ट का स्वरूप

इस रिपोर्ट में लौह अयस्क के उत्पादन, निकासी और बिक्री, विविधिकरण कार्यकलापों, संयुक्त उद्यमों में नीतिगत निवेश, आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तथा निष्कर्ष और सिफारिशों पर अध्याय शामिल हैं। इस रिपोर्ट में अनुलग्नक I से VIII और संक्षिप्ति की सूची भी शामिल हैं।

1.8 आभार

लेखापरीक्षा एनएमडीसी लिमिटेड के प्रबंधन, इस्पात मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तथा छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्यों के वन और राजस्व विभागों द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा के विभिन्न चरणों में प्रदत्त सहयोग और सहायता की प्रशंसा और आभार व्यक्त करती है।

अध्याय II

लौह-अयस्क का उत्पादन, निकासी और बिक्री

2.1 लौह-अयस्क का उत्पादन

भारत में लौह-अयस्क का उत्पादन कैप्टिव खनन (सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों दोनों में मुख्यतः अपने उपयोग हेतु स्वामित्व वाले तथा परिचालित एकल इस्पात संयंत्रों द्वारा) के साथ साथ नॉन-कैप्टिव खनन (घरेलु खपत और निर्यात हेतु) के माध्यम से होता है। नॉन-कैप्टिव खंड में, सार्वजनिक क्षेत्र में एनएमडीसी लिमिटेड, जो कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है (2016-17 के दौरान उत्पादन: 34 मिलियन टन) तथा ओडिशा उत्खनन निगम लिमिटेड, जो कि ओडिशा सरकार का राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है (2016-17 के दौरान उत्पादन: 6.37 मिलियन टन) प्रमुख कंपनियां हैं।

कंपनी सात परिचालित खदानों के माध्यम से 44 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) की कुल औसत उत्पादन क्षमता के साथ लौह-अयस्क का उत्पादन करती है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.1-एनएमडीसी लिमिटेड की खदानों के स्थान और क्षमता

(31 मार्च 2017 को स्थिति)

राज्य	स्थान	खदान	क्षमता (एमटीपीए)
छत्तीसगढ़	किरनडुल कॉम्प्लेक्स, बेलाडिला क्षेत्र	डिपॉजिट 14	5
		डिपॉजिट 11-सी	7
		डिपॉजिट 11-बी	7
	बचेली कॉम्प्लेक्स, बैलाडीला क्षेत्र	डिपॉजिट 5	8
		डिपॉजिट 10 और 11-ए	5
	कर्नाटक	डोनीमलाई क्षेत्र	5
		कुमारास्वामी खदान	7

लौह-अयस्क का खनन ओवरबर्डन अर्थात् उपरी मिट्टी को हटाने के बाद ड्रिलिंग और विस्फोट के द्वारा किया जाता है। अयस्क एक्सकेवेटर के माध्यम से डंपरों में भरा जाता है और

स्टेशनरी क्रांशिंग संयंत्र तक पहुंचाया जाता है। क्रश हुआ अयस्क स्क्रीनिंग संयंत्र में विभिन्न आकारों में स्क्रीन किया जाता है और संबंधित स्टॉक यार्ड में कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से ढोये जाते हैं। तदोपरात, अयस्क ग्राहक के निर्धारित स्थानों पर रेल, स्लरी पाईपलाईन और सड़क मार्ग द्वारा परिवहन किया जाता है। निर्यात एमएमटीसी लिमिटेड, एक चैनलिंग ऐजेंसी, के माध्यम से विशाखापत्तनम पत्तन से किए जाते हैं।

कंपनी विभिन्न आकार के लौह-अयस्क उत्पाद¹ उत्पादित करती है और डोनीमलाई क्षेत्र के अतिरिक्त, जहां समूची बिक्री माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार ई-निलामी के माध्यम से होती है, घरेलु और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के साथ लंबी अवधि के समझौते (एलटीए) के माध्यम से बिक्री करती है। बैलाडिला क्षेत्र में अल्प मात्रा (लगभग 10% प्रतिशत) की बिक्री स्पॉट बाजार के माध्यम से भी की जाती है।

2.1.1 लौह-अयस्क उत्पादन के लिए समझौता जापन लक्ष्यों का अल्प निर्धारण

कंपनी प्रतिवर्ष अपने प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् इस्पात मंत्रालय (एमओएस) के साथ एक समझौता जापन (एमओयू) हस्ताक्षरित करती है जिसमें उत्पादन, बिक्री, आरंभ की जा चुकी परियोजनाओं के संबंध में की जाने वाली प्रगति के लिए समय-समय पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 2011-12 से 2016-17 के लिए लौह-अयस्क के उत्पादन के संबंध में समझौता जापन में निर्धारित लक्ष्य और उनके प्रति वास्तविक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है:

¹ रन ऑफ माइन (आरओएम), डायरेक्टली रिड्यूस्ड केलिब्रेटेड लंप अयस्क (डीआरसीएलओ), लंप और फाइन्स। खदान से सीधे निकाले गए 10 मिलिमीटर (मिमि) से 150 मि.मि आकार के 65.5 प्रतिशत लौह तत्व (एफई) वाले अयस्क को आरओएम कहते हैं। डीआरसीएलओ 67 प्रतिशत (एफई) के साथ 10 मि.मि से 40 मि.मि के आकार का होता है। लंप अयस्क 65.5 लौह तत्व (एफई) के साथ 6 मि.मि से 40 मि.मि आकार का होता है तथा फाइन अयस्क 64 प्रतिशत लौह तत्व (एफई) के साथ 10 मि.मि से कम आकार का होता है।

तालीका 2.2- लौह-अयस्क के उत्पादन के लिए समझौता जापन लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि

वर्ष	समझौता जापन लक्ष्य ² (मिलियन टन)	वास्तविक लक्ष्य प्राप्त (मिलियन टन)	उपलब्धि (% में)
2011-12*	-	27.26	-
2012-13	26.40	27.18	103
2013-14	26.00	30.02	115
2014-15	29.00	30.44	105
2015-16	33.00	28.57	87
2016-17	33.25	34.00	102

(*2011-12 के लिए वास्तविक उत्पादन को 2012-13 के लिए समझौता जापन लक्ष्य के साथ तुलना हेतु लिया गया है।)

हमने पाया कि:

- समझौता जापन पर डीपीई दिशानिर्देश यह निर्धारित करते हैं कि लक्ष्य यथार्थपरक के साथ विकासोन्मुख होने चाहिए। इस प्रकार, किसी विशेष वर्ष के लिए लक्ष्य पिछले वर्ष की उपलब्धियों से कम नहीं होने चाहिए। तथापि, उपरोक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2014-15 तक लौह-अयस्क के उत्पादन के लिए समझौता जापन लक्ष्य पिछले वर्ष के वास्तविक उत्पादन से कम निर्धारित किए गए। वर्ष 2016-17 के लिए, कंपनी द्वारा उसकी नीतिगत प्रबंधन योजना (एसएमपी) में अनुमानित महत्वाकांक्षी विकास योजना को ध्यान में रखते हुऐ मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए गए।
- 2012-16 की अवधि के दौरान कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता 37 एमटीपीए थी, जो अगस्त 2015 के दौरान किरनडुल में परियोजना 11-बी के आरंभ होने के बाद बढ़कर 44 एमटीपीए हो गई। इस क्षमता के प्रति, वर्ष 2012-17 के लिए कंपनी द्वारा उत्पादन लक्ष्य क्रमशः 71, 70, 78, 89 तथा 76 प्रतिशत निर्धारित किए गए।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय की सलाह (27 अक्टूबर 2014) पर, सितंबर 2016 में कंपनी द्वारा नीतिगत प्रबंधन योजना तैयार की गई और उसे अंतिम रूप दिया गया जिसमें वर्ष 2018-19

² उत्कृष्ट स्तर लक्ष्य प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा समझौता जापन में निर्धारित आधार लक्ष्य होते हैं जिन्हे संबंधित सीपीएसई द्वारा प्राप्त किया जाना होता है।

तक लौह-अयस्क का उत्पादन 50 एमटीपीए करना परिकल्पित किया गया। पिछले पांच वर्षों (2012-17) के दौरान 5 प्रतिशत (लगभग) की औसत वार्षिक विकास दर और उत्पादन के वर्धन के लिए आवश्यक सुविधाओं की पूर्णता के अधूरे चरणों पर विचार करते हुए, दो वर्षों की सीमित अवधि के भीतर उत्पादन में 16 एमटीपीए अर्थात् 47 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि प्राप्त करना दुष्कर कार्य था।

अल्प लक्ष्यों के निर्धारण के कारणों पर प्रबंधन के उत्तर (मार्च 2018) में कुछ भी नहीं कहा गया। मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि 2015-16 तक उत्पादन क्षमता 37 एमटीपीए थी जो बचेली कॉम्प्लेक्स के स्क्रीनिंग संयंत्र में चौथी लाईन आरंभ होने पर बढ़ाकर 39 एमटीपीए कर दी गई और किरनडुल कॉम्प्लेक्स के डिपॉजिट 11-बी की 7 एमटीपीए क्षमता पर विचार नहीं किया गया क्योंकि अनुवर्ती वर्षों में अन्य प्रसंस्करण और उत्खनन सुविधाएं नियोजित की गई थीं। तदनुरूप, 2012-17 के दौरान उत्पादन लक्ष्य 71, 70, 78, 89 तथा 85 प्रतिशत परिगणित किया गया।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डिपॉजिट-11बी के संबंध में 7 एमटीपीए की उत्पादन क्षमता को उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करते समय शामिल किया जाना चाहिए था क्योंकि क्रशिंग संयंत्र और डाउनहिल कन्वेयर अगस्त 2015 में आरंभ हो चुके थे और 2015-16 तथा 2016-17 में उत्पादन हुआ था। तदनुसार, 2012-17 के दौरान केवल 71, 70, 78, 89 तथा 76 प्रतिशत उत्पादन लक्ष्य प्राप्त किए गएं।


2.1.2 कॉरपोरेट लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उत्पादन में कमी

समझौता जापन लक्ष्यों के अतिरिक्त, वार्षिक उत्पादन लक्ष्य भी क्रियान्वयन निदेशकों और परियोजना अध्यक्षों के साथ सीएमडी द्वारा आयोजित वार्षिक कॉरपोरेट बैठकों में निर्धारित किए गए थे। 31 मार्च 2017 को समाप्त हो रहे पांच वर्षों के दौरान वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों और उत्पादन क्षमता के प्रति कंपनी के वास्तविक उत्पादन का लक्ष्य निम्नानुसार है:

तालिका 2.3- आंतरिक उत्पादन लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
स्वीकृत उत्पादन क्षमता (मिलियन टन में)	37.00	37.00	37.00	37.00	44.00
वार्षिक उत्पादन लक्ष्य- आंतरिक (मिलियन टन में)	32.00	32.20	34.40	37.40	35.20
वास्तविक उत्पादन (मिलियन टन में)	27.18	30.02	30.44	28.57	34.00
वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों के प्रति वास्तविक उत्पादन का %	85	93	88	76	97
स्वीकृत उत्पादन क्षमता के प्रति वास्तविक उत्पादन का %	73	81	82	77	77

चार्ट 2.1 – आंतरिक उत्पादन लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि



हमने पाया कि एस्सार स्लरी पाइपलाइन की अनुपलब्धता (पांच वर्षों में 735 दिन), संचय³ की परिपूर्णता के कारण उत्पादन रोकने (किरन्दुल में 757 शिफ्ट तथा बचेली में 807 शिफ्ट), मात्रा को उठाने हेतु ग्राहकों से आदेशों की कमी, माओवादी समस्याओं (पाँच वर्षों में 459 दिन) और अपर्याप्त निकासी सुविधाओं अर्थात् रेलवे रेकों की कम आपूर्ति के कारण वास्तविक उत्पादन में कमी थी।

³ संचय थोक सामग्रियों का संचय या भंडारण स्थान है जो थोक सामग्री प्रबंधन प्रक्रिया का भाग है।

प्रबंधन/मंत्रालय द्वारा कमियों के लिए उपरोक्त कारण स्वीकृत किये गए (मार्च/जुलाई 2018)।

2.1.3 नीतिगत प्रबंधन योजना (एसएमपी) में अव्यवहारिक लक्ष्य

कंपनी के पास वर्ष 2009-10 तक कॉर्पोरेट योजना थी। इसके बाद वर्ष 2015-16 तक कोई कॉर्पोरेट योजना नहीं बनाई गई थी। इसके बजाय, उत्पादन और अन्य लक्ष्य वार्षिक रूप से निर्धारित किए गए थे जिस पर 2012-13 की सीएजी की प्रतिवेदन सं. 20 के पैरा 2.1 में पहले भी टिप्पणी की गई थी। प्रशासनिक मंत्रालय ने 27 अक्टूबर 2014 को आयोजित की गई समीक्षा बैठक में विजन दस्तावेज 'एनएमडीसी 2025' तैयार करने का सुझाव दिया क्योंकि कंपनी 2018-19 तक 75 एमटीपीए तथा 2021-22 तक 100 एमटीपीए का उत्पादन करना चाहती थी। घरेलू बाजार में मौजूद ग्राहकों का, निर्यातों एवं कैपटिव उपयोग की संभावित मात्रा का मूल्यांकन करने के पश्चात कंपनी द्वारा नियुक्त⁴ किए गए (जनवरी 2015) परामर्शदाता मै. एक्सेंचर ने सुझाव दिया (मई 2015) कि 75 एमटीपीए तथा 100 एमटीपीए के उत्पादन की प्राप्ति के अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त करना निम्नलिखित कारणों से कठिन होगा:

- लौह अयस्क के अधिक उत्पादन का वैश्विक रूझान वर्ष 2025 तक जारी रहेगा।
- इस्पात उत्पादन क्षमता में गिरावट के कारण आगामी 5 से 10 वर्षों तक लौहअयस्क की अधिक-आपूर्ति जारी रहेगी।
- प्रस्तावित खानों की क्षमताओं पर विचार करने के बावजूद कंपनी परिकल्पित 100 एमटीपीए के प्रति केवल 87 एमटीपीए का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने योग्य होगी।
- इसके अतिरिक्त, 75/100 एमटीपीए बेचने के लिए कंपनी को इस्पात संयत्र जिसकी स्थापना कंपनी द्वारा नगरनार, छत्तीसगढ़ में की जा रही है, हेतु निर्धारित आवश्यकता के अलावा 29.2 एमटीपीए तथा 45.2 एमटीपीए की मात्रा हेतु घरेलू बाजार में मौजूदा ग्राहकों से अधिक ढूँढ़ने होंगे।

⁴ परामर्शदाता, मै. एक्सेंचर की नियुक्ति ₹0.57 करोड़ की फीस पर की गई थी।


परामर्शदाता के उपरोक्त मत के बावजूद कंपनी ने नीतिगत प्रबंधन योजना (एसएमपी)-विज़न 2025 (अक्तूबर 2015) को जारी रखा जो निम्नलिखित की परिकल्पना करती थी:

- लौह अयस्क खनन क्षमता को 2018-19 तक 75 एमटीपीए तथा 2021-22 तक 100 एमटीपीए तक बढ़ाना।
- अन्वेषण कार्यकलापों को सुदृढ़ करना और समस्त सामग्री को मूल्य वर्धित कारोबार (पैलेट तथा इस्पात) को भेजना।
- एनएमडीसी से संबंधित वृद्धि संभावना और देश के महत्व के आधार पर अन्य वस्तुओं में नीतिगत रूप से विविधिकरण करना।
- 'खनन और कारोबार संभावना' के आधार पर चयन करके अन्य भौगोलिक स्थानों पर निवेश करना।

2.1.4 संशोधित नीतिगत प्रबंधन योजना - विज़न 2025

एसएमपी में प्रक्षेपणों एवं अवधारणाओं पर निकट भविष्य में नियंत्रित बाजार स्थिति जारी रहने की संभावना, और विशेषज्ञों द्वारा लौह अयस्क के दीर्घावधि कीमत अनुमान में संशोधन और विशेष रूप से ओडिशा से लौह अयस्क आपूर्ति में बहुत अधिक वृद्धि के आधार पर पुनः विचार किया गया (फरवरी 2016)। वर्ष 2011 से 2016 तक अंतर्राष्ट्रीय लौह एवं इस्पात कीमतों के रुझान के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

चार्ट 2.2 – लौह अयस्क एवं इस्पात की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें




स्रोत: लौह अयस्क फाइन्स 62% प्रति मीट्रिक टन दरें और अंतर्राष्ट्रीय इस्पात कीमतें (यूएसडी में) Marketindex.com.au/iron ore से डाउनलोड की गई

उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अक्तूबर 2015 में मूल एसएमपी - विज़न 2025 की तैयारी करते समय अंतर्राष्ट्रीय लौह अयस्क कीमतों में यूएस \$187 (फरवरी 2011) इसकी उच्च कीमत से यूएस \$53 (अक्तूबर 2015) तक गिरावट आ चुकी थी जो गिरावट का रुझान दर्शाती है। इसी प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय इस्पात कीमतों में भी गिरावट का रुझान दिखाई दिया क्योंकि कीमतों में अप्रैल 2013 में यूएस \$548 प्रति टन के उच्च स्तर से अक्तूबर 2015 के दौरान यूएस \$268 प्रति टन तक की गिरावट आई थी।

घरेलू लौह अयस्क के कीमत रुझान ने भी दर्शाया कि कीमतों में नवंबर 2012 से गिरावट आ रही थी और गिरावट का रुझान अक्तूबर 2015 के दौरान जारी रहा जैसे नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट 2.3 लौह अयस्क की घरेलू कीमतें



स्रोत: घरेलू लौह अयस्क कीमतों संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) द्वारा सचित औसत लौह अयस्क कीमतों पर आधारित थी।

जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू कीमतों में इस गिरावट की मूल एसएमपी में लक्ष्यों को अंतिम रूप देते समय गणना नहीं की गई थी। इसलिए एसएमपी में सितंबर 2016 में संशोधन किया गया था। संशोधित एसएमपी में लक्षित उत्पादन क्षमता को 75 एमटीपीए और 100 एमटीपीए के मूल लक्ष्यों के प्रति क्रमशः 2018-2019 और 2021-22 तक 50 एमटीपीए और 67 एमटीपीए तक कम कर दिया गया था। संशोधित एसएमपी के

प्रक्षेपणों को प्राप्त करने के लिए कंपनी ने निम्नलिखित मुख्य सुविधाओं की योजना बनाई थी:

(i) बैलाडिला सेक्टर:

क) किरन्दुल कॉम्प्लैक्स – डिपोजिट 11-बी और डिपोजिट 14 की क्षमता की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 12 एमटीपीए स्क्रीनिंग संयंत्र⁵-III का निर्माण

ख) बचेली कॉम्प्लैक्स-

- 7 एमटीपीए के प्रबंधन हेतु डिपोजिट-10 और 11-ए के स्क्रीनिंग संयंत्र में चौथी लाइन
- 10 एमटीपीए के प्रबंधन हेतु डिपोजिट-5 के स्क्रीनिंग संयंत्र में 5वीं लाइन
- 10 एमटीपीए के प्रबंधन हेतु डिपोजिट-5 के डाऊनहिल कनवेयर सिस्टम का उन्नयन

ग) संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा डिपोजिट-13 और डिपोजिट-4 का विकास

(ii) डोनिमलाई सेक्टर:

क) डोनिमलाई कॉम्प्लैक्स – स्क्रीनिंग संयंत्र-II और लोडिंग संयंत्र-II का निर्माण।

(iii) बैलाडिला सेक्टर में निकासी सुविधाओं में वृद्धि:

- किरन्दुल से कोठावलासा रेलवे लाइन (केके लाइन) का दोहरीकरण
- छत्तीसगढ़ में रोवघाट और जगदलपुर के बीच रेल लाइन का निर्माण
- बचेली से नगरनार, छत्तीसगढ़ तक दूसरी स्लरी पाइपलाइन

संशोधित एसएमपी और इसके कार्यान्वयन की समीक्षा से पता चला कि:

- यद्यपि कंपनी ने एसएमपी में बढ़े हुए उत्पादन लक्ष्यों का स्पष्ट प्रक्षेपण किया था, जिन्हें 2018-19 तक प्राप्त किया जाना था, फिर भी विभिन्न परियोजनाओं और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के प्रतिष्ठापन को सक्षम बनाने वाली कार्यवाही परिकल्पित समयसीमाओं के अनुसार नहीं थी।

⁵ स्क्रीनिंग संयंत्र निष्कर्षित और क्रश्ड अयस्क को फाईन्स और लम्प अयस्क में अलग करता है

- संभावित क्रेताओं/बोलीदाताओं के लिए वेबपेज पर निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) देने के अलावा नए ग्राहकों को आकृष्ट करने के लिए नीतियां बनाने के लिए उचित पहल नहीं की गई थी।
- इसके अलावा, विस्तारण परियोजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन में कमियां थीं व सांविधिक मंजूरियों को प्राप्त करने में असामान्य विलंब हुए थे।

उपरोक्त कमियों पर अगले पैराग्राफों/अध्यायों में विस्तार से चर्चा की गई है।

प्रबंधन/मंत्रालय ने बताया (मार्च/जुलाई 2018) कि खनन परियोजनाओं के लंबे निर्माण समय को ध्यान में रखते हुए विस्तृत ध्येय निर्धारित किए गए थे, बाजार रुझानों का पहले से अनुमान लगाना कठिन था, बेलाडीला सैक्टर में निरंतर ई-नीलामी के द्वारा नए ग्राहकों की पहचान के प्रयास किए जा रहे थे और पांच लाख टन की क्षमता वाले एक सहायक स्टॉक पाइल का जगदलपुर के निकट विकास किया जा रहा था जिसका प्रचालन दिसंबर 2018 तक अपेक्षित था। एसएमपी में क्षमता बढ़ाने के लिए विस्तृत एकीकृत उपागम शामिल था और तदनुसार सभी कार्यकलापों की योजना बनाई गई थी जिसमें मूल और संशोधित एसएमपी-विज्ञ 2025 की तैयारी के समय पर 2018-19 तक अभीष्ट परियोजनाओं को पूरा करने की व्यवहार्यता शामिल है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2018-19 तक अपेक्षित परियोजनाओं की पूर्णता की संभाव्यता को वास्तविक/संशोधित एसएमपी- विज्ञ 2025 के तैयार किये जाने के समय पर आकलित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, लौह अयस्क और इस्पात मूल्यों में मौजूदा गिरावट वाली प्रवृत्ति को एसएमपी के तैयार किये जाने के समय पर ध्यान में नहीं रखा गया था। इस प्रकार, संशोधित एसएमपी में निर्धारित किये गये लक्ष्य और वर्ष 2018-19 तक उनकी प्राप्ति अनिश्चितता से परिपूर्ण थे।

2.2 पूँजीगत प्रतिस्थापन/ मरम्मत

उत्पादन कार्यकलापों को करने के लिए कंपनी को पूँजीगत उपस्करण, जेसे स्टेकर्स, रि-क्लेमर, वैगन लोडर और हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) की आवश्यकता थी।



चित्र 2.1: स्टेकर



चित्र 2.2 : रि-क्लेमर



चित्र 2.3: वैगन लोडर

स्टेकर का उपयोग स्टॉकयार्ड में परिष्कृत अयस्क के उचित भंडारण हेतु किया जाता है जबकि रि-क्लेमर का उपयोग स्टॉक यार्ड से परिष्कृत अयस्क को वैगन लोडर में डालने हेतु किया जाता है। वैगन लोडर का उपयोग परिष्कृत अयस्क के रेलवे वैगनों में लदान हेतु किया जाता है। इन सभी उपस्करों की निर्धारित स्थानों पर तदनुकूल डिजाइनिंग, असेम्बली, उत्पादन और शुरू करने की आवश्यकता है जिसके लिए कंपनी के विभिन्न विभागों और ठेकेदारों के बीच समन्वय की आवश्यकता है। पूँजीगत उपस्कर की खरीद पर हमारी टिप्पणियों की नीचे चर्चा की गई है।

2.2.1 स्टेकर, रि-क्लेमर्स और वैगन लोडर की खरीद

कंपनी ने 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान एचईएमएम को छोड़कर पूँजीगत उपस्कर की आपूर्ति हेतु ₹ 55.62 करोड़ मूल्य के 12 खरीद/कार्य आदेश जारी किए थे जिसमें से ₹ 54.20 करोड़ मूल्य के छः खरीद आदेशों की लेखापरीक्षा में जांच की गई थी जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है:

तालिका 2.4- लेखापरीक्षा में शामिल किए गए पूँजीगत उपस्करों हेतु खरीद आदेशों के ब्यौरे

परियोजना	मद	मूल्य (₹ करोड़)	खरीद आदेश देने की तिथि	आपूर्ति की निर्धारित तिथि
बचेली कॉम्प्लैक्स	लम्प अयस्क स्टेकर	7.87	15.11.2012	31.08.2014
	लम्प अयस्क रिक्लेमर	11.35	01.02.2013	15.10.2014
	वैगन लोडर	8.78	11.10.2013	10.07.2015
किरन्दुल कॉम्प्लैक्स	लम्प अयस्क स्टेकर	7.85	15.11.2012	31.08.2014
डोनीमलाई कॉम्प्लैक्स	लम्प अयस्क रिक्लेमर	10.24	01.02.2013	17.07.2014
	वैगन लोडर	8.11	11.10.2013	18.06.2015
	कुल	54.20		

हमने देखा कि:

- (क) यद्यपि कंपनी ने उपरोक्त उपस्कर की आपूर्ति हेतु बोलियां मंगाने के लिए नवंबर 2008/जनवरी 2009 के दौरान निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) जारी किए थे, फिर भी सभी छह उपस्करों के सम्बन्ध में निविदाओं को अंतिम रूप देने और कार्य आदेश देने में चार से पांच वर्ष का समय लगा। यद्यपि उपस्करों की आपूर्ति जुलाई 2014 और जुलाई 2015 के बीच की जानी थी, फिर भी बचेली कॉम्प्लैक्स में केवल एक रिक्लेमर की आपूर्ति हुई एवं इसे शुरू किया गया था (अप्रैल 2017)।
- (ख) बचेली कॉम्प्लैक्स के संबंध में यद्यपि रिक्लेमर 28.04.2017 अर्थात् आपूर्ति की निर्धारित तिथि से ढाई वर्ष के विलंब के पश्चात् शुरू किया गया था, फिर भी यह संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहा था। अन्य उपस्कर को ठेकेदार द्वारा महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति न करने के कारण अभी शुरू किया जाना था (मार्च 2018)।

(ग) कार्य आदेशों की शर्तों के अनुसार, ठेका प्रदान पत्र जारी होने के 60 दिनों की अवधि में स्थापन और शुरू करने हेतु आरेखणों⁶ को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत एवं कंपनी द्वारा अनुमोदित किया जाना था। हालांकि उक्त हेतु लिया गया वास्तविक समय सभी उपस्कर्ताओं में 34 माह और 38 माह के बीच था। चूंकि आरेखणों का कंपनी के विभिन्न विभागों द्वारा अनुमोदन आवश्यक था, आरेखणों की प्रस्तुति एवं अनुमोदन हेतु निर्धारित समय वास्तविक तथा तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता।

(घ) निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलंब और इन उपस्कर्ताओं की आपूर्ति/स्थापन/शुरू न होने के कारण कंपनी को अप्रैल 2012 से सितंबर 2017 की अवधि के दौरान मौजूदा उपस्कर्ताओं को चलाने हेतु मरम्मत एवं रख-रखाव पर ₹ 7.74 करोड़ (बचेली-₹ 4.93 करोड़, किरन्दुल ₹ 0.25 करोड़ तथा डोनीमलाई- ₹ 2.56 करोड़) का परिहार्य व्यय करना पड़ा था।

प्रबंधन/मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया और बताया (मार्च/जुलाई 2018) कि आरेखणों के अनुमोदन में समय लगा क्योंकि विभिन्न तकनीकी विभागों द्वारा इसकी जांच करना आवश्यक था और यह पुष्टि की कि उपस्कर्ताओं को 2018-19 की पहली तिमाही में शुरू कर दिया जाएगा।

2.2.2 हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) की खरीद, प्रदर्शन और उपलब्धता

खनन कार्यों में उपयोग किए गए एचईएमएम अर्थात् शॉवल⁷, डम्पर⁸, ड्रिल, डोजर, ग्रेडर⁹, जल छिड़काव करने वाली मशीन आदि की आवश्यकता का निर्धारण उत्पादित किए जाने वाले

⁶ आरेखणों में सामान्य प्रबंधन आरेखण और मैकेनिकल, संरचनात्मक तथा इलेक्ट्रिकल घटकों के लिए असेम्बली आरेखण शामिल हैं।

⁷ शॉवल बड़े परिणाम की सामग्रियों जैसे मिट्टी, कोयला, बजरी, रेत या अयस्क को खोदने, उठाने और हटाने का एक यंत्र है।

⁸ डम्पर निर्माण हेतु खुली सामग्री के परिवहन हेतु उपयोग किया जाने वाला ट्रक है। एक आदर्श रूप डम्पर ओपन बॉक्स बैड से सजित होता है जो पीछे की तरफ जुड़ा होता है और फ्रंट को उठाने हेतु इसमें हाइड्रोलिक रैम होती है जो बैड में पड़ी सामग्री को आपूर्ति स्थल पर ट्रक के पीछे भूमि पर डालने (डम्प करने) देती है।

⁹ ग्रेडर एक निर्माण मशीन है जिसमें ग्रेडिंग प्रक्रिया के दौरान सतह को संपाठ करने के लिए लंबे ब्लेड लगे होते हैं।

अयस्क की मात्रा, अपेक्षित अयस्क की गुणवत्ता, खनन बैंच लीड की स्ट्राइक लैंथ¹⁰, लीड अर्थात् खनन क्षेत्र से क्रशिंग संयंत्र की दूरी, निष्फल खनन और परिवहन, तथा अन्य कारकों के आधार पर किया जाता है।

एचईएमएम लौह अयस्क के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एचईएमएम की उपलब्धता और इसका प्रभावपूर्ण उपयोग उत्पादन के नियत लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। प्रत्येक खनन परियोजना में 2012-13 से 2016-17 तक प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के पास उपलब्ध विभिन्न एचईएमएम उपस्कर के ब्यौरे अनुलग्नक-II में दर्शाए गए हैं।

2012-13 से 2016-17 के दौरान कंपनी ने ₹ 184.27 करोड़ मूल्य के एचईएमएम की खरीद हेतु 34 खरीद आदेश दिए जिसमें से ₹ 140.64 करोड़ मूल्य के 13 आदेशों की जांच की गई थी और उस पर की गई टिप्पणियों पर चर्चा निम्नानुसार है:

(क) बीईएमएल बीएच 100 एस मॉडल डंपरों की खरीद

कंपनी ने बचेली कॉम्पलैक्स के लिए तीन डंपरों की खरीद हेतु निविदा आमंत्रित की थी (अगस्त 2014)। प्रतिक्रियास्वरूप तीन बोलियां¹¹ प्राप्त हुई थी (सितंबर 2014) जिनमें से एक बोली बीईएमएल लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई थी। कंपनी ने बोलियों को अंतिम रूप देते समय (दिसंबर 2014) बचेली और डोनीमलाई परियोजनाओं से मौजूदा बीईएमएल के बनाए गए बीएच 100 एस मॉडल डंपरों के प्रदर्शन पर प्रतिपुष्टि प्राप्त की थी और यह पाया गया कि बीईएमएल डंपरों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। बीईएमएल डंपरों की विफलता हेतु कारणों की जांच करने के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त की गई तकनीकी समिति (जनवरी 2015) का भी मत था (मार्च 2015) कि चूंकि बीईएमएल के बीएच 100 एस मॉडल के डंपर प्रमाणित उत्पाद नहीं थे अतः एनएमडीसी को इनका विकल्प नहीं चुनना चाहिए। निदेशक



चित्र 2.4: डम्पर

¹⁰ स्ट्राइक लैंथ अयस्क निष्कर्षण स्थल और क्रसिंग संयंत्र के बीच की दूरी है।

¹¹ जीएमएमसीओ लि. (केटरपिलर का अधिकृत प्रतिनिधि), हैदराबाद, बीईएमएल लि. हैदराबाद और एलएण्डटी लि. हैदराबाद (कोमात्सु का अधिकृत प्रतिनिधि)

(उत्पादन) ने भी तकनीकी समिति के मत को स्वीकार किया (जुलाई 2015) और अन्य मॉडल के डंपरों की खरीद की सिफारिश की। तथापि, निदेशक (वाणिज्य) ने यह कहते हुए बीईएमएल के बीएच 100 एस मॉडल के डंपरों को खरीदने का सुझाव दिया कि बीईएमएल एक सरकारी कंपनी थी, उनका प्रस्ताव तकनीकी रूप से पूर्व पात्रता मानदंड (पीक्यूसी) के अनुरूप था, निविदा सत्यानिष्ठा समझौता¹² द्वारा कवर की गई थी और यह कि बीईएमएल के प्रस्ताव को निरस्त करने से स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर स्तर पर मुकद्दमेबाजी के साथ-साथ विधिक रूप से खरीद करने में और अधिक विलंब हो सकता था। इसके मद्देनजर, कंपनी ने ₹11.58 करोड़ की लागत पर तीन बीएच 100 एस बीईएमएल निर्मित डंपर खरीदे (दिसंबर 2015) और मार्च 2016 में बचेली कॉम्प्लैक्स में इन्हें कार्य पर लगाया गया।

हमने देखा कि:

- (i) निविदा में अनुबंधित तथा सभी बोलीदाताओं द्वारा स्वीकृत 85 प्रतिशत के मानदंड के प्रति इन तीन डंपरों की उपलब्धता चालु होने के प्रथम वर्ष अर्थात् 2016-17 के दौरान 82.97 प्रतिशत, 85.23 प्रतिशत तथा 83.55 प्रतिशत थी।
- (ii) कंपनी की तरफ से बेहतर और विश्वसनीय उपस्कर खरीदने के उद्देश्य से निविदा मंगाने से पूर्व पीक्यूसी निर्धारित करने में बीईएमएल डंपरों पर प्रदर्शन प्रतिपुष्टि (उपयोक्ता विभागों से) एकत्र करना विवेकपूर्ण होता। तथापि, प्रतिपुष्टि निविदाएं मंगाने के बाद और बोलियों के मूल्यांकन के समय ही प्राप्त की गई थी। बीईएमएल निर्मित डंपरों के असंतोषजनक प्रदर्शन के बारे में जानकारी के बावजूद कंपनी डंपरों के मूल्यांकन हेतु उक्त कारक को मापदंड के रूप में शामिल करने में पर विफल रही।

¹² सत्यानिष्ठा समझौता सार्वजनिक ठेकाकरण में आष्टाचार से लड़ने के लिए सरकार की सहायता करने का साधन है। इसमें वह प्रक्रिया शामिल है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र ठेके के लिए सरकार या सरकारी एजेंसी/पीएसयू और सभी बोलिदाताओं के बीच करार सम्मिलित है जो इस प्रभाव के साथ अधिकार और दायित्व स्थापित करता है कि कोई भी पक्ष न तो रिश्वत देगा, इसका प्रस्ताव रखेगा, मांग या इसे स्वीकार करेगा और न ही बोलीदाता ठेका प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धियों से सांठ-गांठ करेंगे या इसे करते समय प्राधिकरण के प्रतिभागियों को रिश्वत देंगे। एक स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर सत्यानिष्ठा समझौता का अवलोकन करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सभी पक्षों ने सत्यानिष्ठा समझौता के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखा है।

- (iii) निदेशक (वाणिज्य) की सिफारिशों की स्वीकृति निविदा संवीक्षा समिति द्वारा बताई गई तकनीकी वांछनीयता/कमियों पर विचार किए बिना विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक शर्तों पर आधारित थी जिसके परिणामस्वरूप अविश्वसनीय उपस्कर की खरीद हुई।

प्रबंधन/मंत्रालय ने बताया (मार्च/जुलाई 2018) कि पीक्यूसी में मई 2016 में उचित रूप से संशोधन किया गया था और भावी खरीद के लिए इसका उपयोग किया जाएगा।

(ख) एनएमडीसी में प्रचालित डंपरों का निष्पादन

कंपनी इसके खनन प्रचालनों में बीईएमएल के साथ-साथ केटरपिलर डंपरों का उपयोग करती है, जिनको खुली प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से खरीदा गया था। इन डंपरों के प्रदर्शन ओर उपयोग का सभी तीन परियोजनाओं में इन्हें काम पर लगाने की तिथि से विश्लेषण किया गया था। डंपरों के परियोजना वार ब्यौरे और घंटों की वास्तविक संख्या के संबंध में उनके औसत वार्षिक उपयोग के ब्यौरे **अनुलग्नक-III** में दिए गए हैं। यह देखा गया कि बीईएमएल निर्मित डंपरों का निष्पादन और उपयोग निरंतर मैकेनिकल ब्रेकडाउन/खराबी के कारण कम था। निम्नलिखित तालिका सभी तीन परियोजनाओं में अगस्त 2017 की समाप्ति पर बीईएमएल निर्मित डंपरों की तुलना में केटरपिलर के डंपरों के औसत वार्षिक उपयोग (संख्या घंटे में) की रेंज का सार दर्शाती है:

तालिका 2.5 - एनएमडीसी लि. में प्रचालित डंपरों का औसत वार्षिक उपयोग

खनन कॉम्प्लैक्स का नाम	बीईएमएल निर्मित		केटरपिलर निर्मित	
	सं.	औसत वार्षिक उपयोग की रेंज (संख्या घंटे में)	सं.	औसत वार्षिक उपयोग की रेंज (संख्या घंटे में)
बचेली	19	1631 से 4106	1*	2703
किरन्दुल	12	610 से 1768	10	2367 से 2910
डोनीमलाई	11	1269 से 3845	6	3875 से 4141

(स्रोत: संबंधित परियोजनाओं द्वारा संकलित उपस्कर की मासिक निष्पादन रिपोर्ट)

* बचेली काम्प्लैक्स में केवल एक केटरपिलर डम्पर प्रचालन में था

हमने देखा कि:

- (क) बचेली में 19 बीईएमएल निर्मित डंपरों में से मार्च 2013 में काम पर लगाए गए केवल एक डंपर और मार्च 2016 में काम पर लगाए तीन डंपरों का केटरपिलर डंपर (जून 2003 में काम पर लगाया गया) की अपेक्षा प्रति वर्ष उच्च औसत उपयोग था। 2004-2009 की अवधि के दौरान काम पर लगाए शेष 15 बीईएमएल डंपर का निष्पादन इस तथ्य के बावजूद केटरपिलर डंपर से कम था कि इनका अधिग्रहण केटरपिलर डंपर के बाद किया गया था।
- (ख) यह देखा गया कि केटरपिलर निर्मित डंपरों के औसत वार्षिक उपयोग की रेज बीईएमएल निर्मित डंपरों के उपयोग से बेहतर थी। केटरपिलर निर्मित डंपरों, जिन्हें 2003, 2005, 2006 और 2011 के दौरान किरन्दुल कॉम्प्लैक्स में काम पर लगाया गया था, का औसत उपयोग 2008, 2010 और 2012 के दौरान काम पर लगाए गए बीईएमएल निर्मित डंपरों की अपेक्षा अधिक था।
- (ग) डोनीमलाई कॉम्प्लैक्स के संबंध में 2006 में खरीदे गए केटरपिलर डंपरों का औसत वार्षिक उपयोग 2013 के दौरान खरीदे गए बीईएमएल 100 एस डंपरों के औसत वार्षिक उपयोग से अधिक था।

प्रबंधन/मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर कोई टिप्पणी नहीं दी थी।

(ग) एचईएमएम की उपलब्धता

तीन परियोजनाओं में 2012-13 से 2016-17 के दौरान निर्धारित घंटों¹³, उपलब्ध घंटों¹⁴ और प्रयुक्त घंटों¹⁵ के संबंध में तीन मुख्य एचईएमएम उपस्कर अर्थात शॉवल, डंपर और ड्रिल की उपलब्धता और उपयोग का विश्लेषण अनुलग्नक-IV में दर्शाया गया है।

¹³ निर्धारित (उत्पादन शिफ्ट) घंटे= निर्धारित शिफ्ट घंटे- निर्धारित रख-रखाव घंटे

¹⁴ उपलब्ध घंटे = निर्धारित (उत्पादन शिफ्ट) घंटे- ब्रेकडाऊन घंटे

¹⁵ प्रयुक्त घंटे = उपलब्ध घंटे- रिक्त घंटे (घंटे जिनमें उपस्कर तैयार है परन्तु इन्हें काम पर नहीं लगाया गया)

हमने देखा कि उपयोग प्रतिशतता एचईएमएम की उपलब्धता की तुलना में कम थी। कंपनी के गठन के 60 वर्षों के बाद भी सभी तीन परियोजनाओं के लिए एचईएमएम उपस्कर की उपलब्धता और उपयोग हेतु कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए थे। मानक मानदंडों की कमी के परिणामस्वरूप एचईएमएम उपस्कर के प्रदर्शन का मूल्यांकन नहीं हुआ। अतः लेखापरीक्षा यह निर्धारित नहीं कर सकी कि क्या उपस्कर का निष्पादन संतोषजनक था।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2018) कि एचईएमएम उपस्कर की उपलब्धता और उपयोग के मानक मानदंड सभी तीन लौह अयस्क परियोजनाओं अर्थात् किरन्टुल, बचेली और डोनीमलाई कॉम्प्लैक्स के लिए निर्धारित किए गए थे (2002-03)। तत्पश्चात्, मेकान द्वारा मानक अध्ययन किया गया था (2017) और संशोधित प्रतिमानों की सिफारिश की गई थी जिसे अगस्त 2017 में सभी परियोजनाओं को भेज दिया गया था।

यह उत्तर तथ्यात्मक रूप से मुख्य एचईएमएम के निष्पादन की समीक्षा करने वाले केंद्रीय खनन योजना एवं डिजाइन संस्थान (सीएमपीडीआई) द्वारा तैयार की गई अध्ययन रिपोर्ट (दिसंबर 2016) के निष्कर्षों के प्रतिकूल है जिसमें देखा गया कि सभी तीन इकाइयों में एचईएमएम की उपलब्धता और उपयोग हेतु कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए थे।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2018) कि सीएमपीडीआई ने एचईएमएम के निष्पादन को प्रभारित करने वाले विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए वैज्ञानिक गणना के आधार पर मानक मानदंडों की अनुपलब्धता के बारे में बताया था। तत्पश्चात्, मेकान ने मानक अध्ययन किया (अगस्त 2017) और रिपोर्ट सभी परियोजनाओं को भेज दी गई थी।

2.3 क्षमता संवर्धन

कंपनी लौह अयस्क मांग को पूरा करने के लिए इसकी कॉर्पोरेट योजना 2001-2009 के अनुसार 14 एमटीपीए तक इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बैलाडिला में किरन्टुल कॉम्प्लैक्स में 11-बी खदान और डोनीमलाई कॉम्प्लैक्स में कुमारस्वामी लौह अयस्क खान विकसित करना चाहती थी। 31 मार्च 2012 तक निविदाकरण और पैकेज देने और उनके कार्यान्वयन में विलंब को सीएजी की 2012-13 की प्रतिवेदन सं. 20 में दर्शाया गया था।

मौजूदा प्रतिवेदन में कार्यान्वयन में विलंब और 11-बी और कुमारस्वामी खान के शेष कार्यों के समापन को कवर किया गया है।

2.3.1 डिपोजिट 11-बी खान के विकास हेतु पैकेजों का कार्यान्वयन

कंपनी ने बैलाडिला लौह अयस्क डिपोजिट 11-बी के लिए मेकान लिमिटेड को इंजीनियरिंग, ठेका खरीद सेवा एवं परियोजना प्रबंधन तथा निर्माण प्रबंधन सेवा (ईपीसीएम) ठेका प्रदान किया था (जुलाई 2005)। निर्धारित पूर्णता तिथि ठेका देने से 35 माह अर्थात् जून 2008 तक थी। परामर्शदाता ने पूरी परियोजना को छः मुख्य पैकेजों तथा चार उप-पैकेजों में बांटा था। 2012-13 से 2016-17 के दौरान प्रत्येक पैकेज में की गई प्रगति के ब्यौरे अनुलग्नक-V में दिए गए हैं।

हमने देखा कि:

- क) पैकेज III - भूमि कार्य और साइट तैयार करने का कार्य अन्य पैकेज ठेकेदारों को कार्य स्थल सौंपने के लिए महत्वपूर्ण था। तथापि, कार्य को नवंबर 2007 की निर्धारित पूर्णता तिथि के प्रति दिसंबर 2009 तक ही पूरा किया जा सका था। इसके परिणामस्वरूप, कार्य स्थल अन्य ठेकेदारों को नहीं सौंपा जा सका था। यह विलंब कार्य की मात्रा के अपर्याप्त आकलन के कारण हुआ था। इस विलंब के साथ साथ परामर्शदाता द्वारा आरेखणों के अनुमोदन में और अधिक विलंब के परिणामस्वरूप कार्यों के कार्यान्वयन में अधिक समय लगा था।
- ख) सभी पैकेजों के कार्यान्वयन में उनकी निर्धारित समापन तिथियों से अधिक विलंब हुआ था। कंपनी/परामर्शदाता ने उचित योजना की कमी, श्रमबल एवं सामग्री के अपर्याप्त परिनियोजन के कारण धीमी प्रगति की वजह से ठेकेदार को विलंब के लिए जिम्मेदार ठहराया।
- ग) ठेकेदारों ने बैंक गारन्टी के विस्तारण, सामग्री की देख-रेख और किए जाने वाले कार्य के अतिरिक्त कार्यक्षेत्र के साथ प्रत्येक पैकेज के विविध समय विस्तारणों के आधार पर अतिरिक्त श्रमबल के परिनियोजन के प्रति अधिक दावे दर्ज कराए।

- घ) कंपनी ने अब तक अतिरिक्त कार्यों के लिए ₹10.54 करोड़ सहित ₹358.23 करोड़ (सभी पैकेजों के लिए) की अंतिम ठेका लागत के प्रति ₹315.33 करोड़ का भुगतान किया था (फरवरी 2018)।
- ड) कंपनी स्क्रीनिंग सुविधाओं की कमी और अन्य पैकेज कार्यों के पूरा न होने के कारण 7 एमटीपीए की प्रतिष्ठापित क्षमता के प्रति अगस्त 2015 में क्रशिंग संयंत्र और डाउनहिल कनवेयर सिस्टम (पैकेज-I एवं II) को शुरू करने के बाद वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए केवल 0.61 एमटीपीए और 0.58 एमटीपीए लौह अयस्क का उत्पादन कर सकी थी।

प्रबंधन/मंत्रालय ने बताया (मार्च/जुलाई 2018) कि परियोजना में मुख्यतः साइट की स्थितियों के कारण पैकेज- III (भूमि कार्य) में सॉयल नेलिंग तकनीक से ग्राउंटिड नेलिंग तकनीक में प्रौद्योगिकी के परिवर्तन के कारण विलंब हुआ था जिसका अन्य पैकेज ठेकेदारों को कार्य स्थल सौंपने पर अधोगामी प्रभाव पड़ा। इसके अलावा, डिजाइन में परिवर्तन, आरेखणों के अनुमोदन, स्थानीय बाधाओं, ठेकेदार द्वारा श्रमबल और सामग्री के अपर्याप्त विनियोजन के कारण विलंब हुआ था।

2.3.2 कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना के विकास हेतु पैकेजों का कार्यान्वयन

कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना (केआईओपी) के मार्च 2012 तक के कार्यान्वयन को सीएजी की 2012-13 की प्रतिवेदन सं. 20 में शामिल किया गया था। मौजूदा समीक्षा में 31 मार्च 2012 से 31 दिसंबर 2017 तक पैकेजों के कार्यान्वयन में प्रगति और उनके विलंब को शामिल किया गया है। परियोजना को मार्च 2012 तक पूर्णता हेतु संशोधित कार्यक्रम के प्रति अभी पूर्ण किया जाना था (दिसंबर 2017)। पैकेजों के ब्यौरे अनुलग्नक-VI में दिए गए हैं।

हमने देखा कि:

- क) पैकेजों की अनुबंधित पूर्णता अवधि ठेका के प्रदान पत्र की तिथि से 9 माह और 21 माह के बीच थी। तथापि, वास्तविक पूर्णता अवधि 42 माह और 81 माह के बीच थी (पैकेज-IV और VI को छोड़कर)।

ख) पैकेज-IV (दूरसंचार प्रणाली) की पूर्णता ठेकेदार के श्रमबल और सामग्री के खराब मोबिलाइजेशन के कारण लंबित थी। पैकेज-VI (खान तक पहुँच मार्ग) का कार्य 8.3 कि.मी के समस्त क्षेत्र में से 5.4 कि.मी. की वन विभाग की मंजूरी सुनिश्चित किए बिना दिया गया था। कार्य लंबित था क्योंकि कंपनी को सितंबर 2017 में केवल स्टेज-I वन मंजूरी (एफसी) प्राप्त हुई थी और स्टेज-II एफसी अभी प्राप्त होनी थी।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2018) कि 8.3 कि.मी के सड़क कार्य में से 5.3 कि.मी समुचित रूप से पूर्ण किया गया और अन्य 1.3 कि.मी को जून 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। शेष 1.7 कि.मी के लिए वैकल्पिक तकनीकी समाधान को अंतिम रूप दिया जा रहा था।

2.3.3 केआईओपी में आउटसोर्सिंग के माध्यम से उत्पादन

उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केआईओपी में खनन प्रचालन आऊटसर्सिंग किए गए निजी ठेकेदारों से कराए गए थे जिन्होंने छोटे स्केल की मशीनरी के द्वारा खुले खनन क्षेत्र में लौह अयस्क को क्रश और स्क्रीन किया तथा खुली स्थिति (कवर के बिना) में टिपर्स के माध्यम से अयस्क को पहाड़ी के शीर्ष से ग्राहकों की साइट पर भेजा, जो कि तकनीकीकृत खनन से भिन्न था, जहां खुला क्षेत्र प्रचालन कम होते हैं और इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण पर कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।



चित्र 2.5: कुमारस्वामी लोह अयस्क खान में ट्रकों द्वारा लोह अयस्क का परिवहन

डोनीमलाई क्षेत्र में समस्त उत्पादन में कुमारस्वामी खान का योगदान 43 प्रतिशत (2013-14) और 49 प्रतिशत (2014-15 व 2016-17) के बीच था। निम्नलिखित तालिका वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान डोनीमलाई सैक्टर की डोनीमलाई और कुमारस्वामी लौह अयस्क खान में उत्पादित लौह अयस्क और प्रति टन उत्पादन लागत के ब्यौरे दर्शाती है।

तालिका 2.6 - डोनीमलाई तथा कुमारस्वामी खान में लौह अयस्क का उत्पादन और उत्पादन लागत

वर्ष	डोनीमलाई		कुमारस्वामी		समग्र		समग्र उत्पादन में कुमारस्वामी के उत्पादन का %
	उत्पादन (लाख टन में)	लागत प्रति टन (₹)	उत्पादन (लाख टन में)	लागत प्रति टन (₹)	उत्पादन (लाख टन में)	लागत प्रति टन (₹)	
2012-13	43.10	1198.65	39.27	503.87	82.37	867.42	48
2013-14	53.30	1590.41	39.91	437.66	93.21	1096.84	43
2014-15	52.84	1678.90	51.27	536.86	104.11	1116.39	49
2015-16	59.92	1394.18	56.27	342.07	116.19	884.65	48
2016-17	60.99	2241.07	58.99	537.18	119.98	1403.33	49

यह देखा जा सकता है कि कुमारस्वामी खान की उत्पादन लागत समीक्षाधीन पांच वर्षों की अवधि (2012-17) के दौरान डोनीमलाई खान से कम थी। इसके अलावा, कुमारस्वामी खान से आउटसोर्सिंग के माध्यम से उत्पादन डोनीमलाई खान से लौह अयस्क के उत्पादन के करीब-करीब समान था।

चूंकि, केआईओपी का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है तो, कंपनी द्वारा संशोधित एसएमपी-विजन 2025 के अनुसार 2018-19 तक 7 एमटीपीए के परिकल्पित उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना दूरस्थ प्रतीत होती है। इसके अलावा, केआईओपी के लिए रेलवे यार्ड में स्क्रीनिंग संयंत्र और लोडिंग संयंत्र की अनुपलब्धता के कारण कंपनी को केआईओपी में अपेक्षित सुविधाओं के पूरा होने तक खनन की आउटसोर्सिंग का सहारा लेना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप वायू एवं जल प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय समस्याएं हुईं जैसाकि कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इंगित किया था (मार्च 2018)।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2018) कि परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब कंपनी और ठेकेदारों दोनों के कारण हुआ था। पैकेज I एवं II मई 2017 में शुरू किए गए थे और निष्पादन गारन्टी जांच दिसंबर 2017 के दौरान की गई थी। पहुंच मार्ग निर्माण कार्य जुलाई 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। संधारणीय पर्यावरण हितैषी खनन कार्यकलापों को सुनिश्चित

करने के लिए केआईओपी क्रशिंग संयंत्र, डाऊनहिल कनवेयर और स्क्रीनिंग संयंत्र (एसपी-II) सुविधाओं की आवश्यकता तर्क संगत थी जो उत्पादन की आउटसोर्सिंग की बजाय आने वाले समय में कंपनी की सहायता करेगी। प्रबंधन ने यह भी बताया कि स्थानीय ग्रामीणों से शिकायतें और राज्य सरकार से आपत्तियां प्राप्त हुई थीं जिसने रेल या कनवेयर के माध्यम से अयस्क के परिवहन को आवश्यक बना दिया जोकि समय की मांग थी।

कंपनी 1992 से आउटसोर्सिंग के माध्यम से उत्पादन कर रही थी। यद्यपि कंपनी ने रेलवे यार्ड के साथ 7 एमटीपीए की क्षमता का लोडिंग संयंत्र स्थापित करने की परिकल्पना की थी, फिर भी अब तक इस मामले पर चर्चा चल रही थी (मार्च 2018)।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2018) कि रेलवे परामर्शदात्री कार्य मैसर्स माथा ट्रैक एवं इन्फ्राट्रैक, सिंकंदराबाद को दिया गया था (फरवरी 2018)। ड्राफ्ट तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अंतिम प्रस्तुतिकरण और रेलवे का अनुमोदन प्राप्त करना दिसंबर 2018 तक समाप्त हेतु निर्धारित था।

2.4 सांविधिक मंजूरियों की प्राप्ति

कंपनी ने 2018-19 तक 50 एमटीपीए का बढ़ा हुआ उत्पादन प्राप्त करने हेतु किरन्दुल में स्क्रीनिंग संयंत्र-III, डोनीमलाई में स्क्रीनिंग संयंत्र-II के निर्माण, किरन्दुल से कोठावालासा (केके) रेलवे लाइन के दोहरीकरण, स्लरी पाइपलाइन के निर्माण, डिपोजिट-13 और डिपोजिट 4 के विकास की योजना बनाई थी। उपरोक्त सुविधाओं के निर्माण कार्यकलापों के लिए पूर्वापेक्षा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएण्डसीसी) से पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) और स्टेज--I एवं स्टेज-II वन मंजूरी (एफसी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना सहमति (सीएफई) प्राप्त करना था। इसी और एफसी प्राप्त करने की निर्धारित प्रक्रिया निम्नानुसार है:

(क) पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी)

एमओईएफएण्डसीसी ने दिनांक 14.09.2006 की अधिसूचना के द्वारा सुनिर्धारित समय सीमाओं में नई परियोजनाओं/विस्तारण परियोजनाओं के निर्माण हेतु पर्यावरणीय मंजूरी देने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की थी। परियोजना प्रस्तावक/प्रयोक्ता एजेंसी से आवेदन की प्राप्ति पर

इसका मूल्यांकन विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा किया जाएगा जो संदर्भ शर्तें (टीओआर अर्थात्, आवेदक द्वारा पालन की जाने वाली शर्तें) निर्धारित करती है। संदर्भ शर्तों की प्राप्ति के बाद संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जन सुनवाई करनी होगी। पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना (परामर्शदाता द्वारा तैयार की गई) सहित जन सुनवाई के निर्णय आवेदक द्वारा एमओईएफएण्डसीसी को प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त आवेदन का ईएसी द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और ईएसी की सिफारिशों के आधार पर एमओईएफएण्डसीसी पर्यावरण मंजूरी देगा जिसे अंततः उस मामले में स्टेज-I वन मंजूरी पर आवेदक को जारी किया जाएगा जिसमें भूमि में वन भूमि शामिल है।

(ख) वन मंजूरी (एफसी)

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के आधार पर वन (संरक्षण) नियमावली, 2003 निर्धारित समय सीमा में वन भूमि के परिवर्तन हेतु पूर्व अनुमति देने के लिए 10.01.2003 को अधिसूचित की गई थी (जिसमें बाद में 2004 और 2014 में संशोधन किया गया था)। अन्य बातों के साथ-साथ यह नियमावली प्रावधान करती है कि परियोजना प्रस्तावक/प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदन की प्रस्तुति पर संबंधित राज्य का नोडल अधिकारी इसे संबंधित जिला वन अधिकारी को भेजता है। प्रस्तुत सूचना की यथावत जांच में संतुष्टि के पश्चात आवेदन को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से नोडल अधिकारी को भेजा जाता है। परिणामस्वरूप नोडल अधिकारी इसे समीक्षा के बाद राज्य वन विभाग के माध्यम से एमओईएफएण्डसीसी को भेजता है। मंत्रालय द्वारा इस प्रकार प्राप्त आवेदन का मूल्यांकन वन परामर्शदात्री समिति (एफएसी) द्वारा करना आवश्यक है; और एफएसी की सिफारिशों के आधार पर एमओईएफएण्डसीसी स्टेज-I वन मंजूरी (सैधांतिक रूप से) देता है जो आवेदक द्वारा पालन की जाने वाली शर्तें एवं निबंधन निर्धारित करती हैं। स्टेज-I मंजूरी में निर्धारित शर्तों के अनुपालन के संबंध में राज्य सरकार से अनुपालन रिपोर्ट की प्राप्ति पर और क्षतिपूरक वनरोपण और मौजूदा निवल मूल्य (एनपीवी) के प्रति प्रभारों के भुगतान पर अंतिम वन मंजूरी (स्टेज-II) दी जाएगी।

हमने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्यों में वन और राजस्व विभागों में कंपनी द्वारा उठाई गई उपरोक्त पहलों से संबंधित दस्तावेजों की जांच की और देखा कि कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के लिए मंजूरी प्राप्त करने में देरी हुई थी, जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.4.1 कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना (केआईओपी) में स्क्रीनिंग संयंत्र-II

अवधारणा चरण (अप्रैल 2003) में, कंपनी ने मौजूदा डोनीमलाई खान के प्रतिस्थापन के रूप में केआईओपी के विकास पर विचार किया क्योंकि डोनीमलाई खान में लौह अयस्क भंडार कम हो रहे थे। केआईओपी के लिए एक नया स्क्रीनिंग संयंत्र बनाने के बजाय डोनीमलाई खान के मौजूदा स्क्रीनिंग संयंत्र (एसपी) का उपयोग करने का प्रस्ताव किया गया था। यद्यपि डोनीमलाई में लौह अयस्क खानों का उत्पादन बढ़ाने पर मेकान लिमिटेड ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट¹⁶ (2007) में नए एसपी के लिए सिफारिश की क्योंकि मौजूदा एसपी ने अपना जीवन पूरा कर लिया। इसे शुरूआत में कंपनी द्वारा नहीं माना गया था। हालांकि, डोनीमलाई लौह अयस्क परियोजना (डीआईओपी) में अतिरिक्त भंडारों¹⁷ की पहचान के कारण, कंपनी ने केआईओपी के लिए एक द्वितीय स्क्रीनिंग संयंत्र (एसपी-II) के निर्माण का निर्णय लिया। मेकान ने जून 2013 में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार की और प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी) द्वारा यथोचित श्रम (12.09.2014) किया, जिसमें पूंजीगत लागत ₹399.75 करोड़ अनुमानित की गई। इस प्रस्ताव को बोर्ड ने अनुमोदित (28.11.2014) किया और परियोजना के लिए ईपीसीएम सलाहकार के तौर पर एम.एन. दस्तूर एंड कंपनी को नियुक्त किया।

(क) स्क्रीनिंग संयंत्र-II के लिए पर्यावरण मंजूरी

कंपनी ने मार्च 2014 में केआईओपी के स्क्रीनिंग संयंत्र-II हेतु पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के लिए आवेदन किया था। कंपनी द्वारा ईसी की मांग करने में घटनाओं का क्रम, साथ ही प्रत्येक चरण में देरी के कारण, नीचे संक्षेप में दिए गए हैं:

¹⁶ लौह अयस्क खानों का उत्पादन बढ़ाने पर तकनीकी रिपोर्ट-खंड-I डोनीमलाई लौह अयस्क खान

¹⁷ 2010 के बाद खोजे गए अतिरिक्त भंडार 94.70 एमटी थे।

तालिका 2.7 - स्क्रीनिंग संयंत्र-II के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में ध्यान में आये मुद्दे

पर्यावरण एमओईएफएवंसीसी के पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार आपेक्षित कार्रवाई	इआईए अधिसूचना के अनुसार निर्धारित समय	वास्तव में लिया गया समय	अभ्युक्ति/ देरी के लिए कारण
आवेदन दाखिल करने के 60 दिनों के अन्दर संदर्भ शर्ते (टीओआर) जारी की जानी थी।	60 दिन	234 दिन (10.03.2014 से 30.10.2014)	एमओईएफएंडसीसी की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने (मई 2014) में संयंत्र के नाम को स्क्रीनिंग संयंत्र-II से स्क्रीनिंग और बोनिफिसिएशन संयंत्र-II में बदलने की सलाह दी। तदनुसार, कंपनी ने संशोधित आवेदन प्रस्तुत (जून 2014) किया। यद्यपि, 1 जुलाई 2014 से ऑनलाइन प्रणाली के लागू होने के कारण एमओईएफएन्डसीसी द्वारा उक्त को नहीं माना गया था। इसलिए, कंपनी ने ऑनलाइन आवेदन पुनः प्रस्तुत किया (सितम्बर 2014)। एमओईएफएंडसीसी ने अक्टूबर 2014 में संदर्भ शर्ते जारी कीं।
कंपनी द्वारा टीओआर में शर्तों के अनुपालन को प्रस्तुत करना	90 दिन	318 दिन (28.09.2015 से 11.08.2016)	<u>टीओआर के संशोधन हेतु अनुरोध:</u> टीओआर की प्राप्ति के 10 महिनों बाद, कंपनी ने परियोजना के लिए 39.32 हैक्टेयर से 75.92 हैक्टेयर अपेक्षित भूमि बढ़ जाने के कारण टीओआर के संशोधन हेतु अनुरोध किया (अगस्त 2015)। तदनुसार सितम्बर 2015 में एमओईएफएंडसीसी द्वारा संशोधित टीओआर जारी किया गया था।

पर्यावरण एमओईएफएवंसीसी के पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार आपेक्षित कार्रवाई	इआईए अधिसूचना के अनुसार निर्धारित समय	वास्तव में लिया गया समय	अन्युक्ति/ देरी के लिए कारण
(जैसे पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट मसौदा तैयार करना, पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से ग्राम सभा का आयोजन करना)			पीसीबी ने ग्राम सभा का आयोजन किया और मई 2016 में एमओईएफएवंसीसी को अंतिम कार्रवाई अग्रेषित की। इस प्रकार, ईआईए अधिसूचना में निर्धारित 45 दिनों के मुकाबले पीसीबी ने ग्राम सभा के लिए 7 महिने का समय लिया। कंपनी ने अगस्त 2016 में टीओआर के अनुपालन को प्रस्तुत किया। मामले को अक्टूबर 2016 में ईएसी (गैर-कोयला) के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया था। उक्त को ईएसी (उद्योग-I) को हस्तांनातरित किया था और नवम्बर 2016 में इसके द्वारा समीक्षा की गई थी। ईएसी ने टीओआर की कुछ शर्तों का अननुपालन देखा और कहा कि एक उप समिति परियोजना स्थल का दौरा करें और आगे के विचार के लिए अपनी सिफारिशे प्रस्तुत करेगी। कंपनी ने अनुपालन रिपोर्ट (ईएसी द्वारा बताई गई शर्तों के संबंध में) फरवरी 2017 में, अर्थात् एमओईएफ द्वारा टीओआर के जारी करने के 17 महीने बाद, प्रस्तुत की।
ईएसी द्वारा बतायी गई कमियों के अनुपालन को प्रस्तुत करना। अंतिम ईआईए	60 दिन	110 दिन (20.02.2017 से 09.06.2017)	ईएसी के निर्देशों के आधार पर, एमओईएफएंडसीसी की उप-समिति ने प्रस्तावित परियोजना के स्थल का दौरा किया और मई 2017 के दौरान ईएसी की आपत्तियों पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। इसके आधार पर,

पर्यावरण एमओईएफएवंसीसी के पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार आपेक्षित कार्रवाई	इआईए अधिसूचना के अनुसार निर्धारित समय	वास्तव में लिया गया समय	अभ्युक्ति/ देरी के लिए कारण
रिपोर्ट की प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर ईएसी में प्रस्ताव को मंजूरी			ईएसी ने कंपनी द्वारा चरण-I वन मंजूरी की प्राप्ति के अधीन ईसी प्रदान करने की सिफारिश (जून 2017) की।

इस प्रकार, कंपनी द्वारा किए गए आवेदन के तीन वर्षों के बाद केआईओपी के स्क्रीनिंग संयंत्र-II के लिए ईसी प्राप्त हुई। संशोधित टीओआर हेतु आवेदन करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने में कंपनी के हिस्से में विफलता के साथ राज्य पीसीबी के ग्राम सभा के आयोजन में देरी और एमओईएफएंडसीसी को अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने में देरी ने ईसी प्राप्त करने में लगने वाले समय में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

(ख) स्क्रीनिंग संयंत्र-II के लिए वन मंजूरी (चरण-I)

कंपनी ने दिसम्बर 2014 में वन मंजूरी (चरण-I) के लिए आवेदन किया। वन नियमों में निर्धारित समय-सारणी के अनुरूप एमओईएफएंडसीसी और राज्य वन एवं राजस्व विभागों में आवेदन का निपटान नीचे दिया गया है।

तालिका 2.8 - स्क्रीनिंग संयंत्र-II के लिए वन मंजूरी (चरण-I) प्राप्त करने में ध्यान में आये मुद्दे

एमओईएफएंडसीसी द्वारा अधिसूचित वन (संरक्षण) नियमावली 2003/2004/2014 के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई	वन अधिनियम द्वारा निर्धारित समय	वास्तव में लिया गया समय	अभ्युक्ति/ विलंब के कारण
कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए ऑन लाईन आवेदन की स्वीकृति	कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई	511 दिन (13.12.2014 से 07.05.2016)	नोडल अधिकारी (एपीसीसीएफ, बैंगलुरु) ने देखा (दिसम्बर 2014) कि कंपनी ने मौजूदा नियमों के अनुसार डिफ्रेशियल वलोबल पोजिशनिंग प्रणाली

एमओईएफएंडसीसी द्वारा अधिसूचित वन (संरक्षण) नियमावली 2003/2004/2014 के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई	वन अधिनियम द्वारा निर्धारित समय	वास्तव में लिया गया समय	अन्युक्ति/ विलंब के कारण
	क्योंकि स्वीकृति आवेदन की पूर्णता पर निर्भर है		<p>(डीजीपीएस) का उपयोग करके सर्वेक्षण की गई भूमि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।</p> <p><u>कंपनी द्वारा नया आवेदन प्रस्तुत करना</u></p> <p>कंपनी ने जुलाई 2015 में डीजीपीएस सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण के आधार पर, भूमि की आवश्यकता प्रस्तावित 39.32 हैक्टेयर के बजाय 75.92 हैक्टेयर पाया गया। इसलिए, डीजीपीएस सर्वेक्षण आयोजित करने के बाद, कंपनी ने अगस्त 2015 में संशोधित आवेदन प्रस्तुत किया और भूमि की आवश्यकता बढ़ने के कारण संशोधित संदर्भ शर्तें (टीओआर) भी जारी करने अनुरोध किया गया। नोडल अधिकारी ने आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रासंगिक जानकारी में कमियों को देखा जो कंपनी को दिनांक 25.08.2015, 03.10.2015, 16.10.2015, 24.11.2015 और 16.02.2016 को सूचित की गई थी। सभी अपेक्षित जानकारी की प्राप्ति (अप्रैल 2016) पर, नोडल अधिकारी ने दिनांक 07.05.2016 को आवेदन स्वीकार</p>

एमओईएफएंडसीसी द्वारा अधिसूचित वन (संरक्षण) नियमावली 2003/2004/2014 के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई	वन अधिनियम द्वारा निर्धारित समय	वास्तव में लिया गया समय	अभ्युक्ति/ विलंब के कारण
			किया। इस प्रकार, नोडल अधिकारी द्वारा मांगी गई जानकारी को प्रस्तुत करने में कंपनी ने 8 महीने अतिरिक्त लिए।
उप- वन संरक्षक (डीसीएफ) बेल्लारी द्वारा 60 दिनों में प्रस्ताव का निपटान	60 दिन	लंबित	<p>नोडल अधिकारी द्वारा ऑन लाईन आवेदन की स्वीकृति पर, कंपनी ने मई 2016 में डीसीएफ को संलग्नको सहित आवेदन की गई हार्ड प्रति प्रस्तुत की। डीसीएफ, बेल्लारी ने कुछ अनिवार्य विवरण (अगस्त 2016) मांगे जैसे (i) क्षतिपूर्ति वनरोपण के लिए वन विभाग को हस्तांतरण के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्व भूमि का आवंटन (ii) वन अधिकार अधिनियम 2006 के अधीन जिला कलेक्टर से प्रमाण-पत्र।</p> <p><u>कंपनी द्वारा आवेदन का पुनः प्रस्तुतीकरण</u></p> <p>कंपनी ने डीसीएफ बेल्लारी को 14 महिने के बाद आवेदन पुनः प्रस्तुत (दिसम्बर 2017) किया वह भी ऊपर मांगे गए पूर्ण विवरण के बिना।</p>

हमने देखा कि दिसम्बर 2014 में एफसी के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से पहले, कंपनी ने प्रस्तावित भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया। डीजीपीएस सर्वेक्षण आयोजित करने से पहले, कंपनी ने प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण (अप्रैल 2015) में किया जिसके

परिणामस्वरूप अपेक्षित भूमि का क्षेत्र 39.32 हैक्टेयर से 75.92 हैक्टेयर तक बढ़ गया। इसके अलावा जीवन पर्याप्तता की गणना करने के बाद टेलिंग बांधों 1 एवं 2 के संबंध में अनुमानित 13.40 मिलियन टन की प्रारंभिक क्षमता को घटाकर 8.52 मिलियन टन कर दिया गया। विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद, कंपनी ने वन विभाग को प्रस्तुत करने के लिए डीजीपीएस सर्वेक्षण (जुलाई 2015) किया था। इस प्रकार, कंपनी ने डीजीपीएस सर्वेक्षण करने के लिए 15 महीने (एफसी के लिए आवेदन की तारीख से) का समय लिया और नोडल अधिकारी द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत की। इसके अलावा, कंपनी ने 14 महीने की समाप्ति के बाद भी डीसीएफ, बेल्लारी द्वारा मांगे (अगस्त 2016) गए जरूरी विवरण अभी तक (दिसम्बर 2017) प्रस्तुत नहीं किए थे।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि उसे आवेदन को ऑनलाईन प्रस्तुत करने के कारण और परियोजना के नाम को बदलने के कारण ईसी/एफसी के लिए आवेदन पुनः प्रस्तुत करना पड़ा। पहले प्रस्तावित एक के बजाय दो टेलिंग बांधों की योजना के कारण 39.32 हैक्टेयर से 75.92 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता के परिवर्तन के कारण इसमें और देरी हुई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने एफसी और ईसी के लिए आवेदन करने से पहले विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया था जिसके कारण वन विभाग को डीजीपीएस मानचित्र प्रस्तुत करने में देरी हुई और टीओआर के संशोधन के लिए आवेदन को पुनः प्रस्तुत किया। इसके अलावा, टेलिंग बांधों के एक से दो बढ़ने के कारण भूमि की आवश्यकता नहीं बढ़ी थी क्योंकि कंपनी ने पहले बताये दो टेलिंग बांधों के साथ अपनी प्रारंभिक एफसी आवेदन (दिसम्बर 2014) में प्रस्तुत की थी।

मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि वेट प्रक्रिया के कारण उत्पन्न स्लाईम्स को समायोजित करने लिए अधिक क्षेत्र के साथ टेलिंग बांधों की योजना और खानों की परिचालन अवधि को ध्यान में लेने के कारण क्षेत्र 75.92 हैक्टेयर तक बढ़ गया था।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखने की आवश्यकता है कि यद्यपि परियोजना के क्षेत्र में वृद्धि हुई, जीवन पर्याप्तता की गणना करने के बाद टेलिंग बांध 1 व 2 के संबंध में 13.40 मिलियन टन की अनुमानित प्रारंभिक क्षमता को घटाकर 8.52 मिलियन टन कर दिया गया। अतः, क्षेत्र में वृद्धि को टेलिंग बांधों पर आरोपित नहीं किया जा सकता है।

(ग) राजस्व भूमि का आवंटन प्राप्त करने में किए गए प्रयास

नोडल अधिकारी (वन विभाग) को ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने के तुरन्त बाद, चरण-I वन मंजूरी के लिए, कंपनी ने वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के अंतर्गत बेल्लारी के जिला राजस्व प्राधिकारियों को राजस्व भूमि के आवंटन के लिए और प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए। इस संबंध में, यह देखा गया था कि:

- (i) कंपनी ने राजस्व प्राधिकारियों को भूमि विवरण (जून 2016) प्रस्तुत करने में 6 माह का समय लिया यद्यपि कंपनी ने जनवरी 2016 में उपरोक्त परियोजना के लिए भूमि की पहचान कर ली थी। यह विलंब कंपनी द्वारा अन्य परियोजनाओं की भूमि आवश्यकता को जोड़ने के कारण हुई थी।
- (ii) तहसीलदार/उप-मंडल कार्यालय के माध्यम से विवरण का सत्यापन करने के बाद, प्रस्ताव को जिला राजस्व प्राधिकारियों द्वारा राजस्व विभाग, कर्नाटक सरकार को (मई 2017) अग्रेषित किया गया था।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि वह क्षतिपूर्ति वनरोपण करने के लिए राजस्व भूमि को वन विभाग के नाम में हस्तांतरित (फरवरी 2018) कर सका।

(घ) वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के अंतर्गत प्रमाण-पत्र

अगस्त 2015 में कम्पनी से प्राप्त आवेदन को जिला प्राधिकारियों ने सात महिने बाद (मार्च 2016) संबंधित ग्राम पंचायत को अग्रेषित किया, जिसके कारण रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थे। इसके अलावा, मई 2016 में आयोजित ग्राम सभा के आठ महिने बाद कारणों को रिकार्ड किए बिना ग्राम पंचायत ने संकल्प (जनवरी 2017) उप-मंडल समिति को अग्रेषित किया। उप-मंडल समिति और जिला स्तरीय समिति (अप्रैल 2017) के द्वारा दी गई सलाह के अनुसार आज की तारीख (जनवरी 2018) तक सर्वेक्षण संख्या, भूमि क्षेत्र और प्रमाण-पत्र, कि विचलन से कोई वनवासी प्रभावित नहीं हो रहा है, को स्पष्ट रूप से वर्णित करते हुए संशोधित संकल्प प्रस्तुत करने में ग्राम पंचायत असफल रही थी। जिला प्राधिकारियों के कार्यालय से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस संबंध में कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड नहीं था। इस बात को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने अभी तक (मार्च 2018) चरण-I वन मंजूरी और स्क्रीनिंग संयंत्र-II हेतु पर्यावरण मंजूरी प्राप्त नहीं की थी।

प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (मार्च/जुलाई 2018) कि ग्रामीणों की अनुचित मांगों के साथ-साथ पंचायत विकास अधिकारी और पंचायत सदस्यों के बीच समन्वय की कमी थी, जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर थे और अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयास किए गए थे।

मंत्रालय जिला राजस्व प्राधिकारी द्वारा एफआरए प्रमाण-पत्र देने और राज्य राजस्व विभाग द्वारा अनिवार्य वनरोपण के लिए राजस्व भूमि प्रदान करने में देरी का मूल्यांकन करने में असफल रहा जबकि संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय (मई 2017) ने कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव को संबोधित करते हुए पत्र में वन मंजूरी को शीघ्र प्रदान करने अनुरोध किया गया था। परिणामस्वरूप, उपर्युक्त पत्र में इन समस्याओं को संप्रेषित नहीं किया सका।

2.4.2 किरांतुल परिसर में स्क्रीनिंग संयंत्र-III

कंपनी ने 2005 में परियोजना 11-बी खान (तीन एमटीपीए क्षमता सहित) के विकास के आरंभ के समय, केवल क्रशिंग संयंत्र और डाउनहिल कन्वेयर बनाने की परिकल्पना की थी और डिपोजिट 14 और डिपोजिट 11-सी की मौजूदा स्क्रीनिंग एवं लदान सुविधाओं का उपयोग करने का निश्चय किया था। बाद में, 2007 में, कंपनी ने डिपोजिट 14 में 160 मिलियन टन के अतिरिक्त लौह अयस्क भंडार मिलने के कारण व मौजूदा स्क्रीनिंग संयंत्र पुराना हो जाने के कारण इसको बदलने व 12 एमटीपीए की क्षमता के साथ एक नया स्क्रीनिंग संयंत्र के निर्माण की आवश्यकता महसूस की। उपर्युक्त स्क्रीनिंग संयंत्र के लिए अपेक्षित क्षेत्र 74.236 हैक्टेयर था जिसमें 65.936 हैक्टेयर वन भूमि और 8.30 हैक्टेयर गैर-वन भूमि शामिल थी। इस परियोजना के लिए अपेक्षित मंजूरी/सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया की लेखापरीक्षा द्वारा जांच की गई थी और लेखापरीक्षा आपत्तियों की नीचे चर्चा की गई है।

(क) स्क्रीनिंग संयंत्र-III के लिए पर्यावरण मंजूरी

कंपनी ने दिनांक 31 अक्टूबर 2008 को 74.236 हैक्टेयर की भूमि के लिए पर्यावरण मंजूरी हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत किया। फरवरी 2009 में ईएसी द्वारा संदर्भ शर्तें जारी की गयी थी और जनवरी 2010 में कंपनी द्वारा उक्त की अनुपालना प्रस्तुत की गई थी। हालांकि जनवरी 2010 की ईएसी की बैठक में इस पर विचार किया गया था, चरण-I वन मंजूरी की प्राप्ति तक प्रस्ताव को डी-लिस्ट¹⁸ करने की सिफारिश की गई थी। नवम्बर 2013 में एमओईएफएंडसीसी द्वारा ईसी प्रदान की गई थी, भले ही कंपनी ने जनवरी 2012 में चरण-I वन मंजूरी की प्राप्ति के तुरन्त बाद ही उक्त के लिए आवेदन किया था। देरी निम्नलिखित कारणों से हुई थी:

¹⁸ एमओईएफएंडसीसी ने पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने से पूर्व चरण-I वन अनुमति प्राप्त करने की एक पूर्व-शर्त रखी। ऐसे समय तक, ईएसी बैठक में विचार करने तक प्रस्ताव को लंबित सूची में से हटाया जाएगा।

- एमओईएफएंडसीसी में छह महिने की देरी हुई थी क्योंकि मंत्रालय में फाइल का पता नहीं लगाया जा सका था, जिसने (जुलाई 2012) कंपनी को सहायक दस्तावेजों के साथ घटनाओं को कालक्रम अनुसार प्रस्तुत करने के निर्देश दिया था।
- फाइल मार्च 2013 तक एमओईएफएंडसीसी में लंबित पड़ी रही यद्यपि कंपनी ने जुलाई 2012 में तुरन्त जानकारी प्रस्तुत कर दी परिणामतः छह महीने का अधिक विलंब हुआ।
- कंपनी को ईएसी द्वारा मंजूरी (जून 2013 में) के साथे चार माह बाद मंत्रालय के अंतिम अनुमोदन (नवम्बर 2013) की जानकारी दी गयी जो 45 दिनों की निर्धारित समय सीमा से आगे था।
- ईसी में उल्लिखित भूमि के क्षेत्र में त्रुटि अर्थात् 74.236 हैक्टेयर की कुल आवेदित भूमि के स्थान पर 65.936 हैक्टेयर को कंपनी द्वारा देखा नहीं गया था जब तक कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) ने स्थापना के लिए सहमति (सीएफई) जारी करने से पहले तुरन्त इसे इंगित (अक्टूबर 2016) नहीं किया। कंपनी ने संशोधित ईसी को जारी करने लिए एमओईएफएंडसीसी को अनुरोध किया (दिसम्बर 2016) व उसे मार्च 2017 में प्राप्त किया। परिणामस्वरूप, सीईसीबी द्वारा जुलाई 2017 में सीएफई प्रदान की गयी। इस प्रकार, कंपनी के कारण 38 महीनों (नवम्बर 2013 से दिसम्बर 2016 तक) का परिहार्य विलंब हुआ।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि उसने अपने आवेदन में भूमि का क्षेत्र सही तरह से उल्लिखित किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने नवम्बर 2013 में ईसी की प्राप्ति के समय में भूमि क्षेत्र में गलती पर ध्यान देने की विफलता पर टिप्पणी की है न कि आवेदन प्रस्तुत करने के समय पर।

मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि कंपनी ने केवल 65.936 हैक्टेयर ईसी के लिए आवेदन किया था क्योंकि शेष 8.30 हैक्टेयर भूमि पहले से ही मौजूदा डिपोजिट-14 एनएमज़ेड खनन पट्टे का भाग थी जो पहले से ही कंपनी के स्वामित्व में था। चूंकि, सीईसीबी ने 8.30 हैक्टेयर भूमि के लिए ईसी हेतु जोर दिया, कंपनी को मई 2017 में ईसी में संशोधन अर्जित करना पड़ा।

ईआईए अधिसूचना 2006 दिनांक 14.09.2006 का पैरा 1 यह प्रावधान निर्धारित करता है कि नई परियोजनाओं या गतिविधियों का निर्माण या मौजूदा परियोजनाओं या गतिविधियों

का विस्तार या आधुनिकीकरण या उस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध गतिविधियों को प्रक्रिया में परिवर्तन के साथ क्षमता वृद्धि और/या प्रौद्योगिकी केन्द्र सरकार से पूर्व पर्यावरण मंजूरी के पश्चात ही प्रदान की जाएगी। इसलिए, सम्पूर्ण भूमि के लिए इसी अपेक्षित था। सम्पूर्ण भूमि के लिए इसी प्राप्त करने में निष्क्रियता और केवल सीईसीबी के जोर देने पर ऐसा करना कंपनी के हिस्से में और देरी जोड़ता है।

(ख) स्क्रीनिंग संयंत्र-III (चरण-I) के लिए वन मंजूरी

कंपनी ने नोडल अधिकारी को 65.936 हैक्टेयर वन भूमि के परिवर्तन हेतु आवेदन (सितम्बर 2008) किया था। कंपनी, एमओईएफएंडसीसी, राज्य वन एवं राजस्व विभाग के द्वारा वन नियमों में निर्धारित समय सीमा के अनुसार प्रस्ताव की मंजूरी के लिए किए गए प्रयास नीचे दिये गए हैं:

तालिका 2.9 - स्क्रीनिंग संयंत्र-III (चरण-I) के लिए वन मंजूरी प्राप्त करने में देखे गए मुद्दे

एमओईएफएंडसीसी द्वारा अधिसूचित वन (संरक्षण) नियम 2003/2004/2014 के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई	वन अधिनियम द्वारा निर्धारित समय	वास्तव में लिया गया समय	अभ्युक्ति/ देरी के लिए कारण
कंपनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की स्वीकृति	कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई क्योंकि स्वीकृति आवेदन की पूर्णता पर निर्भर है	5 दिन (25.09.2008 से 30.09.2008)	कंपनी का आवेदन नोडल अधिकारी ने प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) दंतेवाड़ा को अग्रेषित किया (सितम्बर 2008) व इसे डीएफओ के द्वारा मंजूरी दे दी गयी और अक्टूबर 2008 में मुख्य वन संरक्षण को अग्रेषित किया गया।
डीएफओ सीसीएफ की आपत्तियों निपटान	कोई समय सीमा निर्धारित नहीं	46 दिन (29.08.2009 से 14.10.2009)	सीसीएफ ने कुछ आपत्तियां (जून 2009) उठाई जिस पर कंपनी ने अगस्त 2009 में डीएफओ को जानकारी प्रस्तुत की। डीएफओ ने अक्टूबर 2009 में उक्त को सीसीएफ को अग्रेषित किया।
सीसीएफ की अन्य आपत्तियां	कोई समय सीमा निर्धारित नहीं	184 दिन (16.02.2010)	अक्टूबर 2009 में डीएफओ द्वारा अपेक्षित जानकारी अग्रेषित करने के

एमओईएफएंडसीसी द्वारा अधिसूचित वन (संरक्षण) नियम 2003/2004/2014 के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई	वन अधिनियम द्वारा निर्धारित समय	वास्तव में लिया गया समय	अभ्युक्ति/ देरी के लिए कारण
		से 19.08.2010)	बाद, सीसीएफ ने अन्य आपत्तियां (फरवरी 2010) उठाईं जिनका अगस्त 2010 में छह महीने की देर के बाद डीएफओ द्वारा जवाब दिया गया था।
राज्य सरकार द्वारा एमओईएफएंडसीसी को आवेदन अग्रेषित करना	20 दिन	42 दिन (14.12.2010 से 25.01.2011)	राज्य सरकार ने दिसम्बर 2010 में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एपीसीसीएफ) से प्राप्त जानकारी के बाद जनवरी 2011 में एमओईएफएंडसीसी को आवेदन अग्रेषित किया गया।
एमओईएफएंडसीसी में प्रस्ताव के आगे की प्रक्रिया	85 दिन	205 दिन (02.02.2011 से 26.08.2011)	निर्धारित 10 दिनों के प्रति पांच महीने की देरी के बाद जुलाई 2011 में एमओईएफएंडसीसी द्वारा आवेदन का पंजीकरण किया गया था यद्यपि यह फरवरी 2011 में प्राप्त हुआ था। आवेदन को अगस्त 2011 में वन सलाहकारी समिति को प्रस्तुत किया गया था। एफएसी ने चरण-I वन मंजूरी प्रदान करने की सिफारिश की।
चरण-I वन मंजूरी का अनुमोदन	30 दिन	144 दिन (26.08.2011 से 17.01.2012)	यद्यपि अगस्त 2011 में एफएसी द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, निर्धारित 30 दिनों के प्रति 5 महीने की देरी के बाद जनवरी 2012 में मंत्रालय द्वारा अंतिम मंजूरी दी गई थी। अंततः 17.01.2012 को चरण-I वन मंजूरी प्रदान की गई थी।

इस प्रकार, वन (संरक्षण) नियमावली के अधीन 280 दिनों की निर्धारित अवधि के प्रति चरण-I वन मंजूरी की प्राप्ति में लगभग 40 महीने लग गए। देरी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का वन विभाग और एमओईएफएंडसीसी जिम्मेदार थे।

(ग) स्क्रीनिंग संयंत्र-III (चरण-II) के लिए वन मंजूरी

वन मंजूरी चरण-I की शर्तों में से एक शर्त व्यापक वन्य जीवन योजना तैयार करना था। कंपनी के द्वारा सम्पूर्ण मंडल के लिए या प्रभावित क्षेत्र के लिए वन्य जीवन योजना तैयार करने के संबंध में स्पष्टीकरण (अगस्त 2012) के लिए अनुरोध को एमओईएफएंडसीसी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया था और इसलिए कंपनी ने मई 2013 में सम्पूर्ण मंडल के लिए उक्त को तैयार कर लिया। इसे दिसम्बर 2013 में मुख्य वन्य जीव वार्डन, रायपुर द्वारा मंजूरी दी गई थी और वन्य जीवन योजना को कार्यान्वित करने के लिए अप्रैल 2014 में ₹15.50 करोड़ का भुगतान भी किया गया था। कंपनी ने 04 अक्टूबर 2014 को अंतिम अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे राज्य सरकार, द्वारा एमओईएफएंडसीसी को 10 दिसम्बर 2014 को अग्रेषित की गई थी। इसे सक्षम प्राधिकारी को, वन नियमावली द्वारा निर्धारित 20 दिनों के मुकाबले 99 दिनों के विलंब के बाद बिना किसी कारणों को दर्ज किए, 19 मार्च 2015 को प्रस्तुत किया गया था। अंततः अप्रैल 2015 में वन मंजूरी चरण-II को मंजूरी प्रदान की गई थी। हालांकि, कंपनी ने अक्टूबर 2016 में ही स्थापना के लिए सहमति (सीईफई) हेतु आवेदन किया अर्थात् 18 महीने की देरी के बाद जिसके के लिए कोई कारण दर्ज नहीं थे।

प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (मार्च/जुलाई 2018) कि इसने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) को सितम्बर 2009 में ही स्थापना हेतु सहमति के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीईसीबी वन मंजूरी/पर्यावरण मंजूरी को प्रस्तुत करने के बाद ही सीएफई को मंजूरी देता है। हालांकि, कंपनी द्वारा सितम्बर 2009 में बिना कोई अनुमति प्राप्त किए सीएफई के लिए आवेदन किया जाना निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं था।

(घ) सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने से पूर्व निर्माण ठेका प्रदान करना

अग्रिम कार्रवाई के रूप में, कंपनी ने किरनडुल परिषद में मालिंगर पम्प हाऊस से स्क्रीनिंग संयंत्र जलाशय तक 500 क्यूबिक मी. प्रतिघंटा पानी पम्प करने और आपूर्ति के लिए कार्य टेक्नोफेब इंजीनियरिंग लिमिटेड (टीएफई) नई दिल्ली को ₹13.87 करोड़ की अनुबंधित कीमत पर प्रदान किया जो कि 18 महीने के भीतर अर्थात् 10 फरवरी 2010 तक पूर्ण हो

जाना चाहिए था। ठेकेदार ने दिसम्बर 2010 तक ₹5.64 करोड़ की लागत की सामग्री की आपूर्ति की। हालांकि, बकाया कार्य कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि कंपनी अनिवार्य वन एवं पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में विफल हो गई और ठेका प्रदान करने की तारीख से सात वर्ष बाद जनवरी 2015 (11 जनवरी 2015) में ठेका बंद कर दिया था। ₹4.59 करोड़ मूल्य की सामग्रियां स्टोर में अभी भी बेकार पड़ी थीं। इस प्रकार, सांविधिक मंजूरी प्राप्त किए बिना कंपनी के कार्य प्रदान करने की अविवेकपूर्ण कार्रवाई के परिणामस्वरूप ₹4.59 करोड़ मूल्य की सामग्री बेकार पड़ी रही।

प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (मार्च/जुलाई 2018) कि कार्य में प्रगति नहीं हुई क्योंकि स्थानीय मुद्दे और पाईप लाइन डालने के लिए अपेक्षित सांविधिक मंजूरी प्राप्त नहीं हुई तथा बेकार पड़े स्टोरों का प्रयोग स्क्रीनिंग संयंत्र-III परियोजना में किया जाएगा।

2.5 निकासी सुविधाओं में वृद्धि

कंपनी द्वारा लौह अयस्क की आपूर्ति/निकासी मुख्यतः रेल के द्वारा की जाती थी जबकि अपने ग्राहकों को छोटी मात्रा सड़क मार्ग के द्वारा पहुँचाई जाती थी। किरनडुल परिसर में, कंपनी के दीर्घकालिक ग्राहक एस्सार लिमिटेड को लौह अयस्क की आपूर्ति कन्वेयर¹⁹ के माध्यम से की जा रही थी जिसे स्लरी पाइपलाइन के माध्यम से बेनिफिशियेट²⁰ करके एस्सार के विशाखापत्तनम संयंत्र को ले जाया गया था। यह देखा गया कि बैलाडीला क्षेत्र में निकासी सुविधाओं में कई कमियां थीं। बैलाडीला क्षेत्र में लौह अयस्क की कुल निकासी क्षमता 24 एमटीपीए अर्थात् किरनडुल-कोठावालसा रेलवे लाइन के माध्यम से 16 एमटीपीए और स्लरी पाइप लाइन के माध्यम से 8 एमटीपीए थी। निम्नलिखित तालिका 31 मार्च 2017 को समाप्त पांच वर्ष की अवधि के दौरान विभिन्न तरीकों के माध्यम से लौह अयस्क की निकासी के विवरण का संकेत करती है।

¹⁹ बैल्ट कन्वेयर प्रणाली में कन्वेयर बैल्ट ही दुलाई माध्यम होती है।

²⁰ लौह अयस्क की सान्द्रता को सुधारने और अशुद्धियों को हटाने के लिए विभिन्न तकनीकों जैसे क्रशिंग, मिलिंग और स्क्रीनिंग का प्रयोग करते हुए सामान्यतः लौह अयस्क के कम स्तर के स्त्रोतों में बेनिफिशिएशन आवश्यक होती है।

तालिका 2.10 - विभिन्न तरीको के माध्यम से लौह अयस्क की निकासी

(टनों में)

वर्ष	इकाई	रेल द्वारा	सड़क मार्ग द्वारा	केन्वेयर द्वारा (स्लरी पाइप लाइन)	कुल
2012-13	बचेली	11606154.60	369805.50	0.00	11975960.10
	किरनडुल	5380028.00	258357.00	886403.00	6524788.00
		16986182.60	628162.50	886403.00	18500748.10
2013-14	बचेली	11925395.00	308775.40	0.00	12234170.40
	किरनडुल	6999209.00	293047.00	1892673.00	9184929.00
		18924604.00	601822.40	1892673.00	21419099.40
2014-15	बचेली	11090477.70	347505.00	0.00	11437982.70
	किरनडुल	4959941.00	384838.00	3951550.00	9296329.00
		16050418.70	732343.00	3951550.00	20734311.70
2015-16	बचेली	9315377.80	208871.70	0.00	9524249.50
	किरनडुल	3233814.00	256532.00	3576737.00	7067083.00
		12549191.80	465403.70	3576737.00	16591332.50
2016-17	बचेली	11457030.40	103253.10	0.00	11560283.50
	किरनडुल	5046325.00	303471.00	6163243.00	11513039.00
		16503355.40	406724.10	6163243.00	23073322.50

यह देखा जा सकता है कि कंपनी ने अपनी 16 एमटीपीए की क्षमता के प्रति रेल लाइन के माध्यम से 12.55 एमटीपीए से 18.92 एमटीपीए के बीच में लौह अयस्क की निकासी की। इसके अलावा, कंपनी ने उपर्युक्त अवधि के दौरान अपनी 8 एमटीपीए क्षमता के प्रति एस्सार लिमिटेड की स्लरी पाइप लाइन के माध्यम से 0.89 एमटीपीए से 6.16 एमटीपीए के बीच लौह अयस्क की निकासी की थी।

मंत्रालय के साथ एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जून 2018), प्रबंधन के कहा कि 01.04.2017 से वैगन क्षमता 70 टन प्रति वैगन से 78 टन प्रति वृद्धि बढ़ने के कारण रेलवे लाइन (केके लाइन) की निकासी क्षमता को 16 एमटीपीए से 24 एमटीपीए तक बढ़ाया गया।


हमने देखा कि कंपनी ने 70 टन प्रति वैगन के साथ 2012-13 से 2016-17 के दौरान केके लाइन के माध्यम से एक वर्ष में केवल 18.92 मिलियन टन का अधिकतम लौह अयस्क का परिवहन किया। 8 टन प्रति वैगन की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, केके लाइन की कुल

क्षमता केवल 21.08²¹ एमटीपीए तक काम करेगी और कंपनी द्वारा दावा किए गए 24 एमटीपीए तक नहीं होगी। इस प्रकार, बैलाडिला क्षेत्र में 36 एमटीपीए²² कुल निकासी आवश्यकता के मुकाबले 7 एमटीपीए की कमी के चलते कुल निकासी क्षमता 29 एमटीपीए (केके लाइन-21 एमटीपीए और एस्सार स्लरी लाइन-8 एमटीपीए) ही पहुंची।

नीतिगत प्रबंधन योजना - विजन-2025 के अनुसार परिकल्पित उत्पादन लक्ष्यों की निकासी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रम में, कंपनी ने परियोजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव रखा, नामतः जगदलपुर से किरनडुल (150.462 किमी.) तक केके रेलवे लाइन दोहरीकरण रोवघाट और जगदलपुर (140 किमी.) के बीच नई रेलवे लाइन का निर्माण, दो भागों में बैलाडिला क्षेत्र में दूसरी स्लरी पाइपलाइन का निर्माण जैसे भाग-क स्वयं एनएमडीसी द्वारा बचेली से नगरनार (138 किमी.) और भाग ख - राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से नगरनार से विशाखापट्टनम (315 किमी.)। इसके अतिरिक्त, रेलवे के माध्यम से सहभागी मॉडल के तहत जगदलपुर-अंबागांव लाइन (25 किमी.) के दोहरीकरण करने का निर्णय लिया गया था।

इन रेलवे परियोजनाओं का आरेखण प्रस्तुतिकरण नीचे दिया गया है:

चार्ट 2.4 - किरंदुल - कोठावालसा रेल लाइन (केके लाइन) का भौगोलिक प्रस्तुतीकरण



²¹ 18.92 मिलियन टन * 78 टन/70 टन = 21.08 मिलियन टन

²² एसएमपी के अनुसार 2018-19 तक प्राप्त किए जाने वाले 50 एमटीपीए के कुल परिकल्पित उत्पादन में से 14 टीपीए डोनीमलाई क्षेत्र से परिकल्पित किया गया है। इसलिए, शेष 36 एमटीपीए बैलाडिला क्षेत्र से संबंधित है।

इन परियोजना के संबंध में हुई प्रगति की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

2.5.1 जगदलपुर से किरनडुल तक केके रेलवे लाइन का दोहरीकरण

परिकल्पित उच्च उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निकासी सुविधा को बढ़ाने के क्रम में, कंपनी ने केके रेलवे लाइन के किरनडुल से जगदलपुर सेक्शन के दोहरीकरण का कार्य करने का निर्णय लिया और अनुमानित लागत ₹826.57 करोड़ (2011-12 स्तर) में रेलवे के साथ (दिसम्बर 2012 में) समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए जिसे बाद में अगस्त 2018 तक रेलवे द्वारा ₹1,160.83 करोड़ में कार्यान्वित और पूर्ण करने लिए संशोधित (दिसम्बर 2015) किया गया। इस लाइन के माध्यम से पहुंचाए जाने वाले अयस्क की मात्रा 12 एमटीपीए थी। दोहरीकरण का कार्य तीन भागों में बांटा गया था अर्थात जगदलपुर से सिलकझोरी 45.50 किमी., सिलकझोरी से गीदम 52.734 किमी. और गीदम से किरनडुल 52.228 किमी। कंपनी (दिसम्बर 2017) द्वारा जमा ₹525.00 करोड़ की राशि के प्रति रेलवे द्वारा किए गए व्यय ₹465.83 करोड़ की राशि के खर्च से केवल 40 प्रतिशत की समग्र वित्तीय प्रगति (दिसम्बर 2017) को दर्शाता है।

हमने देखा कि:

- क) इस तथ्य के बावजूद कि परियोजना के कार्यान्वयन की समय सीमा का 88 प्रतिशत²³ समाप्त (दिसम्बर 2017) हो गया, कार्य की समग्र प्रत्यक्ष प्रगति केवल 41.50 प्रतिशत थी। इसके अलावा, उपर्युक्त तीन भागों में से, केवल जगदलपुर से सिलकझोरी भाग का कार्य पूर्ण हुआ था जबकि अन्य दो भागों में कार्य अपने क्रियान्वयन (दिसम्बर 2017) के आरंभिक चरण में था।
- ख) कार्य के समापन में देरी से निकासी क्षमता बढ़ाने की कंपनी की योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- ग) एमओयू में रेलवे से मासिक प्रगति रिपोर्ट, जिसे धन की और जारी करने के लिए मांग को संलग्न किया जाना था, की आवश्यकताओं को छोड़कर परियोजना निगरानी तंत्र के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि नकसल गतिविधियों के कारण किरनडुल से सिलकझोरी भाग से संबंधी कार्य की प्रगति केवल 16 प्रतिशत हुई और जोनल, मंडल और सेक्शन स्तर

²³ परियोजना अगस्त 2018 तक रेलवे के साथ एमओयू हस्ताक्षर (दिसम्बर 2012) के 68 महिनों के अंदर पूरी होने वाली थी। दिसम्बर 2017 तक, 68 महिनों में से 60 महिने बीत गए। यह पूर्ण होने के लिए कुल समय अवधि का 88 प्रतिशत है।

में रेलवे द्वारा कार्य की प्रगति की निगरानी की गई थी, और प्रति महीने एनएमडीसी को उक्त की जानकारी दी गई थी।

2.5.2 जगदलपुर तथा अम्बागांव के बीच रेलवे लाइन का दोहरीकरण

कम्पनी ने नागरनार पर नए समेकित इस्पात संयंत्र (एनआईएसपी) के कारण ट्रैफिक की मात्रा में प्रत्याशित दोगुनी वृद्धि के प्रबंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जगदलपुर तथा अम्बागांव (25 किमी.) के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य लेने का निर्णय लिया। तदनुसार, कम्पनी ने 2.5 वर्ष की पूर्णता अवधि अर्थात् जनवरी 2019 तक सहभागी मॉडल के अंतर्गत ₹257.75 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अगस्त 2016 में रेल मंत्रालय (एमओआर) के साथ एक करार किया। कम्पनी ने अभी तक ₹114 करोड़ की राशि जमा की थी (दिसम्बर 2017)। रेलवे की प्रगति रिपोर्ट (दिसम्बर 2017) के अनुसार, 50 प्रतिशत प्रत्यक्ष प्रगति परियोजना पर अभी तक लिए गए समय के अनुसार थी।

2.5.3 दल्ली-राझरा - रोवघाट - जगदलपुर रेल कोरिडोर

लौह अयस्क आपूर्तियों तथा तैयार उत्पादों की सुपुर्दग्दी के लिए अपनी वृद्धि योजनाओं को पूरा करने तथा मध्य, पश्चिम तथा उत्तरी भारत में अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने के लिए, एनएमडीसी तथा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने दो चरणों अर्थात् (i) चरण-I में दल्ली-राझरा - रोवघाट लाइन (95 किमी.) तथा चरण-II में रोवघाट - जगदलपुर लाइन (140 किमी.) में उक्त कोरिडोर का विकास करने का निर्णय किया। यद्यपि चरण-I भाग के लिए सम्पूर्ण लागत सेल द्वारा दी गई थी तथापि, चरण-II के लिए रेल मंत्रालय, सेल, एनएमडीसी तथा छत्तीसगढ़ सरकार के बीच 57 प्रतिशत (एमओआर), 21 प्रतिशत (सेल), 10 प्रतिशत (एनएमडीसी) तथा 12 प्रतिशत (छत्तीसगढ़ सरकार) के अनुपात में लागत सहभाजन के आधार के साथ एक समझौता जापन (एमओयू) किया गया (11 दिसम्बर 2007)। इसके पश्चात्, रेल मंत्रालय के परामर्श पर एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से परियोजना का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया (18 दिसम्बर 2014)। अतः 43 प्रतिशत (एनएमडीसी), 21 प्रतिशत (सेल), 26 प्रतिशत (एमओआर) तथा छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (सीएमडीसी) द्वारा 10 प्रतिशत के संशोधित लागत शेयरिंग अनुपात के साथ एक संशोधित समझौता जापन हस्ताक्षरित किया गया (मई 2015)। संशोधित समझौता जापन में सहमति के अनुसार, “बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल)” के नाम से एक एसपीवी को समझौता जापन हस्ताक्षरित करने के बाद रायपुर के पंजीकृत कार्यालय के साथ 05 मई 2016 को निगमित किया गया था।

प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (मार्च/जुलाई 2018) कि बीआरपीएल द्वारा बनाई गई डीपीआर को मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत किया गया (अक्टूबर 2017)। भूमि अधिग्रहण कार्य आरम्भ किया गया था। परियोजना मार्च 2023 तक पूर्ण होने के लिए अपेक्षित थी तथा इस लाइन के माध्यम से निकाले जाने हेतु प्रस्तावित लौह अयस्क 15.30 एमटी तक अनुमानित था।

2.5.4 स्लरी पाइपलाइन सिस्टम

सीएजी की 2012-13 की प्रतिवेदन संख्या 20 में मार्च 2012 तक स्लरी पाइपलाइन बिछाने के लिए अनुमोदनों से संबंधित विकासों को सम्मिलित किया गया था। परियोजना दो चरणों में होने के लिए प्रस्तावित थी। चरण-I में ₹4,000 करोड़ के अनुमानित पूँजीगत व्यय के साथ बेलाडीला, छत्तीसगढ़ में 10 एमटीपीए लौह अयस्क बेनिफिशियेशन संयंत्र (किरनदुल के लिए 6 एमटीपीए तथा बचेली के लिए 4 एमटीपीए), किरनदुल से बचेली के लिए 11 एमटीपीए स्लरी पाइपलाइन, बचेली से नगरनार, छत्तीसगढ़ के लिए 15 एमटीपीए स्लरी पाइपलाइन तथा नगरनार में 2 एमटीपीए पैलेट संयंत्र की स्थापना निहित थी। चरण-II कार्यों में ₹6,000 करोड़ के अनुमानित पूँजीगत व्यय के साथ नगरनार से वाइज़ैग, आंध्र प्रदेश तक 13 एमटीपीए स्लरी पाइपलाइन तथा आरआईएनएल, वाइज़ैग पर 6 एमटीपीए पैलेट संयंत्र सम्मिलित थे। जबकि चरण-I कम्पनी द्वारा स्वयं क्रियान्वित होने के लिए प्रस्तावित था, चरण-II परियोजनाओं को आरआईएनएल के साथ संयुक्त उद्यम के तहत क्रियान्वित किया जाएगा। परियोजना के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की चर्चा नीचे की गई है:

- **बचेली पर 4 एमटीपीए बेनिफिशिएशन संयंत्र** - परियोजना ने 27 अप्रैल 2017 को पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त की, स्तर-II वन मंजूरी तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण सरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) से स्थापना हेतु सहमति भी क्रमशः 27 सितम्बर 2017 तथा 16 अक्टूबर 2017 को प्राप्त की गई थी। इसके अलावा, डिपॉजिट-5 के स्क्रिनिंग संयंत्र से बेनिफिशिएशन संयंत्र तक लौह अयस्क फाइन्स के परिवहन के लिए ओवरहेड वाहक गैलरी बिछाने के लिए रेलवे से मंजूरी 12 सितम्बर 2017 को प्राप्त की गई थी।
- **किरनदुल पर 6 एमटीपीए बेनिफिशिएशन संयंत्र** - सलाहकार द्वारा फील्ड अध्ययन किया जा रहा था तथा कम्पनी को सांविधिक मंजूरी हेतु आवेदन अभी प्रस्तुत करना था (सितम्बर 2018)।

- **स्लरी पाइपलाइन सिस्टम** - कम्पनी ने रेलवे के साथ वे-लीव करार करने के प्रति आरम्भिक राशि जमा करवा दी थी तथा वे-लीव करार²⁴ पर हस्ताक्षर करना प्रक्रियाधीन था (जुलाई 2017)। स्तर-I वन मंजूरी 01 फरवरी 2018 को प्राप्त की गई।
- **नगरनार पर पैलेट संयंत्र** - यह परियोजना एकमात्र ऐसी परियोजना है जिसने अपने कार्य आरम्भ करने के लिए सभी अपेक्षित मंजूरियां ले ली हैं। कार्यस्थल लेवल करने का कार्य पूर्ण किया गया था (जुलाई 2017)।

चरण-II में, कम्पनी ने नगरनार से विशाखापट्टनम तक पाइपलाइन मार्ग का 97 प्रतिशत विस्तृत मार्ग सर्वेक्षण पूर्ण किया जबकि विभिन्न सांविधिक मंजूरी तथा सहमति अभी प्राप्त करनी थी (जुलाई 2017)।

2.6 इपीसीएम परामर्शदाता की नियुक्ति

कंपनी ने डोनीमलाई में स्क्रीनिंग संयंत्र II, किरनडुल में स्क्रीनिंग संयंत्र III और बैलाडिला सैक्टर में स्लरी पाइपलाइन सिस्टम के कार्यान्वयन हेतु पहले ही अभियांत्रिकी, खरीद, निर्माण और प्रबंधन (इपीसीएम) सलाहकार अनुबंध किये। उन अनुबंधों में पाई गई कमियों की विवरण अग्रलिखित हैं:

2.6.1 स्क्रीनिंग संयंत्र-II हेतु इपीसीएम परामर्शदाता की पहले से नियुक्ति

सांविधिक मंजूरी की प्राप्ति में देरी के बावजूद, कंपनी ने 39 महिने अर्थात् मार्च 2019 की निर्धारित समापन अवधि तक ₹7.64 करोड़ में एम.एन. दस्तूर एण्ड कम्पनी को इपीसीएम परामर्शदात्री ठेका प्रदान किया। कंपनी ने परामर्शदाता को (फरवरी 2017 तक) ₹57.01 लाख की राशि का भुगतान किया। पर्यावरण एवं वन मंजूरी पाने में देरी और इसके परिणामस्वरूप एसपी-II के कार्यान्वयन में देरी के मद्देनजर, कंपनी ने इपीसीएम ठेका को विस्तार के लिए ठेके की शर्तों के अनुसार निर्धारित समापन तारीख के बाद के प्रत्येक वर्ष के लिए 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, और 15 प्रतिशत की वृद्धि दर (विस्तारित अवधि के दौरान कार्यान्वित होने वाले कार्यों के लिए ठेका शुल्क) पर परामर्शदाता को भुगतान करने की देयता के साथ खुद को प्रतिबद्ध किया।

²⁴ रेल भूमि पर वे लीव फेसीलिटी/ईजमेंट राईट्स में भूमि के अधिग्रहण या/कब्जे के अधिकार दिये बिना व रेलवे के टाईटल, अधिकार, नियंत्रण और भूमि उपयोग को प्रभावित किये बिना निर्दिष्ट उद्देश्य जैसे रास्ता आदि के लिए किसी पार्टी द्वारा भूमि का अवसर अनुसार या सीमित उपयोग शामिल है।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि अग्रिम में परामर्श ठेका प्रदान करने से अपेक्षित सांविधिक मंजूरी प्राप्त होने के समय तक मूल अभियांत्रिकी, तकनीकी विनिर्देशों की तैयारी और प्रासंगिक पैकेजों के निविदा दस्तावेजों को पूरा करने में सुविधा होगी। यह बड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए लिया जाने वाला सचेतन व्यापारिक निर्णय था।

मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने में बहुत सी बाहरी एजेंसियां, राज्य/केन्द्र सरकार की एजेंसियां शामिल होती हैं और संबंधी राज्य सरकार की प्रतिक्रिया और परियोजना अवस्थिति, परियोजना की प्रकृति पर निर्भर करता है और इसे समय-सीमाओं में बांधना व्यवहारिक रूप से बहुत मुश्किल है।

इसी और एफसी को सुरक्षित करने में देरी के कारण दंड शुल्क के लिए व्यय करने की देयता का सामना करने के जोखिम को कम करने के लिए माइलस्टोन के निर्माण एक सूचित और पूर्वानुमानित निरूपण के संदर्भ में ईपीसीएम ठेका प्रदान करने के लिए कंपनी को सावधानी रखनी होगी। क्योंकि यह नहीं किया गया था, कंपनी को ईपीसीएम ठेका सेवा पर समयपूर्व व्यय करने के साथ-साथ भविष्य में दंड वृद्धि लागत प्रतिबद्धताओं को वहन करने की आगामी देयता की आवश्यकता का सामना करना पड़ा।

2.6.2 स्क्रीनिंग संयंत्र-III के लिए ईपीसीएम परामर्शदाता की नियुक्ति

कंपनी ने सांविधिक मंजूरियों की प्राप्ति का इंतजार किए बिना ईपीसीएम परामर्शदाता (जुलाई 2010) के तौर पर टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स को 36 महिने की समापन अवधि हेतु ₹16.05 करोड़ लागत में नियुक्त किया। ठेके को बाद में सांविधिक मंजूरी की कमी हेतु निलंबित (नवम्बर 2013) कर दिया गया था, तब तक कंपनी ने परामर्शदाता को ₹3.57 करोड़ का भुगतान किया था। चरण-II एफसी एवं सीएफई की प्राप्ति के बाद, कंपनी ने फरवरी 2021 की संशोधित समापन अवधि सहित मार्च 2017 में निलंबन को वापस ले लिया। अनुबंध में कंपनी के कारण प्रत्येक वर्ष विलंब के लिए अनुबंध मूल्य के बकाया के 5,10 और 15 प्रतिशत की वृद्धि दर पर भुगतान से सम्बंधित उपर्युक्त शामिल था। इससे संशोधित पूर्णता अवधि अर्थात् मार्च 2017 से फरवरी 2021 के द्यानार्थ ₹1.42 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय प्रतिबद्धता होगी।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि यह ईपीसीएम ठेका में वृद्धि पर उच्च सीमा को शामिल करने के लिए जोर दे रहा था।

उत्तर पैरा 2.6.1 के अंतर्गत लेखापरीक्षा अवलोकन की पुष्टि करता है और यदि विलंब के कारण कंपनी की भूमिका से बाह्य थे तो उचित बचाव उपर्युक्त के साथ अनुबंध दिये जाने की आवश्यकता को इंगित करता है।

2.6.3 निकासी सुविधाओं के लिए ईपीसीएम ठेका देना

कम्पनी ने जनवरी 2015 से प्रभावी 48 माह की निर्धारित पूर्णता के साथ ₹110 करोड़ की लागत पर नगरनार पर पैलेट संयंत्र, बचेली पर बेनिफिशिएशन संयंत्र तथा बचेली से नगरनार तक स्लरी पाइपलाइन सिस्टम के निर्माण हेतु नामांकन आधार पर मीकान को ईपीसीएम ठेका दिया (जनवरी 2015)।

हमने पाया गया कि:

- (क) कार्य के मूल्य को मीकान द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं के पिछले तथा एक समान बैंचमार्किंग के आधार पर निकाला गया था। खुली निविदा के माध्यम से ठेकेदार का चयन करने की बजाय नामांकन आधार पर कार्य देकर, कम्पनी को उन प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय लाभों से वंचित किया गया जिसे खुली निविदा जांच के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था।
- (ख) ईपीसीएम ठेका लागत को दो भागों अर्थात् इंजीनियरिंग सेवाओं - ₹58.69 करोड़ तथा परियोजना प्रबंधन सेवाओं (पीएमसी) - ₹51.31 करोड़ में बांटा गया था। इनमें से प्रत्येक भाग में माइलस्टोन आधारित भुगतान तथा समय आधारित भुगतान निहित है। समय आधारित भुगतान को, कार्य की प्रगति न देखते हुए, निर्धारित पूर्णता अवधि अर्थात् जनवरी 2019 तक 40 समान मासिक किश्तों (ईएमआई) में किया जाना था। कम्पनी ने इंजीनियरिंग सेवाओं के प्रति जून 2017 तक ₹18.15 करोड़ का भुगतान किया था (माइलस्टोन आधारित भुगतानों के प्रति ₹9.83 करोड़ तथा समय आधारित ईएमआई के प्रति ₹8.32 करोड़)। कार्य की प्रगति से जोड़े बिना समय आधारित ईएमआई के प्रति ₹8.32 करोड़ का भुगतान कम्पनी के वित्तीय हित के विरुद्ध था। हड्डबड़ी में ठेका देना कम्पनी की ओर से अविवेकपूर्ण था क्योंकि कार्य के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित मंजूरी अभी प्राप्त की जानी थी।

इस प्रकार, 2018-19 तक निकासी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कम्पनी की योजनाओं को कार्यों की प्रगति पर विचार करते हुए पूर्ण नहीं किया जा सकता।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि उसने पिछले कार्य प्रमाण पत्र का सत्यापन करने के बाद तथा ₹135 करोड़ के उद्धत मूल्य को बातचीत के बाद ₹110 करोड़ तक कम करने के बाद नामांकन आधार पर ईपीसीएम ठेका दिया था। इसके अलावा, कम्पनी ने ठेके में निहित आस्थगन खण्ड का उपयोग किया तथा अप्रैल 2017 से ईएमआई आधारित भुगतान बन्द कर दिया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नामांकन आधार पर अधिक मूल्य का ठेका देना कम्पनी के वित्तीय हित में नहीं था। यद्यपि कम्पनी ने अप्रैल 2017 में आस्थगन खण्ड का उपयोग किया, परन्तु इसने इंजीनियरिंग सेवाओं के प्रति ₹8.32 करोड़ का भुगतान किया था जो परिहार्य था।

मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि मीकान एकमात्र सलाहकार था जिसने व्यक्तिगत सुविधा तथा सम्पूर्ण आधार पर योग्यता मानदण्ड को पूरा किया था।

हमारा मत है कि कम्पनी को यह सुनिश्चित करने हेतु खुली निविदा आमंत्रित करनी चाहिए थी कि क्या अधिक मूल्य ठेके के संबंध में एक प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्राप्त करने के लिए बाजार में कोई अन्य योग्यता प्राप्त बोलीदाता विद्यमान था।

2.7 बिक्री तथा लौह अयस्क मूल्य का निर्धारण

कम्पनी ने लौह अयस्क की सहमत मात्राओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले ग्राहकों के साथ दीर्घावधि (तीन से पांच वर्षों तक मान्य) ठेके किए तथा ये ठेके वैधता अवधि समाप्त होने पर नवीकरणीय थे। दीर्घावधि ग्राहकों के अलावा, कम्पनी ने समय-समय पर राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड, छत्तीसगढ़ की सिफारिशों पर छत्तीसगढ़ के स्पंज लौह उत्पादकों को लौह अयस्क की आपूर्ति की। कम्पनी के ग्राहक आधार में 01.04.2012 को 27 लौह अयस्क ग्राहक तथा 65 स्पंज लौह कम्पनियां सम्मिलित थी। प्रमुख ग्राहक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, एस्सार स्टील लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील्स लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू इस्पात लिमिटेड आदि थे। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने स्पॉट मार्केट में लौह अयस्क की बिक्री भी की। बेलाडीला तथा डोनीमलाई क्षेत्रों के संदर्भ में 31 मार्च 2017 को समाप्त पांच वर्षीय अवधि के दौरान कम्पनी के ग्राहक आधार का व्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका 2.11 - बेलाडीला तथा डोनीमलाई में ग्राहक आधार

क्षेत्र	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
	बैला	डोनीम.								
छत्तीसगढ़ (सीजी) ग्राहकों को छोड़कर ग्राहक*	21	34	22	32	33	32	19	51	20	51
एसआईपीबी द्वारा परामर्शित सीजी ग्राहक	67	---	54	---	60	---	63	---	41	---
कुल	88	34	76	32	93	32	82	51	61	51

बैला - बेलाडीला; डोनीम. - डोनीमलाई

*इसमें क्रमशः पोस्को, दक्षिण कोरिया तथा जापानी स्टील मिल के निर्यात ग्राहक सम्मिलित हैं।

यह देखा जा सकता था कि दीर्घावधि ग्राहकों की संख्या करीब-करीब एक समान रही। ग्राहक आधार में कोई वृद्धि नहीं थी जो यह दर्शाती है कि इच्छुक ग्राहकों को बुलाने के लिए अधिसूचना जारी करने के अलावा कम्पनी द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया।

कम्पनी ने अपने एसएमपी - विज़न 2025 में परिकल्पित अधिक उत्पादन के विषयन के लिए नए बाजार तथा ग्राहक खोजने को महत्वपूर्ण माना तथा निम्नलिखित कार्य योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया:

- क) मात्रा आधारित माल भाड़ा आर्थिक सहायता, सुपुर्दगी आधार पर बिक्री आदि जैसे बाजार भेदन कार्यनीति पहल के माध्यम से नए ग्राहकों को बिक्री करना/मौजूदा ग्राहकों के साथ व्यवसाय का शेयर बढ़ाना।
- ख) ग्राहकों के समीप आने के लिए जगदलपुर, रॉयपुर अथवा विशाखापट्टनम जैसे सामरिक स्थलों पर मध्यस्थ भंडारों का विकास करना।
- ग) ग्राहकों की आवश्यकता के साथ उत्पाद मिश्रण की अलाइनिंग अर्थात् उचित मूल्यांकन के साथ 10-40 एमएम की बजाए स्पंज लौह ग्राहकों के लिए 8-18 एमएम।
- घ) उत्खनन क्षमता तथा नियंत्रित बिक्री में बाधाओं पर विचार करते हुए निर्यात विकल्प को शामिल करके कम ग्रेड अयस्क तथा अवशेषों के लिए विषयन नीति का विकास करना।
- ङ) लौह अयस्क के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए इसकी निर्यात बिक्री बढ़ाने हेतु निर्यात कर हटाने के लिए निरन्तर प्रयास करना।
- च) किरनदुल - कोथावालसा (केके) लाइन पर बढ़ी हुई माइलेज को पूर्ण रूप से हटाने तथा 140 किमी. लम्बे रोवधाट - जगदलपुर रेल मार्ग का निर्माण करने के लिए निरन्तर प्रयास करके संचालन लागत को कम करना।
- छ) मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने के लिए ग्राहक आवश्यकताओं तथा बाजार वास्तविकताओं के लिए निरन्तर उत्पादन मिश्रण की अलाइनिंग करना तथा मूल्य निर्धारण नीति बनाना।
- ज) सुखाने के प्रक्रमण की बाधाओं के अन्दर ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रक्रिया को बढ़ाना।

यद्यपि उक्त कार्य योजना को अच्छे बाजार विश्लेषण के आधार पर बनाया गया था, तथापि इसे क्रियान्वित करने में कम्पनी द्वारा किए गए प्रयास लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में नहीं पाए गए।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि मध्यस्थ भंडार का निर्माण, स्पंज लौह ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10-20 एमएम आकार के अयस्क को आरम्भ करना, बेलाडीला कीमतों के साथ डोनीमलाई कीमतों को अलग करना आदि जैसे कार्य एसएमपी - विज्ञन 2025 के अनुसार किए गए थे। निर्यात मालभाड़े तथा बढ़ाए गए रेल मालभाड़े को हटाने के लिए संबंधित प्राधिकरणों के साथ प्रयास किए जा रहे थे।

उपरोक्त तर्क तथा कम्पनी द्वारा की गई कार्रवाईयों के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कम्पनी केवल 35.62 मिलियन टन लौह अयस्क की बिक्री कर सकी। अतः एसएमपी - विज्ञन 2025 में परिनियोजित 50 एमटीपीए के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2018-19 तक 15 मिलियन टन लौह अयस्क की अतिरिक्त मात्रा की बिक्री करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करनी होगी।

मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि कम्पनी द्वारा किए गए उपायों को परिचालित होने में अभी और समय लगेगा।

2.7.1 लौह अयस्क की कीमतों का निर्धारण

कम्पनी ने एनएमडीसी के अयस्क हेतु इष्टतम मूल्य उगाही, घरेलू इस्पात उत्पादकों को आपूर्ति सुनिश्चित करने, तथा मूल्य के पूर्वानुमान के मामलों को सम्बोधित करते हुए सीएजी के 2012-13 की प्रतिवेदन संख्या 20 की सिफारिशों के आधार पर सकारात्मक कार्य किए। कम्पनी ने केपीएमजी (मूल्य निर्धारण सलाहकार) द्वारा परामर्शित फार्मूलों के आधार पर व्युत्पन्न कीमतों, इस्पात मूल्य पद्धति तथा बाजार स्थिति अर्थात् अयस्क के आवागमन के संदर्भ में मंत्रालय के तहत कार्यकारी उड़ीसा क्षेत्र (संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) के माध्यम से प्राप्त) में प्रचलित औसत कीमतों में फैक्टरिंग से अपने मूल्य निर्धारण को तिमाही आधार से मासिक आधार में परिवर्तित किया। कम्पनी ने बेलाडीला क्षेत्र से डोनीमलाई क्षेत्र के मूल्यों को अलग भी किया। इसके अलावा, इस्पात मंत्रालय ने एक उपयुक्त कीमत निर्धारण तंत्र के लिए सलाह देने हेतु एक समिति भी गठित की (अक्टूबर 2016)। हम 2012-13 की सीएजी की रिपोर्ट सं. 20 में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन में कंपनी द्वारा किये गये उपायों की प्रशंसा करते हैं जिसके परिणामस्वरूप बाजार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियमित आधार पर मूल्यों का संशोधन किया गया था।

2.8 एनएमडीसी लिमिटेड का इसके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उत्पादन एवं परिचालनात्मक कुशलता

एनएमडीसी लिमिटेड भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तथापि, लेखापरीक्षा ने उस स्थिति की समीक्षा करने का प्रयास किया जहां एनएमडीसी लिमिटेड लौह अयस्क के उत्पादन तथा उत्पादन लागत के अनुसार भारत में लौह अयस्क उद्योग में खड़ा है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई है:

(क) लौह अयस्क का उत्पादन

वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान एनएमडीसी द्वारा लौह अयस्क के उत्पादन²⁵ तथा लौह अयस्क के कुल घरेलू उत्पादन में इसके भाग को निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

तालिका 2.12: लौह अयस्क के कुल घरेलू उत्पादन में एनएमडीसी का भाग

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18
भारत में लौह अयस्क का उत्पादन (मिलियन टन में):			
सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उत्पादन	62.86	70.36	71.38
निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादन	95.25	124.22	129.58
कुल उत्पादन	158.11	194.58	200.96
एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा उत्पादन	28.57	34.00	35.58
उत्पादन में हिस्सा (प्रतिशतता में)			
कुल उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी	40	36	36
कुल उत्पादन में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी	60	64	64
सार्वजनिक क्षेत्र उत्पादन में एनएमडीसी का हिस्सा	45	48	50
कुल उत्पादन में एनएमडीसी का हिस्सा	18	17	18

²⁵ सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों द्वारा लौह अयस्क के कुल उत्पादन से संबंधित डाटा भारतीय खान ब्यूरों द्वारा मार्च 2017 तथा मार्च 2018 की खनिज उत्पादन की मासिक सांख्यिकी से प्राप्त किया गया है।

उक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि लौह अयस्क के कुल सार्वजनिक क्षेत्र उत्पादन में एनएमडीसी के हिस्से ने 2015-16 में 45 प्रतिशत से 2017-18 में 50 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की, तथापि इस अवधि के दौरान कुल घरेलू उत्पादन में इसका हिस्सा लगभग 18 प्रतिशत रहा। यह इस तथ्य की वजह से है कि कुल घरेलू उत्पादन में निजी क्षेत्र के हिस्से ने 2015-16 में उसके हिस्से की तुलना में 2017-18 के दौरान 4 प्रतिशत तक वृद्धि की है। इस प्रकार, भले ही एनएमडीसी के उत्पादन में 2015-18 की तीन वर्षीय अवधि के दौरान, समग्र रूप से, थोड़ी वृद्धि हुई, तथापि, कुल घरेलू उत्पादन में इसका हिस्सा स्थिर रहा।

(ख) लौह अयस्क के उत्पादन की लागत

यह पाया गया कि एनएमडीसी लिमिटेड औसतन 64 प्रतिशत लौह तत्व (एफई) वाले लौह अयस्क का उत्पादन करती है। इस श्रेणी के लौह अयस्क को मुख्य रूप से उड़ीसा, जोकि भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य है, में स्थित लौह अयस्क उत्पादकों द्वारा उत्पादित किया जाता है। अतः लेखापरीक्षा ने उड़ीसा राज्य में स्थित निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में इसके प्रतिस्पर्धियों के साथ एनएमडीसी लिमिटेड की उत्पादन लागत का तुलनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास किया। निजी क्षेत्र में पांच प्रमुख प्रतिस्पर्धी अर्थात् रुंगटा माइंस लिमिटेड, सेराजुद्दीन एंड कॉ., एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रिज लि., मै. कमलजीत सिंह आहलूवालिया तथा मै. इन्द्राणी पटनायक तथा सार्वजनिक क्षेत्र में एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी अर्थात् ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एक राज्य सरकार कम्पनी) को तुलनात्मक विश्लेषण के प्रयोजन हेतु चयनित किया गया।

2015-16 से 2017-18 के दौरान एनएमडीसी लिमिटेड तथा उन छ: प्रतिस्पर्धियों के लौह अयस्क उत्पादन की लागत²⁶ (रॉयल्टी तथा करों को छोड़कर) निम्नानुसार थी:

²⁶ सभी सत्त्वों (एनएमडीसी लिमिटेड को छोड़कर) की उत्पादन लागत भारतीय खान ब्यूरों और इस्पात एवं खान विभाग, उड़ीसा सरकार की एकीकृत खान एवं खनिज प्रबंधन प्रणाली, पर ऑनलाइन उपलब्ध डाटा से प्राप्त की गई थी। रुंगटा माइंस लिमिटेड तथा उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन, जिनकी उड़ीसा राज्य में एक से अधिक चालू खानें हैं, के संबंध में उत्पादन की औसत लागत पर विचार किया गया है।

तालिका 2.13: एनएमडीसी लिमिटेड तथा इसके प्रतिस्पर्धियों की उत्पादन लागत

(₹ प्रति टन)

क्र.सं.	सत्व	2015-16	2016-17	2017-18
1.	एनएमडीसी लिमिटेड	684	867	846
2.	रुंगटा माइंस लिमिटेड	446	384	379
3.	सिराजुद्दीन एंड कॉ.	642	687	656
4.	एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	521	439	453
5.	मै. कमलजीत सिंह आहलूवालिया	734	865	1504
6.	मै. इंद्राणी पटनायक	657	463	421
7.	ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	741	706	682

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि एनएमडीसी लिमिटेड की उत्पादन लागत वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान सार्वजनिक के साथ-साथ निजी क्षेत्र के इसके अधिकतर प्रतिस्पर्धियों से अधिक थी। ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लि. (ओएमसी) की उत्पादन लागत 2015-16 के दौरान एनएमडीसी से अधिक थी परन्तु एनएमडीसी की लागत में 2016-17 के दौरान तीव्र वृद्धि हुई जिसमें 2017-18 के दौरान मामूली कमी आई जबकि ओएमसी में इस अवधि के दौरान निरंतर गिरावट आई। परिणामस्वरूप, एनएमडीसी की उत्पादन लागत 2016-18 के दौरान ओएमसी की अपेक्षा 23-24 प्रतिशत अधिक थी। निजी क्षेत्र के प्रतिस्पर्धियों की तुलना में एनएमडीसी की उत्पादन लागत रुंगटा माइंस लिमिटेड, की अपेक्षा 53 प्रतिशत (2015-16), 126 प्रतिशत (2016-17) और 123 प्रतिशत (2017-18) अधिक थी, जिसकी सभी तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम उत्पादन लागत आई थी।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि एनएमडीसी भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के कुल उत्पादन के लगभग आधे और कुल घरेलू उत्पादन का लगभग पांचवें हिस्से का योगदान करता है, लेखापरीक्षा का मत है कि एनएमडीसी को प्रचालनात्मक दक्षता के उच्च स्तरों को प्राप्त करने के लिए इसकी उत्पादन लागत को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है।

प्रबंधन ने प्रचालन को अधिक तर्कसंगत बनाने के लेखापरीक्षा के सुझाव की सराहना करते हुए बताया (फरवरी 2019) कि उत्पादन लागत विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे प्रचालनों का स्केल, खदानों का स्तर, लौह एवं अपशिष्ट का स्ट्रिपिंग अनुपात, खनन प्रचालन की प्रकृति और सामाजिक एवं पर्यावरणीय दायित्व आदि। यह कारक तुलना हेतु चयनित

कंपनियों में स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त, एनएमडीसी की उत्पादन लागत कंपनी के कुछ विशेष कारकों जैसे सीआईएसएफ/सुरक्षा बलों पर किया गया व्यय, स्थानीय क्षेत्र विकास, खनन बंदी कार्य और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व आदि के कारण अधिक थी। कंपनी के विशेष व्यय को छोड़ने के बाद निवल लागत प्रति टन 2015-16 के दौरान ₹520, 2016-17 के दौरान ₹486 तथा 2017-18 के दौरान ₹486 निकाली गई।

कंपनी के विशेष व्यय को छोड़कर उत्पादन लागत पर विचार करने के बाद यह देखा गया कि सिराजुद्दीन एंड कं., मै. कमलजीत सिंह आहलुवालिया तथा ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की उत्पादन लागत की तुलना में एनएमडीसी की उत्पादन लागत 19-30 प्रतिशत (2015-16), 29-44 प्रतिशत (2016-17) और 26-68 प्रतिशत (2017-18) तक कम थी, तथापि, रुंगटा माइन्स लिमिटेड, जिसकी उत्पादन लागत न्यूनतम थी, की तुलना में 16 प्रतिशत (2015-16) से 28 प्रतिशत (2017-18) तक अधिक थी। इसके अलावा 2016-17 और 2017-18 के दौरान एनएमडीसी की उत्पादन लागत एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तुलना में क्रमशः 11 प्रतिशत और 7 प्रतिशत अधिक थी। अतः एनएमडीसी लिमिटेड लौह अयस्क की उत्पादन लागत को कम करने हेतु अधिक प्रयास कर सकता था।

उपरोक्त लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (अप्रैल 2019)।

अध्याय III

विविधिकरण कार्यकलाप

अपने विविधिकरण अभियान के रूप में, कम्पनी ने मध्य प्रदेश राज्य में पन्ना में हीरा खनन के साथ-साथ इस्पात संयंत्रों, विद्युत संयंत्र, पैलेट संयंत्र तथा एक स्पंज लौह संयंत्र के अधिग्रहण आदि करने का साहस किया। कम्पनी द्वारा किए गए विभिन्न विविधिकरण कार्यों पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा इस अध्याय में की गई है।

3.1 छत्तीसगढ़ में नगरनार में एकीकृत इस्पात संयंत्र (एनआईएसपी) की स्थापना

राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 ने 2004-2020 की समयावधि के दौरान वार्षिक इस्पात उत्पादन के 7.3 प्रतिशत की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया। भारत में इस्पात वृद्धि के अवसरों का लाभ उठाने के लिए, कम्पनी ने एक संयुक्त उद्यम (जेवी) कम्पनी के माध्यम से इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के साथ एक समझौता जापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया (अगस्त 2007)। इस्पात मंत्रालय द्वारा की गई समीक्षा बैठक (13 मार्च 2008) में, यह अनुमान लगाया गया कि इसे 3 एमटीपीए इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए 2:1 के ऋण-इक्विटी अनुपात (ऋण के लिए ₹8,000 करोड़ तथा इक्विटी के प्रति ₹4,000 करोड़) के साथ ₹12,000 करोड़ पूँजी की आवश्यकता होगी। संयंत्र की स्थापना के लिए विभिन्न विकल्पों पर चर्चा करने के पश्चात्, यह निर्णय लिया गया (13 मार्च 2008) कि एनएमडीसी अपने पर्याप्त आरक्षित नकद तथा प्राथमिक कच्चे माल अर्थात् लौह अयस्क तक आसान पहुंच को देखते हुए स्वयं संयंत्र की स्थापना करें। कम्पनी ने मंत्रालय को सूचित किया (20 मार्च 2008) कि संयंत्र की सम्पूर्ण लागत को इसके आन्तरिक संसाधनों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। निर्णय अनुसार, बोर्ड ने परियोजना के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) बनाने के लिए परामर्शदाता के रूप में मीकान लिमिटेड की नियुक्ति को मंजूर किया (जुलाई 2008)। मीकान ने विभिन्न क्षमताओं के निम्नलिखित उत्पाद मिश्रण के लिए टीईएफआर प्रस्तुत की (दिसम्बर 2008):

तालिका 3.1 - नगरनार पर प्रस्तावित एकीकृत इस्पात संयंत्र का उत्पाद मिश्रण

क्र. सं.	उत्पाद विवरण	आकार (धनत्व *चौड़ाई) एमएम में	टन में वार्षिक उत्पादन क्षमता
1	हॉट रॉल्ड प्लेट्स	5-10*1030-1650 एमएम	4,00,000
2	हॉट रॉल्ड प्लेट्स	5-10*1030-1650 एमएम	4,00,000
3	एपीआई-5एल 80 एमएम तक गुणवत्ता प्लेट्स	6-12*1550 एमएम	5,00,000
4	हॉट रॉल्ड प्लेट्स	2-4*1030-1650 एमएम	2,00,000
5	एलपीजी सिलेंडर	2.0-3.15*1000-1665 एमएम	2,00,000
6	हॉट रॉल्ड क्वाइल	1.6-10*900-1650 एमएम	9,46,000
7	हाई कार्बन इस्पात	205-11.5 एमएम	50,000
8	सिलीकॉन इस्पात	1.81-3.5 एमएम	1,00,000
9	ऑटोमोटिव इस्पात		1,00,000
	कुल		28,96,000

तत्पश्चात्, कम्पनी ने मीकान द्वारा प्रस्तुत टीईएफआर का यथोचित आकलन करने का कार्य प्राइसवाटरहाउसकूपर्स को दिया (मार्च 2009) जिसने मई 2009 में आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत की। तदनुसार, एनएमडीसी बोर्ड ने नगरनार, छत्तीसगढ़ में समेकित इस्पात संयंत्र की स्थापना हेतु मंजूरी दी (जनवरी 2010) तथा मार्च 2014 तक निर्धारित पूर्णता के साथ ₹403.65 करोड़ के निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) को शामिल करते हुए ₹15,525 करोड़ की अनुमानित राशि संस्वीकृत की। कम्पनी का नगरनार में परियोजना के लिए 884.189 हेक्टेयर (2,184.83 एकड़²⁷) भूमि पर अधिकार था। संयंत्र हेतु अपेक्षित मूल कच्ची सामग्री लौह अयस्क, कोकिंग कोयला, लाइम तथा डोलोमाइट थी। बेलाडीला डिपॉजिट-4 को लौह अयस्क के लिए एक संसाधन के रूप में निर्धारित किया गया। कोकिंग कोयले को चीन, न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया से आयात करने की योजना बनाई गई थी। लाइम तथा डोलोमाइट को घरेलू रूप से मँगाने की योजना बनाई गई थी। मई 2011 तक 36.483 हेक्टेयर वन भूमि सहित वन मंजूरी स्तर-II प्राप्त की गई।

²⁷ एक हेक्टेयर 2.471 एकड़ के बराबर है।

कंपनी इस्पात संयंत्र की स्थापना के क्षेत्र में नई थी और परियोजना के कार्यान्वयन में कंपनी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) एक बेहतर परिज्ञान और नियंत्रण प्रदान कर सकती थी। डीपीआर समान्यतः अध्ययनों से प्राप्त डेटा और परिणामों के आधार पर तैयार की जाती है। डीपीआर में सभी मुख्य पहलूओं के विस्तृत विवरण तैयार किये जाते हैं। टीईएफआर और डीपीआर के बीच मुख्य अंतर सटीकता के स्तर और विवरण के स्तर का होता है।

हमने पाया कि कम्पनी ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाए बिना परियोजना का क्रियान्वयन आरम्भ किया तथा टीईएफआर में दिए संभावित विवरण के आधार पर विभिन्न पैकेज दिए। परिणामस्वरूप, आकलनों का उर्ध्वगामी संशोधन किया गया तथा निविदाओं को आमंत्रित करने के पश्चात् तकनीकी विनिर्देशों को परिवर्तित किया गया। इसके फलस्वरूप आगामी पैराग्राफों में विस्तृत अनुसार निविदाकरण तथा पैकेज देने में विलम्ब हुआ।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि टीईएफआर ने उपलब्ध तकनीक के निर्धारण, कच्चे माल, भूमि, जल, विद्युत तथा अन्य अवसंरचनात्मक आवश्यकता के साथ सामान्य रूप रेखा के निर्माण के साथ वैचारिक ढांचा प्रदान किया तथा यह निवेश निर्णय के लिए आधार होगा। समय व्यतीत होने के साथ, डीपीआर बनाने की धारणा ने अपनी संगतता खो दी थी क्योंकि इसे बनाने पर अधिक समय बीत जाता है जिसके फलस्वरूप परियोजना समय निर्धारण तथा लागत में वृद्धि होती है।

प्रबंधन का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि डीपीआर के निर्माण से परियोजना के निर्धारित समय तथा लागत में वृद्धि होती है, क्योंकि डीपीआर से परियोजना क्रियान्वयन के प्रभावी नियंत्रण तथा मॉनीटरिंग में सहायता मिलती है। टीईएफआर को यह निर्धारण करने के लिए बनाया जाता है कि क्या प्रस्तावित परियोजना तकनीकी रूप से तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य है तथा यह परियोजना शुरू करने के लिए निर्णय लेने हेतु आधार बनाती है। डीपीआर कार्य के कार्यक्षेत्र, परियोजना की अनुमानित लागत, पैकेजों का विवरण, चयनित की जाने वाली तकनीक, तकनीकी विनिर्देश आदि जैसे व्यौरे प्रदान करती हैं जो परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अनिवार्य हैं। टीईएफआर तथा डीपीआर के बीच प्रयोजन का स्पष्ट अन्तर कम्पनी के हित में अत्यावश्यक था। इसकी पुष्टि इस तथ्य से की गई कि तकनीकी विनिर्देशों को बाद में परिवर्तित किया गया, लागत आकलन में उर्ध्वगामी संशोधन किया गया तथा टीईएफआर के समय आरम्भिक रूप से परिकल्पित न होने वाले पैकेजों की संख्या को बाद में जोड़ा गया तथा अतंतः इसके फलस्वरूप अधिकतर पैकेजों को देने/उनके क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ।

हमारे तर्क को स्वीकार करते समय, मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि डीपीआर बनाना उन साधारण परियोजनाओं के लिए संभव हो सकता था जहां जटिलता नहीं थी। यद्यपि डीपीआर अधिक पूर्ण आकलन देती है, कार्यक्षेत्र, विनिर्देशों आदि को अंतिम रूप देना कठिन था, कुछ सुविधाएं अन्य पैकेजों, परिचालनात्मक धारणा, अनुरक्षण तथा कार्यनीति पर अधिक निर्भर थी। इसके अलावा, कुछ निजी प्लेअरों ने अपनी विस्तारित परियोजनाओं/ नई परियोजनाओं को टीईएफआर के आधार पर क्रियान्वित किया।

यदि कम्पनी ने डीपीआर बनाई होती तो लागत तथा समय आधिक्य को कम किया जा सकता था अथवा रोका जा सकता था, जैसा कि आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3.1.1 इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए सलाहकार के रूप में मीकान लिमिटेड की नियुक्ति

कम्पनी ने अपनी 404वीं बोर्ड बैठक (24 जुलाई 2008) में नामांकन आधार पर इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण प्रबंधन तथा परियोजना प्रबंधन (ईपीसीएम) के लिए एकमुश्त आधार पर मीकान को नियुक्त करने का निश्चय किया। तदनुसार, परामर्श कार्य ठेका 25 मार्च 2009 की प्रभावी तिथि से 60 माह अर्थात् मार्च 2014 तक की पूर्णता अवधि के साथ ₹351 करोड़ की लागत पर दिया गया (23 फरवरी 2011)। ठेके की शर्तों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी अनुबंधित किया कि ₹140.40 करोड़ की ठेका मूल्य राशि के 40 प्रतिशत का भुगतान प्रभावी तिथि से 60 मासिक किश्तों में किया जाएगा तथा ₹210.60 करोड़ (60 प्रतिशत) की शेष राशि का भुगतान इंजीनियरिंग सेवाओं की पूर्णता हेतु माइलस्टोन की प्राप्ति पर किया जाना था। इसके प्रति, कम्पनी ने मार्च 2014 तक मासिक किश्तों के प्रति ₹140.40 करोड़ के 40 प्रतिशत का भुगतान किया था तथा ₹210.60 करोड़ के 60 प्रतिशत माइलस्टोन भुगतान के प्रति, कम्पनी ने अगस्त 2017 तक ₹173.80 करोड़ का भुगतान किया था।

3.1.2 सलाहकार का कार्य-निष्पादन

टीईएफआर के अनुसार, प्रमुख तकनीकी पैकेजों के लिए आर्डर देने का कार्य प्रभावी तिथि के 19 माह के अन्दर पूर्ण किया जाना था तथा इसे परियोजना की शून्य-तिथि के रूप में संगणित किया जाना था। परियोजना को शून्य तिथि से 42 महीने में शुरू किया जाना था। इसके अलावा, सहायक पैकेजों को देने का कार्य शून्य तिथि से 17 माह के अन्दर पूर्ण किया जाना था। तदनुसार, प्रमुख पैकेजों को अक्टूबर 2010 (अर्थात् मार्च 2009 की प्रभावी ईपीसीएम ठेका तिथि से 19 माह) तक दिया जाना था तथा सहायक पैकेजों को मार्च 2012 तक दिया जाना था। कम्पनी ने 44 कार्य आदेश दिए (मार्च 2017) जिनमें से ₹5 करोड़

तथा अधिक मूल्य के 38 कार्य आदेश का हमारे द्वारा चयन तथा निरीक्षण किया गया जैसाकि नीचे विस्तृत है:

तालिका 3.2 - नगरनार समेकित इस्पात संयंत्र के निर्माण हेतु दिए गए पैकेजों का विवरण

पैकेजों की श्रेणी	ठेको की कुल संख्या	मूल्य (₹ करोड़ में)	चयनित ठेको की संख्या	चयनित ठेको का मूल्य (₹ करोड़ में)
प्रमुख पैकेज	9	11878.47	9	11878.47
सहायक पैकेज	14	2316.23	13	2313.12
अवसरंचनात्मक पैकेज	7	311.69	5	304.62
एनेबलिंग पैकेज	11	236.94	8	231.28
रेलवे पैकेज	3	446.39	3	446.39
कुल	44	15189.72	38	15173.88

38 चयनित खरीद आदेशों के संदर्भ में उपरोक्त कार्यान्वयन अनुसूची के संदर्भ के साथ निविदा जारी करने तथा ठेका देने की तिथियों का विवरण, व विलम्ब हेतु कारणों सहित खरीद आदेश देने में विलम्ब को **अनुलग्नक-VII** में दिया गया है।

3.1.3 प्रमुख पैकेज देने में विलम्ब

नौ मुख्य पैकेजों को देने का कार्य अक्टूबर 2010 तक पूरा किया जाना था। यह पाया गया कि कम्पनी अप्रैल 2010 तक एक भी निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी)/सीमित निविदा पूछताछ (एलटीई) आमंत्रित नहीं कर सकी तथापि लागत आकलन तैयार करने तथा निविदा विनिर्देश कार्य को अंतिम रूप देने के लिए कार्रवाई बहुत पहले जुलाई 2009 में आरम्भ हो गई थी। इसे अप्रैल 2010 से जुलाई 2011 तक की समयावधि के दौरान जारी किया गया था। इसके अलावा, कम्पनी ने एनआईटी/एलटीई के बाद 9 माह से 25 माह की अवधि के अन्दर नौ मुख्य पैकेजों के लिए खरीद आदेश दिया। मानक बोली दस्तावेजों में किए गए परिवर्तन, लागत आकलन/बोली मूल्य के संशोधन, तकनीकी विनिर्देश में परिवर्तन, भावी बोलीदाताओं के साथ चर्चा के पश्चात् कुछ सुविधाओं को जोड़ने अथवा हटाने आदि की वजह से विलम्ब हुआ था। खरीद आदेश देने में पैकेज-वार विलम्ब का विश्लेषण **अनुलग्नक-VII** में दिया गया है। निविदाकरण स्तर के दौरान नौ पैकेजों में से छ: के संदर्भ में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, परिमाण/मात्रा में परिवर्तन, कम-आकलन की वजह से आकलित लागत में ₹1,211.80 करोड़ की राशि जोड़ी गई। उदाहरणार्थ पैकेज-I अर्थात् कच्ची सामग्री प्रबंधन प्रणाली (आरएमएचएस) के मामले में, वैगन टिप्पलर, स्ट्रीम क्षमता तथा स्टॉक यार्ड आदि

के ब्यौरे में परिवर्तन के कारण आकलित लागत ₹279.35 करोड़ तक बढ़ गई तथा पैकेज-2 अर्थात् कोक अवन बैट्री के संदर्भ में, विखनिजीकरण जल संयंत्र, पुशिंग एमिशन कन्ट्रोल सिस्टम, अपवर्तकों आदि के प्रति कार्यक्षेत्र में वृद्धि की वजह से आकलित राशि में ₹173.90 करोड़ तक वृद्धि हुई। तथ्य यह है कि आकलनों में संशोधन हुआ था तथा तकनीकी ब्यौरे, सुविधाओं में वृद्धि/कमी सलाहकार की तरफ से परियोजना निर्माण तथा लागत आकलन में कुशलता तथा विशेषज्ञता पर संदेह उत्पन्न करती है।

प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (मार्च/जुलाई 2018) कि इसे फरवरी 2011 तक सभी अनिवार्य मंजूरी मिल सकती थी। तदनुसार, शून्य तिथि को मई 2015 की नियत पूर्णता के साथ मार्च 2011 तक निर्धारित किया गया था। मंजूरी से पूर्व, समान कार्रवाई के रूप में मुख्य पैकेजों के लिए ब्यौरों तथा लागत आकलनों को 2009-10 के दौरान बनाया गया। सभी नौ मुख्य पैकेजों को परियोजना की शून्य तिथि से 14 माह के अन्दर मई 2012 तक अंतिम रूप दिया गया था।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि ईपीसीएम ठेके की प्रभावी तिथि मार्च 2009 घोषित की गई थी तथा टीईएफआर के अनुसार मुख्य पैकेजों के पूर्व-आदेश कार्यों को 19 माह के अन्दर अर्थात् अक्टूबर 2010 तक पूरा किया जाना था जिसे शून्य तिथि के रूप में माना जाना चाहिए। चूंकि मुख्य पैकेजों को नवम्बर 2012 तक अंतिम रूप दिया गया था अतः इन पैकेजों को देने में कम्पनी द्वारा लिया गया समय टीईएफआर में अनुबंधित 19 माह के प्रति 44 माह था।

3.1.4 सहायक तथा अन्य पैकेजों को देने में विलम्ब

सहायक पैकेजों को मार्च 2012 तक अर्थात् शून्य तिथि से 17 माह के अन्दर दिया जाना था। हालांकि सलाहकार ने इन पैकेजों के लिए एनआईटी/ईओआई जुलाई 2016 तक भी आमंत्रित किए। इसके अलावा, कम्पनी ने पैकेज देने के लिए अनुबन्धक-VII में दिए विवरण के अनुसार एनआईटी/ईओआई की तिथि (दिसम्बर 2010 व अप्रैल 2017) से 5 माह से 46 माह तक लिए। ये विलम्ब विनिर्देशों को अंतिम रूप देने में विलम्ब, सलाहकार/निविदा संवीक्षा समिति द्वारा लिए गए मूल्यांकन समय, एकल बोली की प्राप्ति की वजह से पुनः निविदाकरण, जहां एल-I मूल्य आकलन से काफी अधिक था वहां सशक्त निदेशक समिति/बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करना आदि के कारण थे। निविदाकरण स्तर के दौरान, मात्रा/परिमाण में परिवर्तन की वजह से पैकेजों की आकलित लागत में ₹1,413.28 करोड़ की राशि जोड़ी गई। उदाहरणार्थ, पावर एवं ब्लोइंग स्टेशन पैकेज में, स्टीम टर्बाइन एवं जनरेटर, इलेक्ट्रिकल्स तथा विखनिजीकरण जल संयंत्र आदि की क्षमता में ₹70 करोड़ तक वृद्धि थी

तथा प्लांट पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पैकेज के संदर्भ में एयर इन्सुलेटिड सबस्टेशन से गैस इन्सुलेटिड सबस्टेशन सुविधा की स्थिति गियर की तकनीक में परिवर्तन की वजह से ₹79 करोड़ तक वृद्धि थी।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि सहायक पैकेजों के निविदाकरण की योजना प्रमुख पैकेजों के क्रियान्वयन की प्रगति के आधार पर बनाई जानी थी क्योंकि सहायक पैकेजों के लिए विनिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए प्रमुख तकनीकी पैकेज ठेकेदारों से विभिन्न इनपुट की आवश्यकता थी। इसके अलावा, कुछ सहायक/अवसंरचना पैकेजों की खराब प्रतिक्रिया/किसी बोलीदाता के योग्यता मानदण्ड पूरा न करने/एल-1 बोलीदाता द्वारा उद्धृत अधिक मूल्यों की वजह से पुनः निविदा की गई। उक्त प्रक्रिया ने कुछ निविदाओं में समय लिया।

टीईएफआर में शून्य तिथि से 17 माह के भीतर सहायक तथा अन्य पैकेज देने की परिकल्पना की गई थी। यद्यपि, इन पैकेजों के कार्य 5 से 46 माह के बीच की अवधि के अन्दर दिए गए थे। यदि कम्पनी ने डीपीआर बनाई होती, जो कार्य के पूर्ण कार्यक्षेत्र, तकनीकी विनिर्देशों तथा लागत आकलनों को स्थिर रखती है, तो विलम्ब को रोका जा सकता था। डीपीआर बनाने में विफलता के फलस्वरूप निविदाकरण तथा पैकेज देने में परिहार्य विलम्ब हुआ।

मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि सुविधाओं के परिचालन तथा अनुरक्षण की सुविधा पर विचार करते हुए निविदा स्तर के दौरान नई सुविधाएं जोड़ी गई। लेखापरीक्षा द्वारा की गई यह आपत्ति गलतफहमी पैदा करने वाली थी कि डीपीआर बनाने की विफलता के परिणामस्वरूप निविदाकरण तथा पैकेजों को देने में परिहार्य विलम्ब हुआ जिसे उन अन्य इस्पात पीएसयू में अनुरक्षित प्रक्रिया द्वारा सिद्ध किया गया है जहां परियोजना का क्रियान्वयन टीईएफआर आधार पर किया जाता है।

उत्तर की इस तथ्य के संदर्भ में समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है कि सहायक पैकेजों की कुल लागत को ₹1,776.25 करोड़ की वृद्धि दर्शाते हुए ₹1,557.05 करोड़ से ₹3,333.30 करोड़ तक संशोधित किया गया। इसमें से ₹1,413.28 करोड़ की वृद्धि कार्य के परिमाण/मात्रा में परिवर्तन के प्रति थी। यह दर्शाती है कि टीईएफआर में अनुचित परियोजनाएं बनाई गई थीं। यदि कम्पनी ने डीपीआर बनाई होती तो पूर्ण कार्यक्षेत्र को अधिक सटीकता से आकलित किया जा सकता था तथा कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की आवश्यकता से बचा जा सकता था।

3.1.5 कुल परियोजना लागत का संशोधन

बोर्ड ने परियोजना लागत के रूप में ₹15,525 करोड़ की मंजूरी दी (जनवरी 2010)। यद्यपि दिए गए कार्यों की लागत में वृद्धि के संदर्भ में, मूल आकलन पर ₹6,671 करोड़ (43 प्रतिशत) की वृद्धि को दर्शाते हुए ₹22,196 करोड़ के लागत आकलन में संशोधन की मंजूरी के लिए बोर्ड को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था (दिसम्बर 2016)। आकलित लागत में संशोधन कार्यक्षेत्र में परिवर्तन तथा कार्य के परिमाण/मात्रा में वृद्धि व कमी (₹3,842 करोड़) तथा मूल्य संवर्धन, विदेशी विनिमय भिन्नता तथा शुल्कों व करों में परिवर्तन (₹2,829 करोड़) की वजह से था। संशोधित लागत आकलन (आरसीई) को बोर्ड द्वारा अभी मंजूर किया जाना था (मार्च 2018)। इसके अलावा, कार्य के परिमाण/मात्रा में वृद्धि में 90 किमी. लम्बाई की 220 केवी लाइन के बजाय 331 किमी. लम्बी 400 केवी लाइन बिछाने के कारण ₹70 करोड़ से ₹404.96 करोड़ तक (₹334.96 करोड़ की निवल वृद्धि), बाह्य विद्युत संचरण लाइन की लागत में वृद्धि, 40 किमी. से 65 किमी. तक लम्बाई में वृद्धि तथा पूर्व तटीय रेलवे के आदेश पर नई सुविधाओं में वृद्धि के कारण ₹134 करोड़ से ₹557.71 करोड़ तक (₹423.71 करोड़ की निवल वृद्धि), रेलवे पैकेज मूल्य तथा सभी कर्मचारियों (टीईएफआर में परिकल्पित 75 प्रतिशत श्रमबल के बजाय) के लिए क्वार्टरों के निर्माण तथा विद्यालय, अस्पताल तथा गेस्ट हाउस आदि जैसी सार्वजनिक बिल्डिंग के प्रति लागत के समावेश की वजह से टाउनशिप पैकेज में ₹300 करोड़ से ₹1,870.27 करोड़ तक वृद्धि (₹1,570.27 करोड़ की निवल वृद्धि) सम्मिलित थी।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि लागत आकलन को विभिन्न सुविधाओं जिसमें तकनीकी/सहायक/समर्थ पैकेज, बाह्य अवसंरचना, टाउनशिप, रेलवे ट्रैक एंव साइडिंग कार्य, विस्तृत इंजीनियरिंग, परामर्श फीस एंव परियोजना प्रबंधन, भूमि तथा साइट विकास आदि सम्मिलित थे, के शेष पैकेजों के लिए आकलित लागत, विस्तृत अंतिम कार्यक्षेत्र के साथ अंतिम रूप दिए गए मूल्यों की वजह से संशोधित किया गया था। इसके अलावा, आरसीई में निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी), आकस्मिकताएं, प्राथमिक एंव पूर्व-परिचालन व्यय, आईएनआर (रूपए) भाग पर मूल्य संवर्धन हेतु प्रावधान तथा विदेशी मुद्रा भिन्नता, पुनरुद्धार तथा पुनर्वास (आर एंव आर) के प्रति सामाजिक प्रतिबद्धता आदि सम्मिलित था। आरसीई ₹22,610.35 करोड़ तक अनुमानित था जिसे अभी बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया जाना था।

यदि कम्पनी ने डीपीआर बनाई होती तो लागत आकलनों में वृद्धि को करों और शुल्कों तथा विदेशी मुद्रा भिन्नता में परिवर्तन तक सीमित किया जा सकता था।

मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि लेखापरीक्षा अवलोकन स्पष्ट नहीं है क्योंकि करों तथा शुल्कों और विदेशी मुद्रा भिन्नताओं में आगामी परिवर्तन का आरम्भिक स्तर पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

जबकि करों/शुल्कों की परिवर्तनशील प्रकृति और विदेशी मुद्रा में परिवर्तन/अस्थिरता के कारण लागत अनुमानों में परिवर्तनों को नज़रंदाज नहीं किया जा सकता, परियोजना लागत अनुमानों पर मुख्य संशोधन कम से कम हो सकते थे, यदि कंपनी ने डीपीआर तैयार की होती।

3.1.6 परियोजना का क्रियान्वयन

टीईएफआर के अनुसार, सम्पूर्ण परियोजना (निविदाकारण, क्रियान्वयन तथा चालू करना) को 60 माह के अन्दर अर्थात् मार्च 2014 तक (मार्च 2009 से प्रभावी तिथि होते हुए) पूर्ण होना चाहिए था। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए, कम्पनी ने फरवरी 2011 में दो परामर्श कार्य ठेके दिए अर्थात् निविदाकरण तथा पैकेज देने के लिए फरवरी 2011 में ईपीसीएम ठेका दिया तथा परियोजना प्रबंधन और निर्माण पर्यवेक्षण सेवा (पीएमसी) ठेका अप्रैल 2012 में दिया गया। दोनों ठेके मीकान को दिए गए। टीईएफआर में अनुबंधित समयसीमा के अनुसार, ईपीसीएम ठेके की निर्धारित पूर्णता अवधि मार्च 2014 थी। हालांकि, पीएमसी ठेके की निर्धारित पूर्णता अवधि मार्च 2015 तक थी जो मार्च 2014 की निर्धारित पूर्णता अवधि से बाद की थी।

पीएमसी ठेके में प्रभावी तिथि (07 जनवरी 2011) से मासिक आधार (जनवरी 2011 से दिसम्बर 2014 तक) पर ठेका मूल्य (₹244 करोड़) के 40 प्रतिशत अर्थात् ₹97.60 करोड़ की राशि के भुगतान हेतु प्रावधान था तथा शेष ₹146.40 करोड़ (60 प्रतिशत) का भुगतान परियोजना की माइलस्टोन पूर्णता पर किया जाना था। कम्पनी ने अभी तक पीएमसी ठेके के क्रियान्वयन के प्रति सलाहकार को ₹161.48 करोड़ का भुगतान किया था (17 फरवरी 2018) जिसमें वास्तविक प्रगति से जोड़े बिना मासिक भुगतान के प्रति ₹97.60 करोड़ शामिल थे।

3.1.6.1 मुख्य पैकेजों का क्रियान्वयन

कम्पनी ने अनुलग्नक-VIII में वर्णित अनुसार नवम्बर 2013 से अप्रैल 2015 के बीच नियत पूर्णता अवधि के साथ जनवरी 2011 से नवम्बर 2012 तक की समयावधि के दौरान नौ प्रमुख पैकेज दिए। हमने पाया कि, नियत पूर्णता तिथियों के बाद 32 माह से 49 माह के बीच विलम्ब के पश्चात भी कोई भी प्रमुख पैकेज पूर्ण नहीं हुआ था (31 दिसम्बर 2017 तक)। पैकेज-8 (लाइम तथा डोलोमाइट प्लांट) जिसमें केवल 45 प्रतिशत प्रगति थी, को छोड़कर प्राप्त की गई प्रत्यक्ष प्रगति 85 प्रतिशत तथा 98 प्रतिशत के बीच थी। किसी भी पैकेज के लिए सिविल/संरचनात्मक ड्राइंग की प्रस्तुति तथा स्वीकृति पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुई थी। सलाहकार द्वारा बनाए गए (दिसम्बर 2017) नए परियोजना मूल्यांकन तथा समीक्षा तकनीक (पीईआरटी) नेटवर्क कार्यक्रम के अनुसार, ये पैकेज सभी संदर्भों में अगस्त 2019 तक पूर्ण होने के लिए अपेक्षित थे। पूर्णता में विलम्ब का कारण श्रमबल तथा सामग्री के अपर्याप्त नियोजन, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सामग्रियों की गैर-क्रमिक आपूर्ति तथा कार्य स्थलों के उपलब्ध न होने की वजह से धीमी प्रगति था। अनुबंध में दंडात्मक धाराएं निहित थी, जैसे कि अधिकतम 10 प्रतिशत का जुर्माना/एलडी लगाना और ठेकेदार पर आरोप्य देरी/खामियों के प्रति जोखिम और लागत खंड। इन धाराओं के अनुसार सलाहकार द्वारा देरी का विश्लेषण किये जाने के आधार पर अनुबंध की समाप्ति के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। इन पैकेजों के क्रियान्वयन में प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

कम्पनी ने समय विलम्बों के संदर्भ में प्रमुख पैकेजों के क्रियान्वयन पर कोई टिप्पणी नहीं दी (मार्च 2018)।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने (जुलाई 2018) कहा कि ऐसे पैकेजों की पूर्णता में विलम्ब को ठेके के प्रावधानों के आधार पर निपटाया जाएगा।

(क) पैकेज-1 कच्चा माल हैंडलिंग प्रणाली (आरएमएचएस)

आरएमएचएस पैकेज के प्रधान ठेकेदार, बीएचईएल ने कन्वेयर व जंकशन हाउस कार्य (मैसर्स टेक्प्रो सिस्टम्स को) और इमारत के सिविल और संरचनागत कार्य (मैसर्स प्रसाद एन्ड कंपनी को) से संबन्धित उप-पैकेजों को दिया। जून 2013 में मैसर्स टेक्प्रो सिस्टम द्वारा कन्वेयर

और जंक्शन हाउस कार्य के कार्यान्वयन के अवरोध के कारण बीएचईएल ने बचे हुए कार्य को 6 विभिन्न उप पैकेजों में बांट दिया और पुनः निविदा (दिसम्बर 2013) की और 6 विभिन्न ठेकेदारों को (सितम्बर और नवम्बर 2014) कार्य दिया गया। ठेकेदारों द्वारा श्रमबल की अपर्याप्त तैनाती और सामग्री और उपकरणों की अनियमित रूप से आपूर्ति के कारण कार्य की धीमी प्रगति के अलावा कार्य के निष्पादन में समस्त देरी के कारण 17 महीने का समय लिया।

मैसर्स टेक्प्रो द्वारा कन्वेयर और जंक्शन हाउस के गैर-निष्पादित भाग की पुनः निविदा में विलम्ब को कम करने के प्रयासों के बारे में प्रबंधन ने कोई उत्तर नहीं दिया।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2018) कि मैसर्स टेक्प्रो के असामिक निकास से बड़े स्तर पर यांत्रिकता और संरचनागत डिजाइन इनपुट की बेमेल/अप्राप्यता हुई जिससे मैसर्स टेक्प्रो के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कार्य क्षेत्र के विरुद्ध अंतिम रूप देने में और अनुवर्ती कई अनुबंध देने को लेकर विलम्ब हुआ।

(ख) पैकेज-8 लाइम और डोलोमाइट काल्सिनेशन प्लान्ट

अनुबंध (अप्रैल 2013) के अनुसार कार्य को कई भागों में बांट दिया गया और जिसे कनसोर्टियम ऑफ सिनोकालसी कार्पोरेशन, चीन, चौंगकिंग च्यून्यी ऑटोमेशन क. लि. चीन और लाक्सन्स ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड मुम्बई द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। चूंकि चौंगकिंग च्यून्यी ऑटोमेशन क. लि. चीन द्वारा विद्युत सामग्री की आपूर्ति से संबंधित कार्य को कई समरण-पत्र भेजने के बावजूद भी ठेकेदार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो कंपनी ने दिसम्बर 2015 में ठेकेदार को समाप्ती नोटिस जारी किया। ठेकेदार ने समाप्ती नोटिस के खिलाफ दावा किया और मध्यस्थता की मांग की। पुनः निविदा के बिना सिनोकालसी कोर्पोरेशन, चीन (मशीनरी काम के आपूर्तीकार) नामक अन्य सहायता संघ को कार्य स्थानांतरित किया गया (11 नवम्बर 2016)। इस प्रक्रिया ने 9 महीने लिये जो कार्य की धीमी प्रगति के अलावा विलंब का महत्वपूर्ण कारण है।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2018) कि सिनोकालसी द्वारा समान कार्यों को निष्पादित करने और मिकोन द्वारा उसकी संवीक्षा करनें के लिए प्रत्ययपत्र की प्रस्तुती में विलम्ब के कारण विलम्ब हुआ।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2018) विलम्ब को अनुबंधों के प्रावधानों के आधार पर अंतिम देरी विश्लेषण के समय उचित तरीके से निपटाया जाएगा।

3.1.6.2 सहायक पैकेजों का कार्यान्वयन

लेखापरीक्षा ने नवम्बर 2012 से जनवरी 2017 के दौरान दिये गये 13 सहायक पैकेजों (जैसे उर्जा रसाव, संपीडित वायु प्रणाली और सयंत्र में और सयंत्र के बाहर जल वितरण आदि) की समीक्षा की। जेसे कि **अनुलग्नक-VIII** में विस्तृत रूप से बताया है कि इन 13 पैकेजों के लिए अनुसूचित पूर्णता अवधि दिसम्बर 2014 से जुलाई 2018 के बीच थी। फरवरी 2017 तक इनमें से 9 पैकेज पूरे किए जाने थे। यह देखा गया (31 दिसम्बर 2017) कि 10 महीने से 36 महीने के बीच के विलम्बित अवधि के बाद भी 9 में से किसी भी सहायक पैकेजों को पूर्ण नहीं किया गया था। 68 प्रतिशत से 98.5 प्रतिशत तक की भौतिक प्रगति प्राप्त की गई। परामर्शदाता द्वारा तैयार (दिसम्बर 2017) नवीनतम पट्ट नेटवर्क अनुसूची के अनुसार सभी तरह से अगस्त 2018 और अप्रैल 2019 के बीच इन पैकेजों को पूर्ण करना अपेक्षित था। बाद में, यह देखा गया कि एम्बिएन्ट एयर मोनिटरिंग सिस्टम, प्लान्ट वाईड नेटवर्किंग आदि के कुछ पैकेजों के लिए कंपनी को आर्डर देना था जबकि पट्ट चार्ट के अनुसार इस कार्य को पूर्ण करने का अनुमानित समय मार्च 2020 तक था। हालांकि कंपनी ने इस कार्य को दिसम्बर 2017 तक प्रवर्तन में लाने का मंत्रालय को वचन दिया था जो अवास्तविक प्रतीत होता है।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2018) कि ठेकेदारों द्वारा अपर्याप्त संसाधन, तैनात श्रमबल, इंजीनियरिंग में विलम्ब, अनुक्रमिक तरीके से आपूर्ति में विलम्ब, ठेकेदारों को काम मोर्चा के उपलब्ध कराने में विलम्ब, प्रवेश कुओं के निर्माण के दौरान कोफर डैम के असफल हो जाने और ठेकेदार को कार्य क्षेत्र उपलब्ध करवाने में हुई देरी के कारणों से विलम्ब हुआ।

हमने देखा कि इंजिनीरिंग, सामग्री की अन-अनुक्रमिक तरीके से आपूर्ति, कार्य क्षेत्र की उपलब्धी आदि कारकों के कारण विलम्ब प्रकृति से नियंत्रित करने योग्य था और जिसे पीएमसी सलाहकार/कंपनी द्वारा उचित समन्वय और निगरानी के साथ संबोधित या कम किया जा सकता था।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2018) कि वर्तमान में अधिकतम पैकेजों में कार्य अच्छी गति से प्रगतिशील है। नियमित उच्च स्तरीय बैठकें, ठेकेदार और मेकोन के बीच में चर्चा, कार्यान्वयन दल/सलाहकार द्वारा विलम्ब को नियंत्रित करने के लिए साइट पर दिन प्रतिदिन फोलोअप के प्रयास किए गए थे।

3.1.6.3 संरचना पैकेजों का कार्यान्वयन

जून 2012 से सितम्बर 2018 तक की निर्धारित समापन अवधि के साथ जून 2011 से अप्रैल 2017 की अवधि के दौरान दिये गए पांच अवसंरचना पैकेजों की जांच की गई। स्टुडियो अपार्टमेन्ट-2 नामक एक पैकेज को जून 2012 तक का समापन समय था जिसका ठेकेदार ने नवम्बर 2015 तक के समय के विस्तार के बावजूद भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया। मुद्दा मध्यस्थता के अधीन था और कार्य को अन्य ठेकेदार को सौंप दिया गया। शेष 4 पैकेज में से दो जिन्हें अक्टूबर 2017 से पहले पूरा होने के लिए अनुसूचित किया गया था अभी तक लंबित थे और दिसम्बर 2017 तक केवल 52 प्रतिशत की ही प्रगति हासिल हुई।

प्रबंधन/मंत्रालय ने बताया (मार्च/जुलाई 2018) कि स्टुडियो अपार्टमेन्ट-2 से संबंधित ठेके को समाप्त कर और नए ठेकेदारों की नियुक्ति से दिसम्बर 2018 तक शेष कार्य पूरा होने की उम्मीद है।

3.1.6.4 सक्षम बनाने के पैकेजों का कार्यान्वयन

दिसम्बर 2010 से अगस्त 2016 तक की अवधि के दौरान दिए गए आठ सक्षम बनाने वाले पैकेजों की समीक्षा की गयी। इन आठ पैकेजों की निर्धारित समाप्ति अवधि दिसम्बर 2011 से सितम्बर 2017 के बीच थी जैसे कि अनुलग्नक-VIII में दिये हैं और तीन पैकेजों को 12 महीने से 41 महीने की देरी के साथ की पूर्ण किया गया था। एक पैकेज अर्थात् निर्माण जल अनुबंध को 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जून 2016 में समाप्त कर दिया गया था। कंपनी ने शेष कार्य को अभी तक किसी अन्य ठेकेदार को नहीं दिया। अन्य पैकेज अर्थात् बाउन्ड्री वाल एन्ड वाच टावर के निर्माण को 64 प्रतिशत का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् मई 2015 में समाप्त कर दिया गया था। शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए कार्य दिया जाना अभी बाकी था। 3 से 16 महीने तक की लक्षित समापन तिथियों में देरी के बाद भी शेष तीन पैकेज कार्य की प्रगति 29 प्रतिशत और 52 प्रतिशत के बीच थी।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2018) कि वाटर और बाउन्ड्री वाल संबंधित कार्य आदेश समाप्त कर दिए गए और पुनः निविदा प्रगति पर थी। शेष तीन पैकेजों के कार्यान्वयन में विलम्ब के बारे में प्रबंधन ने कोई टिप्पणी पेश नहीं की।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2018) कि संबंधित अनुबंधों में शर्त के अनुसार इस तरह के पैकेजों को पूरा करने में देरी का निपटारा किया जाएगा।

3.1.6.5 रेलवे पैकेजों का कार्यान्वयन

सितम्बर 2015 से अप्रैल 2016 की अवधि के दौरान दिए गए तीन रेलवे पैकेजों को मई 2017 तक पूर्ण किया जाना था जैसे कि **अनुलग्नक-VIII** में विवरण दिया गया है। यह देखा गया कि इसमें से कोई भी पैकेज को 31 दिसम्बर 2017 तक पूर्ण नहीं किया गया था। कार्य की भौतिक प्रगति केवल 35 प्रतिशत से 51 प्रतिशत तक ही थी।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2018) कि रेलवे द्वारा साइट क्लियरेन्स की मंजूरी, मानसून के दौरान जल भराव के कारण आगे कार्य को सौंपने में देरी और साइट स्थितियों के अनुसार डिजाइन और फाउन्डेशन ड्राइंग में परितर्वनों के कारण रेलवे पैकेजों में विलम्ब हुआ।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2018) कि इस प्रकार के पैकेजों के पूरा होने में देरी को संबंधित ठेकों के अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार उचित तरीके से निपटाया जाएगा।

3.1.7 एनआईएसपी के लिए निर्माण ऊर्जा का गलत मूल्यांकन

परामर्शदाता के सुझाव के आधार पर कंपनी ने निर्माण और संरचना कार्यों के लिए 27 मेगा वॉल्ट एम्पियर (एमवीए) और केवल निर्माण कार्य के लिए 17 एमवीए अधिकतम निर्माण ऊर्जा की आवश्यकता के मूल्यांकन पर मंजूरी दे दी (मई 2009) और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रिब्यूशन कार्पोरेशन लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) के साथ 132 किलो वॉल्ट (केवी) लाइन के माध्यम से क्रमशः 27 एमवीए पावर के आहरण के लिए, जिसका विवरण निम्नलिखित है, अनुबंध किया (मार्च 2010)।

तालिका 3.3 - नगरनार एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए आहरित करने हेतु प्रस्तावित चरणबध्न निर्माण उर्जा

चरण	बिजली की इकाइयों को खोंचा जाना चाहिए	आरंभ करने की तिथि
पहला चरण	5 एमवीए	करार की तिथि
दूसरा चरण	10 एमवीए	करार की तिथि से 2 माह बाद
तीसरा चरण	27 एमवीए	करार की तिथि से 11 माह बाद

सीएसपीडीसीएल ने कंपनी को सूचित किया (जुलाई 2013) कि 24 जुलाई 2013 तक उर्जा मीटर स्थापित किये गये थे और इसलिए करार के अनुसार बिजली उपलब्ध हो जाएगी और यदि 23 अक्टूबर 2013 तक बिजली लेने में असफलता हुई तो नोटिस की तिथि के बाद की तिथि से लागू न्यूनतम गारंटी शुल्क की लेवी लागू होगी। सीएसपीडीसीएल ने 5 एमवीए (अक्टूबर 2013 से दिसम्बर 2013) और 10 एमवीए (जनवरी 2014 से अक्टूबर 2016) के लिए संविदा मांग हेतु बिल दर्शाये। तथापि, दिसम्बर 2013 से नवम्बर 2016 की अवधि के दौरान निर्माण के लिए प्राप्त की गई वास्तविक पावर 1.08 एमवीए और 2.70 एमवीए के बीच थी। सीएसपीडीसीएल के उपर्युक्त अनुबंध को देखते हुए निर्माण में पावर की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए एनएमडीसी ने परामर्शदाता को निर्देश दिया (फरवरी 2014)। परामर्शदाता के निर्देशानुसार एनएमडीसी ने बिजली के लिए अनुबंधित मांग में 27 एमवीए से 8 एमवीए तक कम करने का अनुरोध किया (मार्च 2014)। तथापि, सीएसपीडीसीएल ने सूचना दिया (अप्रैल 2014) कि संवादात्मक करार/सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (सीईआरसी) के आपूर्ति कोड विनियम के शर्त पर करार के शुरू होने की तिथि से प्रारंभ दो साल की अवधि के दौरान एनएमडीसी 50 प्रतिशत यानि केवल 13.5 एमवीए तक की कमी की मांग कर सकता है। इसलिए, एनएमडीसी ने 01 अक्टूबर 2014 से 13.5 एमवीए की अधिकतम अनुवांछित मांग के साथ अनुपूरक करार किया (नवम्बर 2014)। इसके बाद, दिसम्बर 2016 से अधिकतम अनुबंधित मांग 13.5 एमवीए से 5 एमवीए तक कम कर दिया गया।

हमने देखा कि दिसम्बर 2013 से नवम्बर 2016 के बीच की अवधि के दौरान वास्तविक बिजली का उपभोग 1.08 एमवीए से 2.70 एमवीए के बीच था। प्रारंभ में एनएमडीसी द्वारा निर्माण की ऊर्जा आवश्यकता के अनुमान में बहुत ज्यादा चूक थी, इस तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि अंत में 27 एमवीए के आरंभिक अनुमान से एनएमडीसी ने अपनी

बिजली की आवश्यकता 5 एमवीए तक कम कर दी। फलस्वरूप, एनएमडीसी ने दिसम्बर 2013 से नवम्बर 2016 की अवधि में न्यूनतम मांग राशि के प्रति ₹8.91 करोड़²⁸ का परिहार्य व्यय किया।

प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (मार्च/जुलाई 2018) कि समान परियोजना में पूर्व अनुभव पर आधारित अधिकतम मांग को ध्यान में रखते हुए 27 एमवीए बिजली की मांग का मूल्यांकन मेकॉन (परामर्शदाता) ने किया था। तथापि, कई कारणों से परियोजना की कार्यान्वयन अवधि अधिक लम्बे समय के लिए बढ़ाई गई जिसके परिणामस्वरूप निर्माण कार्य के लिए अधिकतम बिजली की मांग में कमी हुई। सीईआरसी के आपूर्ति कोड के तहत मेकॉन के पुनः मूल्यांकन के आधार पर न्यूनतम बिजली की मांग धीरे धीरे 5 एमवीए तक कम हो गई।

कम्पनी के उपरोक्त तर्क के बावजूद, कंपनी को 4 एमवीए²⁹ की न्यूनतम अनुबंध मांग के साथ सीएसपीडीसीएल के साथ करार करने का विकल्प था क्योंकि करार के अनुसार बाद में बिजली की मांग में कोई भी वृद्धि हुई तो अतिरिक्त सुरक्षा जमा राशि के भुगतान के साथ अनुमति मिल सकती है और पूरक करार में प्रवेश कर सकते हैं। इस अवसर का उपयोग न करने पर कंपनी को न्यूनतम मांग राशि पर ₹8.91 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

3.2 पन्ना, मध्य प्रदेश में हीरा खनन

लौह अयस्क बिक्री के आलावा, कंपनी मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिले के मझगांव में प्रति वर्ष एक लाख कैरेट की उत्पादन क्षमता के साथ डायमंड खनन का कार्य भी करती है। उत्पादित हीरे में प्रथक-प्रथक मणि/ पैकेट, बदरंग प्रथक/पैकट, औद्योगिक प्रथक/पैकट होते हैं। डायमंड खनन परियोजना में मुख्य खनन पट्टा (113.332 हेक्टेयर) और पूरक पट्टा (162.631 हेक्टेयर, 74.018 हेक्टेयर वन भूमि के साथ) शामिल थे। दोनों पट्टे वन्यजीवी अभ्यारण्य क्षेत्र अर्थात् पन्ना टाइगर

²⁸ करार के आधार पर (10 एमवीए, 13.5 एमवीए) 75% के अनुबंधित अधिकतम मांग के अनुसार न्यूनतम चार्ज किए जाने वाले मांग एवं उपक्षेत्र से 132 के बी ए का वोल्टेज टैरिफ अधिसूचना के आधार पर तय होने वाली 4 एमवीए के सीएमडी के अनुसार न्यूनतम चार्ज किए जाने वाली मांग के बीच का अंतर।

²⁹ छत्तीसगढ़ राज्य बिजली वितरण बोर्ड 132 केवी से बिजली वितरण प्रणाली से (जो प्लान्ट में परिचालित करते थे), 4 एमवीए से 40 एमवीए तक का न्यूनतम और अधिकतम बिजली वितरण प्रदान करते हैं।

रिजर्व के अंतर्गत आते थे। मुख्य खनन पट्टा क्षेत्र में टफ³⁰, का निष्कर्षण होता था और पूरक पट्टा क्षेत्र में टफ प्रसंस्करण संयत्र और अन्य अवसंरचना सुविधाएं स्थापित थी। 15 जुलाई 1965 से डीएमपी में खनन की गतिविधियां आरंभ की गई। मुख्य पट्टा और पूरक पट्टा क्रमशः 14 जुलाई 2025 और दिसम्बर 2020 तक वैध थे। इस प्रकार, हालांकि, जुलाई 2025 तक कंपनी मुख्य खनन पट्टा क्षेत्र से टफ का निष्कर्षण कर सकती है, दिसम्बर 2020 के बाद पूरक खनन पट्टे से संसाधित करने में सक्षम नहीं होगी क्योंकि पूरक खनन लीज दिसम्बर 2020 तक वैध होगी।

3.2.1 भौतिक प्रदर्शन

निम्नलिखित तालिका 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान के भौतिक लक्ष्य के साथ-साथ वास्तविक प्रदर्शन निर्धारित करती है:

तालिका 3.4 - हीरा खनन में भौतिक लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि

वर्ष	ओवरबर्डन (क्यूबिक मीटर)		टन में टफ (अयस्क)				हीरे का उत्पादन (केरट में ³¹)	
			खदान के लिए		संसाधन हेतु			
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
2012-13	शून्य	213379	शून्य	240604*	शून्य	187128*	शून्य	31533.39
2013-14	शून्य	873	500000	225057*	450000	200499*	45000	37081.70*
2014-15	शून्य	64518	500000	269764*	450000	199239*	45000	35085.46*
2015-16	शून्य	687	350000	278522*	350000	300693*	35000	35558.31*
2016-17	शून्य	167	350000	298993*	350000	280752*	35000	35611.07*

(*) वास्तविक आंकड़े वित्तीय विवरण से प्राप्त किये गये हैं।

हमने देखा कि ओवरबर्डन को हटाने के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। 2015-16 और 2016-17 में ही इकाई हीरा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकी और किसी भी वर्ष में खनन और टफ के उपचार के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया।

प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (मार्च/जुलाई 2018) कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त जांच समिति द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अनुसार गढ़े की परिधि/बाद के विस्तार के लिए

³⁰ हीरा खनन के दौरान निकाले गए खनन के भाग को टफ कहा जाता है। टफ के प्रसंस्करण पर हीरा प्राप्त होता है।

³¹ केरट 0.2 ग्राम के बराबर है।

कोई गुंजाइश नहीं होने पर व्यर्थ खनन की आवश्यकता नहीं थी इसलिए 2014-15 से 2016-17 के दौरान ओवरबर्डन को हटाने के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। इसलिए खनन और टफ के निष्कर्षण से संबंधित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए लेकिन डायमंड के उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त हो गए थे।

3.2.2 अंतिम स्टॉक का अधिक संचय

प्रत्येक वर्ष के अंत में बचे हुए हीरों के नहीं बिके हुए स्टॉक और टफ की असंसाधित मात्रा के ब्यौरे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 3.5 - हीरों और टफ के अंतिम स्टॉक का वर्षवार विवरण

वर्ष	हीरे केरेट में				बिना बिके हुए स्टॉक का मूल्य (₹ करोड़ में)	टफ (टन में)		
	उत्पादन	विक्रय	बिना बिका स्टॉक	उत्पादन का %		उत्पादन	संसाधित मात्रा	संसाधित नहीं किया हुआ स्टॉक
आदि शेष	---	---	11603.06					
2012-13	31533.39	17862.57	25273.88	80	25.27	239925	187128	528273
2013-14	37081.70	43487.63	18867.95	51	25.03	225057	200499	552831
2014-15	35085.46	38788.58	15164.83	43	27.19	269764	199239	623356
2015-16	35558.31	36682.93	14040.21	39	26.02	278522	300693	601185
2016-17	35611.07	25631.46	24019.82	67	32.94	298993	280752	619425
प्रति वर्ष संसाधित टफ की औसत मात्रा						233662		

यह देखा जा सकता है कि टफ की असंसाधित मात्रा के अलावा हीरे के बिना बिके स्टॉक की भारी मात्रा, जो कि अपने उत्पादन के 39 प्रतिशत और 80 प्रतिशत के बीच थी, प्रत्येक वर्ष के अंत में पड़ी हुई थी। पांच वर्ष के दौरान संसाधित टफ की वार्षिक औसत दर 2.33 लाख टन थी और 31 मार्च 2017 के अंत तक उपलब्ध टफ की मात्रा को संसाधित होने में 2 वर्ष 8 माह का समय लगेगा।

प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (मार्च/जुलाई 2018) कि:

- औद्योगिक ग्रेड हीरे की कम खरीद और बाजार में प्रयोगशाला में बने हीरे की अधिशेष उपलब्धता को देखते हुए बिना बिके स्टॉक की उपलब्धता में वृद्धि हुई है।

- मौजूदा पुरानी तकनीक और सफेद टफ की चिपचिपी प्रकृति के कारण सफेद टफ का असंसाधित स्टॉक काफी था (कुल अंतिम स्टॉक का 67 प्रतिशत) और इसे संसाधित करने के लिए वैकल्पिक तकनीक के कार्यान्वयन की कार्रवाई की जा रही थी।

लेखापरीक्षा का विचार है कि 2020 में पूरक खनन पट्टे के समाप्त होने के पहले शेष निकाले गए टफ के संसाधन को पूर्ण किया जा सके, इसके लिए कंपनी को अपनी संसाधित योजना को सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

3.2.3 वित्तीय निष्पादन

लक्ष्य प्राप्ति में असफलता के फलस्वरूप समीक्षा के तहत सभी वर्षों में हीरे की औसत उत्पादन लागत निवल वास्तविक मूल्य से अधिक रही। इस दृष्टि से 2016-17 के अंत में हीरा खनन योजना (डीएमपी) की निवल हानि ₹27.16 करोड़ थी जो 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान हुई हानि की तुलना में अधिकतम थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 3.6 - वर्ष वार हीरे के उत्पादन की औसत लागत और हीरे का निवल वास्तविक मूल्य

वर्ष	प्रति कैरेट उत्पादन की औसत लागत (₹)	प्रति कैरेट निवल वास्तविक मूल्य (₹)	प्रति कैरेट (हानि)/लाभ (₹)	निवल लाभ/(हानि) (₹ लाख में)
2012-13	16,820	15,960	-860	237.05*
2013-14	16,725	11,463	-5,262	(1679.75)
2014-15	15,816	12,906	-2,910	116.07*
2015-16	16,829	14,341	-2,488	(1274.73)
2016-17	20,420	16,505	-3,915	(2716.34)

(*गैर-परिचालनात्मक आय और व्यय एवं तैयार माल व वर्क-इन-प्रोग्रेस में हुए परिवर्तन के समायोजन से आए सकारात्मक प्रभाव के कारण 2012-13 व 2014-15 के दौरान निवल लाभ हुआ)

हीरे की बिक्री के लिए नीलामी के आयोजन में सतत नीति की कमी के कारण मुख्य रूप से निवल हानि हुई। 31 मार्च 2017 को समाप्त 5 साल की अवधि के दौरान डीएमपी ने 26 नीलामियों का आयोजन किया था। इसके अलावा पिछले 5 वर्ष के दौरान 36,606 कैरेट और 51,071 कैरेट के बीच की प्रस्तुत मात्र के प्रति विक्रय मात्रा 22,006 कैरेट और 40,831 कैरेट के बीच थी, जो कम बिक्री का संकेत है। नियतकालीन नीलामी (जैसे कि

मासिक/तिमाही आदि) करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। 2015-16 के दौरान केवल 3 नीलामियों का आयोजन किया गया था।

यह देखा गया था कि:

- (i) 31.03.2017 तक कंपनी के पास पृथक्, रंग रहित, गहरे भूरे रंग के हीरों को शामिल करते हुए 24,019.82 कैरेट की नहीं बिका हुआ स्टॉक था।
- (ii) हीरे की बिक्री को अधिक पारदर्शी बनाने और अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने और विक्रयों को बढ़ाने के उद्देश्य से पारंपरिक नीलामी आयोजन करने के स्थान पर सीमित निविदा पूछताछ (एलटीई) के आधार पर ई नीलामी सेवा प्रदाता के द्वारा मार्च 2015 से ई-नीलामी के माध्यम से कंपनी ने बिक्री का आयोजन करने का निर्णय लिया। ई-नीलामी बिक्री के कार्यान्वयन के बावजूद यह देखा गया था कि 2015-16 और 2016-17 के दौरान प्राकृतिक हीरे की तुलना में कम दाम में समान गुणवत्ता वाले प्रयोगशाला के हीरे (कृत्रिम हीरे) की उपलब्धता के कारण बिक्री गिरावट का संकेत दर्शा रही थी।
- (iii) अक्टूबर 2014 में बनाए गए एसओपी (मानक परिचालन प्रक्रिया) पर बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों, कि यदि एक ही माल 5 लगातार नीलामियों के बाद भी नहीं बिकता तो आरक्षित मूल्य का पुनर्निर्धारण हो व बचे हुए स्टॉक की बिक्री निविदाओं/विशेष निविदाओं द्वारा हो, को कार्यान्वित नहीं किया गया।
- (iv) हीरे के आंतरिक मूल्यांकन की बेचमार्किंग और तुलनात्मक आंकलन के लिए सतर्कता विभाग के सुझावों के आधार पर अपरिष्कृत हीरे के मूल्यांकन के लिए तृतीय पक्ष की सहायता लेने का प्रस्ताव वाणिज्यिक विभाग ने दिया था (अप्रैल 2014)। रत्न और आभूषण निर्यात संवद्धन परिषद के सुझावों के आधार पर कंपनी ने स्वतंत्र मूल्य निर्धारिकों के पैनल के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) का चयन करने का निर्णय लिया था। हालांकि, इस कदम का नतीजा उसके तार्किक अंत तक नहीं पहुँचा।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि:

- कम ई-नीलामी के कारण सेवा प्रदाता की नियुक्ति में देरी और अन्य कारक जैसे अपरिष्कृत हीरे की उपलब्धता, बिक्री चक्र सहित बाजार की मांग थे। इसे ध्यान में रखते हुए एक वर्ष में चार से पांच नीलामी की जाती हैं।
- मौजूदा एसओपी (2012-14) की समीक्षा करने के लिए नियुक्त बोर्ड स्तरीय उपसमिति ने ई-नीलामी की आवर्ती व स्थान, अनुकूलतम लेवल को 10,000 कैरेट के सर्वोत्तम स्तर को अनुरक्षित करने और तृतीय पक्ष मूल्य निर्धारक द्वारा मूल्यांकन, पर कई प्रकार के उपायों का सुझाव दिया था।
- मूल्य-निर्धारक के कर्मचारी/रिश्तेदार की गैर भागीदारी सुनिश्चित करने में कठिनाइयों और आरक्षित मूल्य को गोपनीय रखने की कठिनाई के कारण स्तवंत्र मूल्यांकक का निर्णय नहीं किया जा सका।

हमारे विचार में कंपनी को गोपनीयता बनाये रखने के लिए उपयुक्त संरक्षण खण्डों को पूर्ण रूप से शामिल करने की प्रक्रिया को विकसित करने की आवश्यकता है जो विश्वसनीय तृतीय पक्ष हीरा मूल्यांकक को चुनना सुनिश्चित करता है।

मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि कंपनी द्वारा हीरों के लिए पुनरीक्षित एसओपी कार्यान्वयन प्रक्रिया में था। एसओपी नीलामी और मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और गोपनीयता के मामलो को सम्बोधित करेगा।

3.3 एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड

दक्षिण बस्तर जिले के बीच बैलादिला लौह अयस्क श्रेणी में स्थित डिपोजिट-13 के विकास के लिए कंपनी ने छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (सीएमडीसी), एक छत्तीसगढ़ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) के साथ क्रमशः 51:49 की शेयरधारिता के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात् एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) का गठन किया। राज्य में स्थित इस्पात स्पंज और पैलेट संयंत्रों के लिए लौह अयस्क की आवश्यकता/मांग को पूर्ण करने के उद्देश्य से डिपोजिट-13 का विकास किया था। कंपनी ने मार्च 2004 में खनन पट्टे के लिए आवेदन दिया जिसके लिए 13 वर्ष की देरी के बाद केवल जनवरी 2017 में वन मंजूरी प्राप्त हुई थी। एसएमपी ने 2018-19 से इस खदान से 2 एमटीपीए के

उत्पादन की परिकल्पना की थी। डिपोजिट 13 के लिए पर्यावरण और वन मंजूरी मिलने में देरी के कारणों की चर्चा आगामी पैराग्राफों में की हैं।

3.3.1 डिपोजिट-13 के लिए वन मंजूरी चरण-I प्राप्त करने में विलम्ब

कंपनी ने 613.24 हेक्टेयर भूमि के लिए वन मंजूरी चरण-I के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था (जनवरी 2003)। वन संरक्षण नियम 2003 के नियम 6 के अनुसार दिये गये 90 दिनों की निर्धारित अवधि के संबंध में रायपुर के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एपीसीसीएफ) द्वारा बताई गई कमियों पर ध्यान देने में डीएफओ दंतेवाडा को 15 माह से भी अधिक का समय लगा। एमओईएफएंडसीसी के निर्देशानुसार (फरवरी 1999) भारतीय खान ब्यौरो (आईबीएम) के द्वारा संस्वीकृत खान योजना का प्रस्तुतिकरण पूर्वापेक्षी था। इस आवश्यकता को राज्य सरकार के अनुरोध (नवम्बर 2004) पर कंपनी केवल अक्टूबर 2008 अर्थात् चार वर्ष के विलम्ब के पश्चात् प्रस्तुत कर सकी। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2010 में वन्यजीव संरक्षण योजना के प्रस्तुतीकरण के बाद एमओईएफएंडसीसी को 10 माह के बाद पीसीसीएफ/राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजा गया (नवम्बर 2010)। तीन माह की अनुबंधित समय अवधि के प्रति अगस्त 2011 में वन सलाहकार समिति (एफएसी) को प्रस्ताव संसाधन/प्रेषण करने में एमओईएफएंडसीसी की ओर से 9 माह का विलम्ब हुआ। उच्च जैवविविधता और पहाड़ी इलाके वाले अबाधित वन प्रदेश में स्थित क्षेत्र होने के कारण प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया। जनवरी 2012 में 60 दिन की अनुबंधित अवधि के प्रति 135 दिन के विलम्ब के बाद एमओईएफएण्डसीसी द्वारा अस्वीकृति को सूचित किया गया था। प्रारंभिक अस्वीकृती के बावजूद कंपनी ने अप्रैल 2014 के दौरान एफएसी को अपना मामला पुनः प्रस्तुत किया जिसके बाद नवम्बर 2014 में चरण-I एफसी जारी किया गया। एफएसी ने चरण-II एफसी प्रस्ताव का मूल्यांकन करते समय चरण-I वन मंजूरी में कुछ शर्तों का अननुपालन देखा। एमओईएफएण्डसीसी के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षण करने के बाद विभाग ने डिपोजिट-11 एवं डिपोजिट-14 के ओवरबर्डन डम्प के अनुचित प्रबंधन, जिसके परिणामस्वरूप निकटवर्ती वन भूमि को क्षति पहुँची थी, हेतु ₹14.31 करोड़ के दांडिक क्षतिपूर्ति वनरोपण प्रभार के रूप में शास्ति लगाई। जुलाई 2016 में वनरोपण प्रभारों के भुगतान पर, एमओईएफएण्डसीसी द्वारा चरण-II वन मंजूरी अंततः जनवरी 2017 में दे दी गई थी। अतः कंपनी को राज्य वन विभाग तथा एमओईएफएण्डसीसी

की तरफ से विलम्बों के कारण, डिपोजिट-13 हेतु खनन पट्टा प्राप्त करने में लगभग 14 वर्ष लगे।

3.3.2 डिपोजिट-13 हेतु पर्यावरण मंजूरी में विलम्ब

कंपनी मई 2015 में पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्राप्त कर सकी। हालांकि, इसी मामले पर एमओईएफएण्डसीसी की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा काफी पहले फरवरी 2011 में सिफारिश की गई, फिर भी ईसी को स्टेज-I वन मंजूरी प्राप्त करके ही जारी किया गया था जो नवम्बर 2014 में प्राप्त हुई थी। अतः स्टेज-I वन मंजूरी प्राप्त करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में विलम्ब हुआ। कंपनी ने एनसीएल के नाम पर खनन पट्टा हस्तातंरित कर दिया था। तथापि एनसीएल के नाम पर ईसी/एफसी जैसी सभी अन्य अनुमति अभी हस्तातंरित की जानी थी। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा के समय पर यह देखा गया कि जेवी कंपनी को अभी स्थापना हेतु सहमति तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड से प्रचालन हेतु सहमति अभी प्राप्त करनी थी। प्रस्तावित खान के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति की कार्रवाई भी लंबित थी। इसके परिणामस्वरूप एसएमपी - विज्ञन 2025 में परिकल्पित रूप में 2018-19 तक डिपोजिट-13 से 2 एमटीपीए लौह आयस्क के लक्षित उत्पादन को प्राप्त करने की संभावना निराशाजनक प्रतीत होती है।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2018) कि:

- डिपोजिट-13 के संबंध में दंडिक क्षतिपूरक वनरोपण प्रभारों का भुगतान वन महानिदेशक, एमओईएफएण्डसीसी के कहने पर चरण-I एफसी की शर्त (iii) को पूरा करने के लिए किया गया था, कि क्षेत्र के वन भूमि होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 आईबीएम नियमों और विनियमों से अधिक महत्वपूर्ण होगा।
- डिपोजिट-13 के संबंध में स्थापना हेतु सहमति 17 अक्टूबर 2017 को प्राप्त कर ली गई थी और खनन पट्टा जेवी कंपनी को हस्तातंरित कर दिया गया था। ईसी के अंतरण का आवेदन एमओईएफएण्डसीसी को प्रस्तुत किया गया और ईसी के अंतरण

के पश्चात जेवीसी परिचालन करने की अनुमति और संस्थापन की अनुमति प्राप्त कर लेगी।

- खदान विकासक-सह-परिचालक की नियुक्ति प्रक्रियाधीन थी और वि.व. 2018-19 में खनन परिचालन आरंभ होने वाले थे तथा बैलाडिला में वर्तमान लौह-अयस्क खदानें नगरनार में स्टील संयंत्र के लिए लौह-अयस्क आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्षतिपूर्ति वनरोपण देय प्रभार एफसी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए लगाए गए थे जो कि आरओ, भोपाल और नागपुर, एमओईएफएंडसीसी द्वारा कार्यस्थल निरीक्षण का परिणाम था। यदि ओवरबर्डन का ढेर उचित प्रकार से व्यवस्थित किया जाता तो दंड प्रभारों से बचा जा सकता था। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण के लिए 99.466 हेक्टेयर भूमि के संबंध में सांविधिक मंजूरी (ईसी/एफसी) के लिए आवेदन किया था (सितम्बर 2015)। चूंकि ये मंजूरियां लंबित थीं, इसलिए खदान विकासक-सह-परिचालक के लिए यह संभव नहीं था कि वह उपलब्ध की जाने वाली अवसंरचनाओं के बिना परिचालन आरंभ कर सके। केके लाईन और स्लरी पाईप लाईन की दोहरीकरण जैसी निकासी सुविधाएं अधूरी रहने के कारण वर्तमान खदानों से अयस्क की आपूर्ति पर विपरित प्रभाव पड़ेगा।

मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि बैलाडिला क्षेत्र उच्च वर्षा संभावित क्षेत्र हैं तथा वर्षा ऋतु के दौरान अपशिष्ट चट्टान के ढेर से सामग्री का क्षरण, उसको पट्टा क्षेत्र तक सीमित रखने के लिए किए गए सभी प्रयासों के बावजूद, हो गया था। खदान विकासक सह परिचालक (एमडीओ) की नियुक्ति 25 वर्षों की अवधि के लिए हुई थी तथा आरंभिक 5 वर्षों में एमडीओ द्वारा अवसंरचना सुविधाएं निर्मित की जाएगी। ऐसी अवधि तक, छोटे स्तर पर खनन के माध्यम से उत्पादन किया जाएगा।

3.4 पलोनचा, तेलंगाना में स्पंज आयरन यूनिट

इस्पात मंत्रालय के कहने पर कंपनी ने 60,000 टन प्रति वर्ष स्पंज आयरन की क्षमता पर संस्थापित एक नुकसान उठाने वाली सीपीएसई स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल) का अधिग्रहण किया था (जुलाई 2010)। उत्पादन की उच्च लागत, कम उगाही, संयंत्र का पुराना हो जाना और खराब विपणन क्षमता के कारण स्पंज आयरन उत्पादन अलाभकारी हो गया था और 31 मार्च 2017 तक स्पंज आयरन यूनिट (एसआईयू)

ने ₹194.77 करोड़ तक की हानि संचित की। इन कारणों से, नवम्बर 2016 के बाद से एसआईयू ने उत्पादन बंद कर दिया था। कम्पनी ने अपनी प्रतिवर्तन योजना में (01 अक्टूबर 2015) स्पंज आयरन आदि के लिए मरम्मत और अनुरक्षण लागत को घटा कर और अति महत्वाकांक्षी विपणन से कम्पनी ने बैलाडीला क्षेत्र से एसआईयू के लिए लौह अयस्क की परिवहन लागत को कम करके उत्पादन लागत में कमी करने के लिए समिति के निदेशकों के द्वारा एक जांच कराने का प्रस्ताव दिया था। इसके अतिरिक्त, तापीय और सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए उपलब्ध भूमि (428.98 एकड़) का उपयोग करने का प्रयोजन किया था जिसको अभी कार्यान्वित किया जाना था। यह देखा गया कि कम्पनी ने जैसा उल्लिखित किया गया उसी अनुसार प्रतिवर्तन योजना को कार्यान्वित नहीं किया और जुलाई 2017 से यूनिट के 167 (कार्यकारी और गैर कार्यकारी दोनों) कर्मचारियों के पास कोई काम नहीं था।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2018) कि एसआईयू में लौह अयस्क का भंडार खत्म हो चुका था और परिवहन ठेकेदार के निलंबन के कारण अयस्क की आपूर्ति नहीं की जा सकती थी। नए ठेकेदार को नियुक्त किया जा रहा था। मौजूदा कर्मचारियों, जिनके पास काम नहीं था, के संबंध में यह बताया गया कि श्रम बल को या तो अन्य इकाईयों को पुनः सौप कर या नियुक्त करके इनका लाभप्रद उपयोग करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे। अधिशेष श्रम बल के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर भी विचार किया गया था।

हांलाकि, एसआईयू पलोनचा के लिए प्रतिवर्तन योजना के कार्यान्वयन पर उत्तर में कुछ भी नहीं कहा गया था।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2018) कि नवम्बर 2017 में इस्पात मंत्रालय के साथ हुई वार्ता के अनुसार यूनिट के पुनः प्रवर्तन के लिए एक इस्पात संयंत्र अथवा इस्पात संबंधित इकाई को स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक तकनीकी परामर्शदाता को नियुक्त किया जा रहा था।

3.5 कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड (केवीएसएल), बेल्लारी

विस्तार करने के उपाय के रूप में और रमणदुर्ग लौह अयस्क डिपाजिट को प्राप्त करने के उद्देश्य से एनएमडीसी ने मुख्यतः 2 एमटीपीए की क्षमता के साथ और 5 एमटीपीए तक की विस्तार योग्य क्षमता के साथ एक हरित क्षेत्र इस्पात संयंत्र को स्थापित करने के लिए कर्नाटक सरकार (जीओके) के साथ जून 2010 में एक समझौता जापन किया था। कर्नाटक के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य उच्च स्तरीय निकासी समिति (एसएचएलसीसी) ने विजयनगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (वीएडीए) द्वारा एक विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापित

करने के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी-एक चैनलाइजिंग एजेंसी) बैगलुरु के द्वारा 5,000 एकड़ भूमि के आवंटन की मंजूरी दी थी (अगस्त 2009)। एनएमडीसी के द्वारा बेल्लारी के निकट जानेकुन्ते और वैनीवीरापुरा गाँवों में 2,857.54 एकड़ की भूमि हेतु केआईएडीबी के साथ ₹639.61 करोड़ की राशि जमा की गई थी (मार्च 2017 तक)। इस दौरान एनएमडीसी ने कर्नाटक में इस्पात एसपीवी (विशेष प्रयोजन वाहन) के रूप में कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड (केवीएसएल) के नाम से पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी निर्गमित की थी (29 दिसम्बर 2014) और प्रस्तावित परियोजना को एसपीवी के नाम पर हस्तान्तरित किया गया था (जून 2015)। हमने देखा कि कम्पनी ने रमणदुर्ग लौह अयस्क खदान पट्टे की मंजूरी को सुनिश्चित किये बिना भूमि के अधिग्रहण के लिए ₹639.61 करोड़ खर्च किये थे। भूमि मालिकों द्वारा जनहित याचिका दायर करने के कारण आठ वर्ष (अर्थात् अगस्त 2009 की तिथि से) का काफी समय समाप्त हो जाने के बाद भी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। प्रस्तावित इस्पात संयंत्र हेतु जल निकासी के लिए कम्पनी को अभी तक अनुमति प्राप्त नहीं हुई थी जो कि अगस्त 2011 से कर्नाटक सरकार के जल संसाधन विभाग के पास लम्बित थी।

प्रबंधन/मंत्रालय ने बताया (मार्च/जुलाई 2018) कि:

- रमणदुर्ग खदान के आवंटन हेतु नया आवेदन फरवरी 2017 में जमा किया गया था और इस्पात एसपीवी के लिए लौह अयस्क ब्लॉकों के आरक्षित करने हेतु अनुरोध अक्टूबर 2017 में इस्पात मंत्रालय के माध्यम से किया गया था।
- निजी भूमि (कुल 2,975 एकड़ भूमि में से 2,857.54 एकड़) का कब्जा 11 जनवरी 2018 को कम्पनी के पक्ष में किया गया था और शेष 117.46 एकड़ सरकारी भूमि के कब्जे पर जिला प्राधिकरणों के द्वारा आवंटन हेतु विचार किया जा रहा था।
- इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित निकासी बिंदु से जल निकासी की अनुमति प्राप्त करने हेतु औपचारिक अनुमोदन कर्नाटक सरकार से प्राप्त करना प्रतिक्षित था।

3.6 डोनीमलाई में पैलेट संयंत्र

उपलब्ध (छ: मिलियन टन) और प्रत्याशित अतिरिक्त (16 मिलियन टन) स्लाइम (50 प्रतिशत से अधिक एफई मिला हुआ निम्न गुणवत्ता का अयस्क) की मात्रा का उपयोग करने के उद्देश्य से, जो डोनीमलाई क्षेत्र की लौह अयस्क की दोनों खदानों से लौह अयस्क की वेट स्क्रीनिंग के दौरान उत्पन्न होते हैं, बेनिफिशिएशन और पैलेटाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से स्लाइमों (1.59 एमटीपीए) और फाइनो (0.30 एमटीपीए) का उपयोग करके पैलेटों के उत्पादन के लिए डोनामलाई में 1.2 एमटीपीए पैलेट संयंत्र को स्थापित करने का कम्पनी ने

(मई 2009) में प्रस्ताव किया था। बेनिफिशिएशन की प्रक्रिया के माध्यम से स्लाइमों को उच्च गुणवत्ता अयस्क में संपरिवर्तन, पैलेटो के विनिर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित है। इस प्रकार से बेनिफिशियेट किये गए अयस्क को भट्ठों में गेंदों और छर्रों में परिवर्तित किया जाएगा। परमर्शदाता, एम.एन.दस्तुर एण्ड क. के द्वारा तैयार किये गए टीईएफआर के अनुसार ₹572 करोड़ के निवेश के लिए प्रधान अनुमोदन दिया गया था (29 मई 2009) और परियोजना की अनुमोदित अनुमानित लागत ₹545.27 करोड़ थी जिसमें ₹98.88 करोड़ का विदेशी मुद्रा घटक भी सम्मिलित था। परियोजना को छ: पैकेजों में बॉटा गया था। इसके अतिरिक्त, परियोजना की इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति, विनिर्माण और प्रबंधन (ईपीसीएम) हेतु परामर्श कार्य भी दस्तुर एण्ड कं. को निष्पादन गारंटी जांच सहित मार्च 2012 में निर्धारित समापन समय के साथ ₹13 करोड़ (बाद में ₹13.75 करोड़ तक संशोधित) के लिए दिया गया था (16 जून 2009)। तथापि, ठेकेदार पर रोप्य कारणों से, निर्धारित समय पर परियोजना का कार्य पूरा नहीं किया जा सका था। पैकेज के अनुसार दिये गए ठेको के ब्यौरे और इसकी वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 3.7- पैलेट संयंत्र के लिए दिये गए ठेको के पैकेज अनुसार ब्यौरे और उनकी वर्तमान स्थिति

पैकेज का ब्यौरा	ठेकेदार का नाम	ठेको का मूल्य (₹ करोड़ में)	दिये जाने की तिथि और पूरा करने की निर्धारित तिथि	पूरा करने हेतु विस्तारों की संख्या और संशोधित तिथि	टिप्पणियां
कार्य स्थल लेवलिंग कार्य	एएमआर कन्सट्रक्शन लि.	1.06	05.10.2010 04.02.2011	(2)/ 30.11.2011	30.11.2011 को पूरा किया गया
चारदीवारी कार्यों को सम्मिलित करते हुए विविध इमारत	आईवीआरसीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट्स लि.	15.80	01.12.2010 31.12.2011	(8)/ 30.04.2014	30.04.2014 को पूरा किया गया
1.2 एमटीपीए क्षमता पैलेट संयंत्र का विनिर्माण	टाटा प्रोजेक्ट्स लि.	288.53*	17.01.2011 16.07.2012	(13)/ 30.06.2017	31.01.2017 को आंशिक रूप से (99 प्रतिशत) चालू किया गया
बेनिफिशिएशन संयंत्र का विनिर्माण	हिन्दुस्तान डोर ओलिवर लि. (एचडीओएल)	128.77#	08.06.2011 07.11.2012	(11)/ 31.12.2016	अप्रैल 2016 तक 96 प्रतिशत कार्य पूरा किया गया था परन्तु निर्माण चालू होना शेष था

पैकेज का ब्यौरा	ठेकेदार का नाम	ठेको का मूल्य (₹ करोड़ में)	दिये जाने की तिथि और पूरा करने की निर्धारित तिथि	पूरा करने हेतु विस्तारों की संख्या और संशोधित तिथि	टिप्पणियां
110/6.6 के.वी मुख्य प्रापक और स्टेप डाऊन सब स्टेशन (एमआरएसएस) और संयंत्र संचार प्रणाली	लार्सन एण्ड टुर्बो लि.	35.68	18.12.2010 17.04.2012	(10)/ 30.06.2016	30.09.2016 को चालू किया गया और 10.11.2016 को निष्पादन गारंटी जांच हुई।
परामर्श सेवाएं	एमएन दस्तुर एण्ड कं.	13.74 (संशोधित)	16.06.2009 15.03.2012		
गतिशील उपकरण					100 प्रतिशत डिलिवर किया गया

(*) सीमा शुल्क और अन्य करों रहित यूएस \$2,06,10,000 का विदेशी घटक सम्मिलित है।

(#) सीमा शुल्क और अन्य करों रहित यूएस \$5,41,433 का विदेशी घटक सम्मिलित है।

हमने देखा कि मुख्य पैकेज कार्यों के असंकालन के कारण, परियोजना के चालू होने में असामान्य विलम्ब हुआ जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- बेनिफिशिएशन पैकेज के ठेकेदारों के सहायता संघ (मैसर्स एचडीओएल और अन्य) मुख्यतः अपने वित्तीय संकट के कारण दिये गए कार्य (08 जून 2011) को 07 नवम्बर 2012 की निर्धारित तिथि तक पूरा नहीं कर सके। कम्पनी ने आश्वासन पत्रों को जारी करके ठेकेदारों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था की थी और कार्य के निष्पादन के लिए उसके उप विक्रेताओं/ठेकेदारों को सीधे भुगतान किये और ब्याज के साथ एचडीओएल के चालू बिलों से समान राशि की वसूली की। इसके बावजूद, ठेकेदार दिवालिया हो गया और राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) मुम्बई शाखा ने एचडीओएल के विरुद्ध कॉर्पोरेट ऋणशोधन क्षमता समाधान आरंभ करने का आदेश दिया था (अप्रैल 2017)।
- चूंकि बेनिफिशिएशन संयंत्र तैयार नहीं था, पैलेट संयंत्र के ठेकेदार के आग्रह पर ई-नीलामी के माध्यम से फाईस की खरीद का प्रयोग करके जून 2015 में पूर्व

परीक्षण किया गया, जिसके बाद ठेकेदार को प्रवर्तन प्रमाणपत्र जारी किया गया (31 जनवरी 2017)।

आगे हमने देखा कि:

- पैलेट संयंत्र को निःशुल्क उपलब्ध स्लाइमों के बल पर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि, केन्द्रीय अधिकारित समिति द्वारा नियुक्त मानीटरिंग समिति के पर्यवेक्षण के अधीन ई-नीलामी के माध्यम से कर्नाटक राज्य में लौह अयस्क के विक्रय के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी को अन्यों के बराबर बाजार मूल्य पर ई-नीलामी के माध्यम से स्लाइमों/फाइनों की खरीद करनी पड़ी। इसके कारण, पैलेटों की उत्पादन लागत बढ़ने के लिए बाध्य थी जिससे परियोजना की व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- कम्पनी ने, बेनिफिशिएशन पैकेज ठेकेदार के उप-ठेकेदारों को ₹11.42 करोड़ की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया (मई 2017 तक), जिसकी वसूली ठेकेदार की दिवालिया स्थिति के कारण संदिग्ध थी।
- परियोजना के असामान्य विलम्ब से पूरा होने के कारण, ईपीसीएम परामर्शदाता सहित परियोजना के सभी ठेकेदारों (बेनिफिशिएशन पैकेज के ठेकेदार के अलावा) ने ₹132.57 करोड़ की अतिरिक्त राशि के दावे किए (जुलाई 2017) जिनका भुगतान होना बाकी था।
- कम्पनी ने केआईओसीएल लिमिटेड, बैंगलुरु को इस क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता के संदर्भ में तीन वर्षों की अवधि के लिए पैलेट संयंत्र के परिचालन और अनुरक्षण (ओएण्डएम) के ठेके का कार्य दिया (07 जनवरी 2015)। ठेके में पूर्व प्रवर्तन के उपक्रम, प्रवर्तन सेवाओं (समेकित प्रवर्तन सहित) परिचालन और अनुरक्षण कम्पनी के कर्मचारियों के प्रशिक्षण को, एनएमडीसी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और प्रेरणा प्रदान करने के अलावा, शामिल किया गया था। कम्पनी ने अगस्त 2015 से जून 2018 तक प्रवर्तन और ओ एण्ड एम हेतु केआईओसीएल को ₹ 82.87 करोड़ का भुगतान किया था।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2018) कि:

- वर्तमान तिथि तक लगभग 70,500 टन पैलेट का उत्पादन किया गया था, जिसमें से 62,000 टन का विक्रय किया गया था।
- यद्यपि टीईएफआर ने पैलेटों के विनिर्माण के लिए निःशुल्क स्लाइमों के उपयोग पर विचार किया था, एनएमडीसी द्वारा कर्नाटक सरकार के लिए माननीय सर्वोच्च

न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ई-नीलामी के माध्यम से स्लाइमों/फाइनों की खरीद की गई थी।

- एचडीओएल से वसूली योग्य राशि ₹ 2.49 करोड़ थी, वह भी कार्यों को पूरा करने में देरी के संबंध में ₹ 5.52 करोड़ की निर्णित हर्जाने के उदग्रहण करने के बाद था। शेष कार्यों को पूरा करने के बाद यह राशि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ठेकेदार से वसूल की जायेगी।
- विविध इमारत और एमआरएसएस पैकेज के लिए विलंब के विश्लेषण को अंतिम रूप दिया गया था और दोनों पैकेज ठेकेदारों पर निर्णित हर्जाना लगाया गया था। अन्य पैकेजों के दूसरे ठेकेदारों के संबंध में विलंब विश्लेषण के पूरा होने के बाद अतिरिक्त दावों को अंतिम रूप दिया जायेगा। .

कम्पनी द्वारा बताया गया 70,500 टन के पैलेटों का उत्पादन स्तर, पैलेट संयंत्र की 12 लाख टन की वार्षिक क्षमता का 5.88 प्रतिशत संगणित किया गया था। इसके अतिरिक्त, एचडीओएल को किये गए निर्णित हर्जाने और अग्रिम भुगतानों के अलावा कार्यों के निष्पादित नहीं किये गए भाग हेतु लागत को सम्मिलित करते हुए एचडीओएल से ₹ 11.42 करोड़ की राशि वसूली योग्य थी। कम्पनी ने पैलेटों के उत्पादन से सम्बंधित लागत शीट नहीं बनाई इसलिए हम लागत लाभ विश्लेषण पर कोई टिप्पणी नहीं कर सके।

प्रबंधन के विचारों को दोहराते हुए, मंत्रालय ने आगे कहा (जुलाई 2018) कि कम्पनी अभी तक 1,05,000 टन के पैलेटों का उत्पादन कर सकी है।

अध्याय IV

संयुक्त उद्यमों में नीतिगत निवेश

कम्पनी ने इस्पात संयंत्रों की स्थापना और कोयला और लौह अयस्क खदानों के विकास के लिए भारत में निजि कम्पनियों और विदेशी कम्पनियों के अलावा विभिन्न केन्द्र सरकार और राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) समझौते किये थे। 31 मार्च 2017 के अन्त तक जेवी में कम्पनी द्वारा किये गये इकिवटी योगदान के ब्यौरे निम्न तालिका में दर्शाये गए हैं:

तालिका 4.1- संयुक्त उद्यमों में एनएमडीसी लि. के इकिवटी योगदान के ब्यौरे

सहायक/संयुक्त उद्यम के नाम	संगठन/अधिग्रहण की तिथि	एनएमडीसी का शेयरधारण (%)	इकिवटी में निवेश (₹ करोड़ में)
जे एण्ड के मिनरल डिवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लि.	19.05.1989	95.86	28.51
नीलाचल इस्पात निगम लि.	08.12.2004	12.87	100.60
कृष्णापट्टनम रेलवे कम्पनी लि.	13.10.2006	14.82	40.00
इंटरनेशनल कोल वेन्चर्स (प्रा.) लि.	14.01.2009	26.47	376.36
लेगेसी आयरन ओर लि. पर्थ, आस्ट्रेलिया	21.12.2011	78.56	168.53
कुल			714.00

जेवी में कम्पनी द्वारा किये गए निवेश में कमियां देखी गईं जिसकी चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

4.1 जे एण्ड के मिनरल डिवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जम्मू में निवेश

कम्पनी के पास जम्मू और कश्मीर राज्य में (लगभग 4.853 वर्ग कि.मी. क्षेत्र तक विस्तारित) पंथल में कम सिलिका मैग्नेसाइट डिपोजिट का खनन पड़ा था। पंथल गाँव में (डिपोजिट से लगभग 9 किमी. दूरी पर) 30,000 टीपीए (टन प्रति वर्ष) क्षमता के डेड बन्ट

मैग्नेसाइट (डीबीएम³²) के विनिर्माण संयंत्र को स्थापित करने और खदान को विकसित करने के लिए, कम्पनी ने क्रमशः 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत के अनुपात से एनएमडीसी और जे एण्ड के मिनरलस लिमिटेड (जेएण्डकेएमएल - जम्मू और कश्मीर सरकार का उपक्रम) के बीच इक्विटी भागीदारी के साथ जे एण्डकेएमएल के साथ जे एण्ड के मिनरल डिवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेएण्डकेएमडीसी) के नाम पर एक संयुक्त उद्यम कम्पनी (जेवीसी) का गठन किया (19 मई 1989)। प्रस्तावित परियोजना पवित्र धार्मिक स्थल श्री माता वैष्णो देवी की परिधि में स्थित है। श्राईन बोर्ड ने पट्टा करार और एमएमडीआर³³ अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अपने स्वामित्व वाली व खनन पट्टे क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि के संबंध में प्रवेश अधिकार जारी किया (18 जुलाई 1990)। कम्पनी प्रारंभ से कच्चा मैग्नेसाइट विक्रय करने के लिए अभिप्रेत थी परन्तु मांग में कमी के कारण इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सका था। इसके अतिरिक्त मूल्य आधारित उत्पादों जैसे कैल्साइंड मैग्नेसाइट के उत्पादन करने के लिए कम्पनी के प्रयासों को उच्च माल भाड़ा प्रभार, स्थानीय हानि, उच्च कर और 2005-06 तक विदेशी बाजारों से अधिक आपूर्ति के अलावा ग्राहक आधार लघु स्तर उत्पादक होने के कारण आगे नहीं बढ़ाया गया। बाद में जब डैड बण्ट मैग्नेसाइट का बाजार बढ़ा, एम.एन. दस्तुर एण्ड कं. प्रा. लि. कोलकाता को ₹4.54 करोड़ की कुल लागत पर परियोजना के लिए ईपीसीएम परामर्शदाता नियुक्त किया गया (अप्रैल 2010) और क्योंकि श्राईन बोर्ड के पास भूमि का स्वामित्व निहित था, श्राईन बोर्ड को कुल मौजूदा मूल्य (एनपीवी)/क्षतिपूर्ति वनरोपण प्रभारों आदि हेतु ₹2.36 करोड़ का भुगतान किया। खनन पट्टा जेवीसी के नाम पर हस्तांतरित किया गया था (अप्रैल 2011) और परियोजना के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम (13 मार्च 2012) के तहत मंजूरी और पर्यावरण मंजूरी (03 मई 2011) जेवीसी को प्राप्त हुई थी। ईपीसीएम परामर्शदाता ने ठेका देने का पत्र जारी करने की तिथि से 38 महीनों की अवधि (अर्थात् 12 जून 2013 तक) के अन्तर्गत सम्पूर्ण कार्य को पूरा करना था जिनको पांच पैकेजों में बांटा गया था जैसे- (1) टैकनोलॉजी पैकेज (2) विद्युतीय प्रणाली, (3) मिट्टी की जांच, (4) शेष सिविल और संरचनात्मक कार्य, (5) परियोजना के लिए परिचालन और अनुरक्षण (ओएण्डएम) हेतु एजेंसी की नियुक्ति। परियोजना की पूंजीगत

³² डीबीएम (मैग्नीशियम ऑक्साइड - एमजीओ), कार्बन डाइऑक्साइड तत्व को खत्म करने के लिए 1700 डिग्री सेल्सियस से 2300 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करके मैग्नेसाइट (एमजीसीओ₃) से उत्पादित एक हार्ड/रॉक ठोस/उच्च तापमान प्रतिरोधी व उच्च भार उठाने की क्षमता (उच्च तापमान के तहत) वाली सामग्री है और स्टील बनाने/बैर लौह धातु निकालने/ग्लास बनाने की भट्टियों में व्यापक रूप से अपवर्तक सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है।

³³ खदान और खनिज संपदा विकास और विनियमन अधिनियम, 1957

लागत ₹243.70 करोड़ (संशोधित) थी और ओएण्डएम पैकेज (सं.-5) को छोड़कर सभी पैकेजों के कार्य नवम्बर 2011 और मई 2015 के बीच दिये गए थे।

हमने देखा कि:

- (क) कम्पनी ने 18 महीनों की पूर्णता अवधि अर्थात् 20 नवम्बर 2016 तक के साथ ₹119.40 करोड़ (प्लस यूएस \$45,50,675) के मूल्य के लिए एफएल स्मिथ प्रा. लिमिटेड, चैन्नई के सहायता संघ को टैकनोलॉजी पैकेज असामान्य विलम्ब से दिया था (21 मई 2015)।
- (ख) इस दौरान, अक्टूबर 2016 में, एमओईएफएण्डसीसी ने यह कहते हुए परियोजना को दी गई पर्यावरण मंजूरी को वापस ले लिया कि प्राचीन पवित्र धार्मिक स्थान श्री माता वैष्णों देवी की निकट परिधि में खुली खदानों से खनन करना भुर-भरे और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में अपरिवर्तनीय क्षति का कारण बन सकता है।
- (ग) कम्पनी द्वारा नियुक्त खनन और ईंधन अनुसंधान केन्द्रीय संस्थान, धनबाद की अध्ययन रिपोर्ट (फरवरी 2015), पर विचार किए बिना इसी को वापस लिया गया, जिसमें परिणाम निकाला गया था कि विस्फोट के कारण वहाँ कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा और कोई पत्थर गिरने की घटना नहीं होगी।
- (घ) एनएमडीसी के द्वारा जेवीसी को दिए गए अग्रिमो (₹17.97 करोड़) सहित जेवीसी में ₹42.37 करोड़ की राशि का निवेश पहले ही किया जा चुका था जिसे 2016-17 में खाता बही के बड़े खाते में डाला गया। अतः कंपनी द्वारा खर्च की गई सम्पूर्ण राशि निष्फल साबित हुई।

प्रबंधन/मंत्रालय ने बताया (मार्च/जुलाई 2018) कि:

- टैकनोलॉजी पैकेज को अंतिम रूप देने में विलम्ब³⁴ तकनीकी विनिर्देशों में संशोधनों के कारण तीन बार निविदाओं में परिवर्तन, वाणिज्यिक धाराओं, व बोलीदाताओं में से एक अर्थात् मैसर्स एचडीओएल के निष्पादन से संबंधित मुद्दों के कारण हुआ।
- इसके अतिरिक्त, भूमि के संभावित वैकल्पिक उपयोग जैसे सौर ऊर्जा संयंत्र, अन्य खनिज आधारित उद्योग, औद्योगिक पार्क इत्यादि की स्थापना, का पता लगाने के लिए गठित टास्क फोर्स किसी भी वैकल्पिक परियोजना की पहचान नहीं कर सका जो कि पंथल में विकसित बुनियादी ढाँचे और कार्य स्थल का उपयोग कर सकता था।

³⁴ तकनीकी पैकेज मई 2015 में प्रदान किया गया था, अर्थात् एम. एन. दस्तूर एंड कंपनी को ईपीसीएम ठेका प्रदान करने (अप्रैल 2010) के पाँच वर्ष बाद।

- कम्पनी अभी भी बिना विस्फोट की नवीनतम खनन तैकनीकी का उपयोग किये बिना परियोजना के पुनः प्रवर्तन के लिए प्रबल रूप से मामले को आगे बढ़ा रहीं थीं और इसलिए कम्पनी द्वारा विभिन्न पैकेज पर खर्च की गई ₹42.37 करोड़ की राशि को निष्फल नहीं माना जा सकता था।

टास्क फार्स को परियोजना सुविधाओं का कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं मिला।

4.2 नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल), ओडिशा में निवेश

एनएमडीसी ने कोणार्क मैट कोक लिमिटेड (केएमसीएल), जो ओडिशा सरकार का एक पीएसयू है, में वर्ष 2002 के दौरान, मंकादनांचा लौह अयस्क डिपोजिट के आवंटन की प्रत्याशा में ₹49 करोड़ का निवेश किया, जो विवादित था। केएमसीएल को एक अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) द्वारा वर्ष 2004 में ले लिया गया था और कम्पनी ने अन्य शेयरधारकों को अभिदत्त नहीं किये गये हिस्से (₹7.07 करोड़) को शामिल करते हुए राइट्स इश्यू³⁵ को अभिदत्त करके एनआईएनएल में इक्विटी के ₹51.60 करोड़ (2010-11 के दौरान) का अतिरिक्त निवेश किया था, इस प्रकार कुल निवेश ₹100.60 करोड़ तक बढ़ गया।

हमने देखा कि:

क) उचित प्रयास किए बिना, कम्पनी ने विवादित खनन पट्टे में निवेश किया जो वर्तमान तिथि तक अनिर्णीत बना हुआ था।

ख) एनआईएनएल की वित्तीय स्थिति पर अपने आप यथोचित परिश्रम किये बिना आगामी ₹51.60 करोड़ का निवेश किया गया था, क्योंकि यह लगातार हानियां उठा रहीं थीं और 2016-17 के लिए इसकी निवल संपत्ति (-) ₹175.14 करोड़ थी।

इस प्रकार, ₹100.60 करोड़ के निवेश से अभी तक कोई प्रतिफल नहीं मिला।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा पैरा पर कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2018) कि दो स्वतंत्र परामर्शदाताओं की समीक्षा के बाद एनआईएनएल के राइट्स इश्यू में निवेश किया गया था। उच्च स्तरीय समिति के द्वारा की गई आंतरिक यथोचित प्रक्रिया के अलावा उनकी रिपोर्ट पर एनएमडीसी द्वारा विधिवत रूप से विचार किया गया था।

³⁵ राइट्स इश्यू का मतलब पूर्व शेयरों को अपने अधिकार में रखने के अनुपात में मौजूदा शेयरधारकों के लिए एक कम्पनी द्वारा एक विशेष मूल्य पर शेयरों को प्रदान करना है।

हांलाकि, विवादित खनन पट्टे से अवगत होने के बावजूद निवेश के कारणों पर कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

4.3 कृष्णपट्टनम रेलवे कम्पनी लिमिटेड में निवेश

चैन्नई बंदरगाह से 2004-05 से लौह अयस्क के निर्यात को बंद करने के सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए एनएमडीसी सहित लौह अयस्क निर्यातकों /एफआईएमआई (भारतीय खनिज उद्योग संघ) ने आन्ध्र प्रदेश राज्य के नेल्लोर जिले में कृष्णपट्टनम बंदरगाह को पसंदीदा वैकल्पिक बंदरगाह के रूप में अभिज्ञात किया। क्रमशः 30:30:13 की इक्विटी अनुपात पर रेल विकास निगम लिमिटेड, कृष्णपट्टनम पोर्ट कम्पनी लिमिटेड और आन्ध्र प्रदेश सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित (अक्टूबर 2006) एसपीवी अर्थात् कृष्णपट्टनम रेलवे कम्पनी लिमिटेड (केआरसीएल) के माध्यम से साढे पांच वर्षों की पूर्णता अवधि से अनुमानित ₹587.49 करोड़ की लागत पर दो चरणों में आन्ध्र प्रदेश के कड़प्पा जिले में कृष्णपट्टनम और ओबूलवरीपल्ले के बीच नई रेलवे लाइन (113 किमी.) को विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया था। शेष 27 प्रतिशत की इक्विटी को लौह अयस्क निर्यातकों/सामरिक निवेशकों के लिए छोड़ा गया था जिसमें से 15 प्रतिशत का अधिग्रहण एनएमडीसी ने ₹40 करोड़ का योगदान देकर किया ताकि परिवहन लागत पर नियंत्रण और रेल रैकों के आवंटन में अधिमान्य निरूपण प्रशोधन प्राप्त किया जा सके। सभी प्रकार से चरण-। के कार्य (वैकटाचलम और कृष्णपट्टनम के 20 किमी. सेक्शन) मार्च 2013 तक पूरे कर लिये गए थे और चरण-॥ (ओबूलावरीपली से वैकटाचलम के बीच 93 कि.मी. तक) के अंतर्गत के कार्य अभी भी प्रगति पर थे जिनको मार्च 2018 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित था।

हमने देखा कि एसपीवी रेलवे से चरण-। के परिचालन के माध्यम से प्राप्त राजस्व से संपूर्ण हिस्सा प्राप्त नहीं कर सका जिसके कारण चरण-॥ के कार्यों के निष्पादन में विलम्ब हुआ था। इसके अतिरिक्त, एनएमडीसी को अपने निवेश पर कोई रिटर्न प्राप्त नहीं हुआ और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कर्नाटक राज्य से लौह अयस्क के निर्यात विक्रयों पर लगाये गए (मार्च 2012) प्रतिबंध को देखेते हुए निकट भविष्य में बेल्लारी सेक्टर से आगे और निर्यातों की संभावना नहीं थी।

प्रबंधन/मंत्रालय ने बताया (मार्च/जुलाई 2018) कि एनएमडीसी ने केआरसीएल को राजस्व के बकाया शेयर को जारी करने के लिए रेलवे बोर्ड को लिखा था और यह भी सूचित किया कि वह आगे केआरसीएल में निवेश नहीं करेगा।

4.4 इंटरनेशनल कोल वेन्चर्स लिमिटेड में निवेश

विदेश से मेटलर्जिकल कोकिंग कोयले और थर्मल कोयले की आपूर्तियां पाने के उद्देश्य से स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एनटीपीसी लिमिटेड व एनएमडीसी लिमिटेड के बीच एक समझौता जापन पर हस्ताक्षर (अगस्त 2007) किये गए और एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) अर्थात् “इंटरनेशनल कोल वेन्चर्स लिमिटेड (आईसीवीएल)” को सभी पांच सत्वां द्वारा 2:2:1:1:1 के अनुपात से ₹ 3,500 करोड़ के आरंभिक योगदान के साथ मई 2009 में गठित किया गया। तदनुसार, एनएमडीसी को आईसीवीएल में इसके शेयर में अनुपातिक ₹ 500 करोड़ का निवेश करना आवश्यक था। एनटीपीसी (फरवरी 2012) और सीआईएल (फरवरी 2015) क्रमशः ₹ 1.40 करोड़ और ₹ 2.80 करोड़ के आरंभिक पूंजी योगदान के बाद आईसीवीएल से बाहर निकल गए। इसके परिणामस्वरूप शेष तीन हिस्सेदार अर्थात् सेल, आरआईएनएल और एनएमडीसी के बीच आईसीवीएल में शेयर पूंजी के अनुपात को क्रमशः 48:26:26 से संशोधित किया गया (सितम्बर 2015)।

जुलाई 2014 में, आईसीवीएल ने मोजाम्बिक में स्थित कोयला परिसंपत्तियों और कोयला खदान अर्थात् रियो टिंटो कोल मोजाम्बिक (आरटीसीएम) में अपनी स्वाधिकृत सहायक संस्था आईसीवीएल मॉरीशस, जिसे सितम्बर 2014 में निगमित किया गया था, द्वारा 65 प्रतिशत स्वामित्व हिस्सा अधिग्रहण करने का निर्णय लिया। आरटीसीएम में शेष 35 प्रतिशत हिस्सा टाटा स्टील के पास था। आरटीसीएम की परिसंपत्ति निवेश सूची में, बंगा में एक परिचालित खदान, जाम्बेजी और टेटे ईस्ट ग्रीनफिल्ड्स परिसंपत्तियों³⁶ को सम्मिलित किया गया था। मोजाम्बिक में उपरोक्त विदेशी कोयला खदान संपत्तियों से आईसीवीएल ने 2014 में हार्ड कोकिंग कोल (एचसीसी) के 2.3 मिलियन टन (एमटी) के उत्पादन का अनुमान लगाया। इस अनुमानित उत्पाद के प्रति, यह आकलित किया गया था कि 2017-18 तक एसपीवी के लाभ आरंभ होने तक संचित हानि के प्रति ₹481.10 करोड़ (यूएस \$80 मिलियन) की अतिरिक्त राशि को मुहैया करवाने की आवश्यकता के साथ ₹300.69 करोड़ (यूएस \$50 मीलियन³⁷) का खरीद प्रतिफल होगा, जिसके लिए टाटा स्टील ने भी अपने शेयर की हिस्सेदारी देनी थी। कुल अनुमानित पूंजीगत खर्च 2015 से 2021 तक के वर्षों के लिए रोलिंग स्टॉक के प्रति

³⁶ आईसीवीएल का ध्यान मुख्यतः बंगा खदान पर ही केन्द्रित था और जाम्बेजी और टेटे ईस्ट परिसंपत्तियों पर वह ध्यान नहीं दे रही थी।

³⁷ खरीद अनुमान और प्रस्तावित पूंजीगत खर्च और रोलिंग स्टॉक के परिवर्तन के लिए 1 जूलाई 2014 को आरबीआई द्वारा घोषित ₹60.1370 प्रति यूएस डॉलर की विनिमय दर को अपनाया गया।

₹811.85 करोड़ (यूएस \$135 मीलियन) की आवश्यकता से प्रथक तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014 से 2016 तक के लिए लगभग ₹4,588.45 करोड़ (यूएस \$763 मीलियन) था। कंपनी मार्च 2015 तक आईसीवीएल में ₹213.36 करोड़³⁸ का निवेश कर चुकी थी।

कंपनी ने आईसीवीएल में आगामी निवेशों की जांच के लिए एक आंतरिक समिति नियुक्त (अगस्त 2015) की। अपनी रिपोर्ट (फरवरी 2016) में कंपनी ने देखा कि आईसीवीएल द्वारा 2014 के दौरान उत्पादन और राजस्व पर किये गए आरंभिक अनुमान अधिक आंके गए थे। यह भी देखा गया कि यह परियोजना अन्तराष्ट्रीय मेट-कोल उद्योग लागत वक्र के चौथे चतुर्थांश³⁹ में आ रही थी। परिचालन जोखिम के सन्दर्भ में तकनीकी सलाहकार द्वारा संदर्भित जोखिमों के प्रति आईसीवीएल ने सावधानी नहीं बरती। इसके अलावा, तीन वर्षों (2014-16) के लिए ₹481.10 करोड़ (यूएस \$ 80 मीलियन) की अनुमानित हानि कम आकी गई थी क्योंकि अकेले 2013 के लिए आंतरिक समिति द्वारा आंकलित वास्तविक हानि ₹668.49 करोड़ (यूएस \$108 मिलियन⁴⁰ डॉलर) थी। इसके अलावा, आंतरिक समिति ने पोर्ट पर डिलीवरी की उच्च लागत और परियोजना का उद्योग लागत वक्र के चौथे चतुर्थक में होना, रन-ऑफ-माइन (आरओएम) में उच्च राख सामग्री के कारण कम पैदावार, रसद अवसंरचना की कमी के कारण खदान उत्पादन बढ़ाने में असमर्थता के मद्देनज़र महत्वपूर्ण पूँजी निवेश और आस्ट्रेलियाई कोयले के समान ग्रेड के प्रति लागत के प्रतिस्पर्धी नुकसान, को देखा। इसके अलावा, टाटा स्टील से (अधिग्रहण के बाद) बैंगा खदान में 35 प्रतिशत की प्रतिबद्धता के बावजूद कोई योगदान नहीं मिला और इस तरह से समिति ने वर्ष 2019 तक ऋण और इक्विटी के लिए ₹2598.20 करोड़ के एनएमडीसी के जोखिम का अनुमान लगाया। आंतरिक समिति ने कहा कि कंपनी को पता था कि आईसीवीएल घाटे में चल रही परियोजना का अधिग्रहण कर रही है और आईसीवीएल में निवेश से बाजार की मौजूदा परिस्थितियों (फरवरी 2016) में अल्प और मध्यम अवधि दोनों में रिटर्न नहीं मिलेगा और लम्बी अवधि में, परियोजना को बनाए रखने और आईसीवीएल में आगे और निवेश करने की लागत काफी अधिक साबित होगी और यह बहुत अधिक जोखिम पैदा करेगा।

³⁸ ₹2.41 करोड़ (2011-12), ₹1.89 करोड़ (2012-13), ₹0.70 करोड़ (2013-14) व ₹208.36 करोड़ (2014-15)

³⁹ कोयला उद्योग लागत वक्र का चौथा चतुर्थांश कोयला उत्पादकों के उस खंड को संदर्भ करता है जो कि अन्तरराष्ट्रीय कोकिंग कोल की कीमतों में गिरावट से सबसे पहले और सबसे बुरी तरह प्रभावित निर्माता है।

⁴⁰ केलेंडर वर्ष 2013 के लिए हानि थी, इसलिए 31 दिसम्बर 2013 को ₹61.8970 प्रति यूएस डॉलर की विनिमय दर को अपनाया गया था।

इसके अलावा, आईसीवीएल को अपने पत्र (जुलाई 2017) में टाटा स्टील ने अपनी आशंका व्यक्त की कि बैंग कोल खदान अपने आस्ट्रेलियाई साथियों की तुलना में स्वाभाविक रूप से नुकसानदेह स्थिति में है और मध्यम से लंबे समय अवधि में अन्य प्रमुख कोयला उत्पादकों से पीछे रहने का अनुमान है। इसके अलावा, एक अंतिम चतुर्थक (क्यू-IV) कोयला खदान उत्पादक के रूप में, जो अंतराष्ट्रीय कोकिंग कोल की कीमतों में गिरावट से सबसे पहले और सबसे बुरी तरह प्रभावित होते हैं, यह लंबे समय में सबसे अच्छा मामला परिवृश्य में भी मुनाफा कमाने के लिए संघर्ष करेगा।

हमने देखा कि:

- क) इक्विटी शेयरिंग अनुपात के पुनर्गठन के कारण एनएमडीसी की पूँजी प्रतिबद्धता वर्तमान ₹500 करोड़ से बढ़कर ₹910 करोड़ हो गई।
- ख) आईसीवीएल में आगामी निवेशों की जांच के लिए आंतरिक समिति नियुक्त (अगस्त 2015) करने, जिस समय तक कम्पनी आईसीवीएल में ₹213.36 करोड़ का निवेश कर चुकी थी, के बावजूद आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने (फरवरी 2016) से पहले कम्पनी ने आईसीवीएल में ₹107.97 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया। इसके अलावा, आईसीवीएल में ओर अधिक निवेश करने से बचने और पिछले 3-5 वर्षों के दौरान पहले से किए गए निवेशों की वसूली करने से सम्बंधित आंतरिक समिति की सिफारिशों (फरवरी 2016) के बावजूद, कंपनी ₹15.03 करोड़ के और निवेश के साथ आगे बढ़ी (जून 2016) और आईसीवीएल में ₹376.36 करोड़⁴¹ का कुल निवेश किया। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने यूएस \$30 मिलियन का लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया जिसे आईसीवीएल द्वारा एक्सिम बैंक से कार्यशील पूँजी का ऋण प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था।
- ग) आंतरिक समिति द्वारा उठाये गए मुद्दों की पुष्टि टाटा स्टील द्वारा नियुक्त (मार्च 2015) सलाहकार (आरपीएम-रूगें पिंकॉक्क मिनार्कों) ने भी की, जिसने कहा (जुलाई 2017) कि 2016-17 तक संचित घाटा ₹8,300 करोड़ (यूएस \$1.28 बिलियन) रहा और मूल्यांकन किया कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कोकिंग कोल के दीर्घकालिक मूल्य पूर्वानुमान के मद्देनजर बैंग कोयला खदान का ब्रेक-ईवन पॉइंट अभी भी दूर था।

⁴¹ ₹40 करोड़ के इक्विटी अग्रिम सहित

इस प्रकार, आईसीवीएल की अवास्तिक व्यावसायिक योजना के आधार पर कंपनी द्वारा किए गए ₹376.36 करोड़ के निवेश से अबतक कोई रिटर्न नहीं मिला है और मध्यम या दीर्घकालिक अवधि में उचित लाभ कमाने की अनिश्चितता बनी हुई थी।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2018) कि:

- मई 2016 में एक उच्च स्तरीय दल⁴² ने आईसीवीएल का निरीक्षण किया और पाया कि कम लागत पर प्रचालन परियोजना को अब भी व्यवहार्य बना सकते हैं। कंपनी ने आईसीवीएल की इक्विटी में ₹15.03 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया।
- जबकि सितम्बर 2015 में एनएमडीसी बोर्ड द्वारा सेल, आरआईएनएल और एनएमडीसी के बीच इक्विटी शेयर पूँजी की पुनः संरचना का अनुमोदन किया गया, परियोजना के लिए केपैक्स परिकल्पना के अनुसार अनुमोदित नहीं किया गया। जनवरी 2016 से अक्तूबर 2017 तक खनन प्रचालन बंद रहा। इसके अतिरिक्त केपैक्स सीमा में वृद्धि का लेखापरीक्षा का विचार भी यथार्थपूर्ण नहीं था क्योंकि कारोबार योजना बदल चुकी थी और आईसीवीएल घटी हुई लागत पर ही ठेकागत एजेंसियों के नये सेट द्वारा उक्त दर क्षमता पर ही चलती रही।

प्रबंधन का यह तर्क कि मोजाम्बिक में कम लागत का परिचालन व्यवहार्य होगा, आंतरिक समिति की टिप्पणी, कि यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय मेट-कोल उद्योग लागत वक्र के चौथे चतुर्थक (क्यू-IV) में थी, के विरोधाभासी था। इसके अतिरिक्त, टाटा स्टील (आरटीसीएम में संयुक्त उपक्रम साझेदार) के सलाहकार की रिपोर्ट उपरोक्त तथ्य की पुष्टि करती है कि बैंगा खदान अपने ऑस्ट्रेलियाई साथियों की तुलना में हानि की स्थिति में थी। निश्चित रूप से इसी कारण से टाटा स्टील ने अधिग्रहण के बाद आरटीसीएम में और अधिक निवेश से अपने आप को अलग कर लिया था।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2018) कि कोकिंग कोयला मूल्यों में भारी गिरावट के कारण और अधिग्रहण के दौरान प्रारंभिक अनुमानों की तुलना में उत्पादन की उच्च लागत के कारण संचित हानियां हुई थी। ऑस्ट्रेलियन \$180-\$190 पर कोकिंग कोयला के वर्तमान मूल्य के साथ यह परियोजना व्यवहार्य लगती है।

⁴² अध्यक्ष, सेल, संयुक्त सचिव, एमओएस, निदेशक (तकनीक), एनएमडीसी, निदेशक (वाणिज्यिक) आरआईएनएल और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईसीवीएल शामिल हैं।

उत्तर विश्वासप्रद नहीं हैं क्योंकि परियोजना को वर्ष 2017-18 से लाभ अर्जित करना था और उसके लिए वर्ष 2016-17 तक ₹8,300 करोड़ (यूएस \$1.28 बिलियन) की संचित हानियों को पूरी तरह से समाप्त करना आवश्यक है, जिसमें काफी समय लग सकता है।

4.5 लिगेसी आयरन ओर लिमिटेड, आस्ट्रेलिया में निवेश

विदेश में खनिज संपत्ति के अधिग्रहण के लिए अक्टूबर 2009 के दौरान जारी किये गए ग्लोबल एक्सप्रैशन ऑफ इंट्रस्ट (जीईओआई) के उत्तर में, आस्ट्रेलिया में विभिन्न खनिज/धातु डिपॉजिट्स के खनन अधिकार रखने वाली लिगेसी आयरन ओर लिमिटेड (एलआईओएल), आस्ट्रेलिया (आस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध निकाय) ने पिलबरा क्षेत्र, आस्ट्रेलिया में स्थित राबर्ट्सन रेज और हेमर्सले प्रोजैक्ट्स में अपने लौह अयस्क टेनमेंट⁴³ के दोहन के लिए कम्पनी से संपर्क किया (अगस्त 2010)। कम्पनी ने 432वीं बोर्ड मीटिंग (29 अप्रैल 2011) में एलआईओएल के राबर्ट्शन रेज और हेमर्सले प्रोजैक्ट्स में 50 प्रतिशत शेयर अधिग्रहित करने का निर्णय लिया। कंपनी ने मई 2011 में पाया कि एलआईओएल ने एक अन्य कम्पनी अर्थात माऊट बेवन प्रोजैक्ट टेनमेंट के मालिक हॉथोर्न रिसॉर्ससिज लिमिटेड के साथ 60 प्रतिशत लाभ के लिए फार्म-इन⁴⁴ जेवी समझौता किया था। इस प्रकार, मई 2011 में, कम्पनी ने एक मुख्य शेयर धारक जो कि आस्ट्रेलिया में वृद्धि प्लेटफार्म के रूप में कार्य करेगी; के रूप में प्रबंधन नियंत्रण के लिए एलआईओएल में 50 प्रतिशत शेयर प्राप्त करने का निर्णय लिया। 12 प्रतिशत के रिटर्न की संभावित आंतरिक दर के साथ, 21 मई 2011 को एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये और कम्पनी ने एलआईओएल के साथ शेयर सब्सक्रिप्शन समझौता पूरा किया (20 अक्टूबर 2011) और ₹99.63 करोड़ (6.55 आस्ट्रेलियन सेंट प्रति शेयर की दर से आस्ट्रेलियन \$18.89 मिलियन) की लागत पर 28,83,62,699 शेयर जो कि आस्ट्रेलियन स्टॉक सक्सचेंज (एएसएक्स) (21 दिसम्बर 2011) में सूचीबद्ध थे और एलआईओएल के 15,56,49,619 ओपशंस⁴⁵ (कुल

⁴³ टेनमेंट एक अन्वेषण लोड्सेंस है जो खनिज स्थानों की उपलब्धता का पता लगाने के लिए अनुमति प्रदान करता है।

⁴⁴ आस्ट्रेलियन अन्वेषण क्षेत्र में फार्म-इन-समझौते ठेकेदारी प्रबंधन में सामान्य बात है। विशिष्ट रूप से, किसी टेनमेंट में लाभ का मालिक (फारमोर) अन्य पार्टी (फार्मी) को उनके लाभ की प्रतिशतता को हस्तांतरित करने को सहमत हो जाता है यदि फार्मी विशिष्ट अन्वेषण प्रतिबद्धताओं को पूरा करता है और अन्वेषण गतिविधियों के प्रति व्यय के निर्दिष्ट स्तर में सहयोग करता है।

⁴⁵ ओपशंस का आहवान वास्तविक बाजार मूल्य को द्यान में रखे बिना निर्धारित मूल्य पर भावी तिथि पर निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पहले करके इन्हें इक्विटी में बदल दिया जाता है। ओपशंस के अधिग्रहण में नकद निर्गम नहीं होता जब तक कि यह वैध अवधि में प्रयोग नहीं किये जाते।

इक्विटी का 49.61 प्रतिशत) अधिग्रहित किये। कम्पनी का यह कदम आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) के नोटिस में भी लाया गया (22 नवम्बर 2012)। इसके अतिरिक्त, ₹3.40 करोड़ लगभग (आस्ट्रेलियन \$6,17,980) की लागत पर एलआईओएल पर अन्वेषण नीति तैयारी के लिए मई 2013 में एक परामर्शदाता के रूप में मैंकिंसे एंड कम्पनी को नियुक्त किया जिसका विचार था कि माउंट बेवन एक नकारात्मक निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) परियोजना थी और उन्होंने निवेश कम करने की सिफारिश की और हॉथोर्न रिसॉर्सिज लिमिटेड में शेयर की खरीद रोकने की भी कम्पनी को सलाह दी। यद्यपि, संभावित दीर्घ अवधि संसाधन संवर्धन नीति के रूप में और अपने अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों को सुदृढ़ बनाने के मद्देनजर अपने कदम को सही ठहराते हुए एलआईओएल के राइट्स इशू को सब्सक्राईब करने के लिए कम्पनी आगे बढ़ गई (मार्च 2014)। कम्पनी ने एलआईओएल के राइट्स इशू को 1.40 आस्ट्रेलियन सेंट प्रति शेयर के प्रस्तावित मूल्य पर (प्रति शेयर के लिए 3 शेयरों पर) ₹68.90 करोड़ (आस्ट्रेलियन \$12.12⁴⁶ मिलियन (लगभग)) पर सब्सक्राईब किया, जिससे कुल निवेश ₹168.53 करोड़ (आस्ट्रेलियन \$31.01 मिलियन, अर्थात् अधिग्रहण के समय पर आस्ट्रेलियन \$18.89 मिलियन और अगस्त 2014 में अर्थात् राइट्स इशू के दौरान आस्ट्रेलियन \$12.12 मिलियन) की सीमा तक हो गया। कम्पनी ने अभी तक किसी ऑप्शन का प्रयोग नहीं किया था। इस प्रकार, एलआईओएल में इक्विटी 49.61 प्रतिशत से बढ़कर 78.56 प्रतिशत तक हो गई। मार्च 2017 तक, एलआईओएल के पास एक लौह अयस्क टेनमेंट, 18 गोल्ड टेनमेंट और तीन मैटल टेनमेंट सहित 22 टेनमेंट थे।

हमने देखा कि:

- (क) अधिग्रहण प्रस्ताव लौह अयस्क और सोने के अनुमानित संसाधनों⁴⁷ के आधार पर अनुमोदित किया गया था और न कि साबित रिजर्व पर क्योंकि एलआईओएल परियोजनाएं अब भी अन्वेषण स्थिति में थी। यह दर्शाती है कि परियोजनाओं को वास्तविक दोहन से पहले उत्पादन पूर्व लम्बी अवधि से भी गुजरना था।
- (ख) जून 2011 तक (अधिग्रहण की तिथि तक) व्यय किये गये आस्ट्रे. \$9.995 मिलियन के अतिरिक्त, एलआईओएल ने मार्च 2017 तक 58 टेनमेंट के अन्वेषण पर आस्ट्रे. \$11.9 मिलियन का व्यय किया। इसके अतिरिक्त, 36 टेनमेंट आस्ट्रे. \$12.88

⁴⁶ 28,83,62,699 मौजूदा शेयर * 3 * 1.4 सेंट प्रतिशेयर/100 = आस्ट्रेलियन \$12.12 मिलियन

⁴⁷ संयुक्त संसाधन रिजर्व समिति (जेओआरसी) के वर्गीकरण के आधार के अनुसार अनुमानित संसाधनों को संकेतित संसाधनों और फिर मापन योग्य या सिद्ध संसाधनों के रूप में वर्गीकरण के लिए के लिए अतिरिक्त अन्वेषण की आवश्यकता है।

मिलियन कुल व्यय के बाद वापस सौंप दिये गये जिसमें तीन कोयला टेनमेंट शामिल थे, जिससे मार्च 2017 तक कुल टेनमेंट 22 हो गये।

- (ग) एलआईओएल के टेनमेंट्स के अधिग्रहण के समय, कंपनी के बोर्ड की उप-समिति ने अगस्त 2011 में देखा कि भारत में गाढ़े लौह अयस्क का अनुमानित उत्तराई-मूल्य लगभग ₹3,391.73 प्रति टन से ₹3,611.97 प्रति टन (यूएस \$77⁴⁸ प्रति टन से यूएस \$82 प्रति टन) होगा, जो कि अपने घरेलु खदानों से कंपनी की उत्पादन लागत⁴⁹ से बहुत अधिक सिद्ध होगा, जो भारत में अयस्क के आयात को बहुत महंगा बना देगा।
- (घ) मैक्सिंजे एण्ड कं., की मूल्य निर्धारण जांच के अनुसार माउंट बेवन आयरन और परियोजना एक नकारात्मक एनपीवी परियोजना थी और मध्यम अवधि के लिए एक सीमांत परिसंपत्ति थी और यह एनएमडीसी हेतु केवल लम्बी अवधि अर्थात् 2030 वर्ष के बाद से संभवतः सामरिक होगी जिसके लिए कंपनी को प्रत्येक वर्ष टेनमेंट्स को स्वामित्व में बनाए रखने के लिए ₹89.67 लाख (1,77,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर⁵⁰) का न्यूनतम पर्यवेक्षण प्रतिबद्धता व्यय वहन करना होगा और आगे भी निवेश करना होगा चूंकि एलआईओएल का अपना राजस्व स्रोत नहीं है।
- (ङ) इसके अतिरिक्त, निम्न श्रेणी गुणवत्ता के लौह अयस्क (लौह तत्व 30.60 प्रतिशत) को ध्यान में रखते हुए, परियोजना की आर्थिक दृष्टि से लाभप्रदता अत्यधिक संदेहयुक्त थी चूंकि यह भारतीय इस्पात उद्योग की वर्तमान तकनीकी स्तर को देखते हुए व्यवहार्य नहीं हैं जैसा आईबीएम ने कहा (जुलाई 2009) कि 45 प्रतिशत फेरस ग्रेड (लौह) के लौह अयस्क को बेकार माना जाता है।
- (च) एलआईओएल के शेयर मूल्य में 03.11.2017 को प्रति शेयर 6.55 ऑस्ट्रेलियन सेंट के प्रारंभिक अधिग्रहित मूल्य से प्रति शेयर 0.30 ऑस्ट्रेलियन सेंट तक की गिरावट हुई थी। परिणामस्वरूप ₹151.40 करोड़ (27.55 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर) की कमी हुई क्यूंकि ₹168.53 करोड़ (31.01 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर) का प्रारंभिक

⁴⁸ 01 अगस्त 2011 की आरबीआई संदर्भ दर एक यूएस डॉलर = ₹44.0485 को संपरिवर्तन के लिए लिया गया था।

⁴⁹ बैलाडीला सेक्टर में लौह अयस्क की उत्पादन लागत प्रति टन ₹1,000 से कम थी, जबकि आयातित अयस्क की उत्तराई लागत 2011 में प्रचलित प्रति यूएस डॉलर ₹45 की विनिमय दर को ध्यान में रखते हुए लगभग ₹3,465 प्रति टन थी।

⁵⁰ 18 दिसम्बर 2018 की आरबीआई संदर्भ दर, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर = ₹50.6585, संपरिवर्तन करने हेतु मानी गयी थी।

निवेश उस समय तक घट कर ₹17.13 करोड़ (3.46 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर⁵¹) तक हो गया था।

इस प्रकार, एलआईओएल में कम्पनी द्वारा किया गया निवेश वित्त के तार्किक निर्धारण पर आधारित नहीं था जो कि सूचित जोखिम और रिटर्न प्रोफाईलिंग और भावी संभावनाओं से रहित था। कम्पनी के अविवेकपूर्ण निवेश का कदम वार्षिक आवर्तक अन्वेषण प्रतिबद्धता लागत और शेयर कमी के रूप में प्रदर्शित हुआ।

प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (मार्च/जुलाई 2018) कि:

- जब भी कई टेनमेंट्स में से एक खान में बदलता है, अन्वेषण परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कई गुणा बढ़ जाता है।
- राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुसार 2025 तक और उसके बाद लौह अयस्क की कमी के अनुमान के मद्देनजर विस्तृत व्यवहार्य अध्ययनों के अन्तर्गत कम्पनी ने घरेलू इस्पात संयंत्रों को देने के लिए माउंट बेवन से लौह अयस्क आयात करने की योजना बनाई।
- विस्तृत व्यवहार्य अध्ययनों के अन्तर्गत ब्लास्ट फरनेस ग्रेड उत्पाद पर प्रीमियम दिलवाने वाले उत्पाद का उत्पादन करने के लिए माउंट बेवन के 30.60 प्रतिशत के लोह तत्व को 69 प्रतिशत से अधिक तक बेनीफिशिएट किया जा सकता है (डेविस ट्यूब रिकवरी टैस्ट के परिणाम)।
- एलआईओएल की जैसी अन्वेषण कम्पनियों के पास सतत् राजस्व स्रोत नहीं था जब तक कि परियोजना उत्पादन न करने लगे जो कि कई वर्ष लेगी और एलआईओएल की मौजूदा बाजार कैप 0.60 ऑस्ट्रेलियन सेंट प्रति शेयर पर आस्ट्रे. \$8.81 मिलियन था। एलआईओएल में किसी सकारात्मक समाचार से बाजार कैप में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता था।
- एलआईओएल ने तीन टंगस्टन टेनमेंट के आबंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये और अन्य टंगस्टन कम्पनियों के साथ बात कर रहे थे जिन्होंने व्यवहार्य अध्ययनों को पूरा कर लिया था, इसलिए, आस्ट्रेलिया में उपस्थिति देश और कम्पनी के लिए महत्वपूर्ण संसाधन लाभ को लक्ष्य करने में सहायता करेगी।

⁵¹ 3 नवम्बर 2017 की आरबीआई संदर्भ दर, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर = ₹49.5045, को परिवर्तन हेतु लिया गया।

उत्तर इस तथ्य के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं है कि कम्पनी के प्रक्षेपण वैज्ञानिक और उपयुक्त स्वीकार्य आधारों के बजाय अपेक्षाओं तथा पूर्वानुमानों पर आधारित है। इसके अलावा, कम्पनी खदान से बंदरगाह तक अयस्क के परिवहन हेतु बन्दरगाह, रेलवे लाइन तथा सड़क मार्ग के निर्माण, विद्युत तथा विलवणन संयंत्र जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु किए जाने वाले व्यय, लौह अयस्क बेनिफिशिएशन लागत तथा अपने राजस्व प्रवाह के अभाव के कारण परियोजना की व्यवहार्यता व भारत में अयस्क के आयात पर अधिक प्रभाव डालने के अलावा टेनेमेंट्स बनाए रखने के लिए वार्षिक रूप से ₹89.67 लाख (आस्ट्रेलिया \$1,77,000) खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अध्याय V

आंतरिक नियंत्रण व निगरानी

5.1 निगरानी और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता

आंतरिक नियंत्रण एक महत्वपूर्ण प्रबंधन तंत्र है और इसमें नीतियों के अनुपालन, परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने, धोखाधड़ी और बुटियों को रोकने और जांचने सहित अपने कारोबार के सुचारू और प्रभावी रूप से करने को सुनिश्चित करने के प्रबंधन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए प्रबंधन द्वारा अपनाये गए तरीके और प्रणालियां शामिल होती हैं। एक अच्छा निगरानी तंत्र निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक प्राधिकारी को समय पर, उचित और सटीक सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है।

नीचे दर्शाये गये आंतरिक नियंत्रण तंत्र लागू किये गये थे:

- क. लेखापरीक्षा समिति में पांच सदस्य अर्थात् चार स्वतंत्र निदेशक और एक निदेशक (तकनीकी) सदस्य के रूप में थे। अन्य कार्यकारी निदेशक आवश्यकता आधार पर आमंत्रित किये गये थे। लेखापरीक्षा समिति का कार्य कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण, बोर्ड को प्रस्तुतीकरण से पहले वित्तीय विवरणों के अनुमोदन, स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के कार्य की समीक्षा और निगरानी, आंतरिक लेखापरीक्षकों के द्वारा निवेशों की संवीक्षा, आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन का मूल्यांकन, किसी महत्वपूर्ण लेखापरीक्षक निष्कर्षों के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षकों पर विचार विमर्श करना था।
- ख. संयुक्त सचिव, निदेशक (तकनीकी) और दो स्वतंत्र निदेशकों वाली उप-समिति को सभी चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करनी होती है। समिति का अधिदेश सभी चल रही परियोजनाओं जैसे केआईओपी, एनआईएसपी, पैलेट संयंत्र आदि की समीक्षा करना है।
- ग. कम्पनी ने खरीद, मानव संसाधन, ठेकों, निर्माण कार्यों और बिक्री आदि के लिए मैनुअल तैयार किये थे।
- घ. मुख्यालय और इकाइयों दोनों को कवर करते हुए कम्पनी ने आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य सनदी लेखाकारों की फर्मों को आऊटसोर्स किया था जिसमें लेन देन लेखापरीक्षा के साथ-साथ कम्पनी की विभिन्न इकाइयों में अपनाई गई प्रणालियों और प्रक्रियाओं

की लेखापरीक्षा को कवर किया गया था। उच्च और मध्यम जोखिम आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई थी।

यद्यपि जैसा कि ऊपर बताया गया है नियंत्रण तंत्र की प्रणाली मौजूद थी, यह देखा गया कि:

- (i) चालू परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए उप-समिति ने प्राप्त करने हेतु स्पष्ट लक्ष्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जिसकी समीक्षा अनुवर्ती बैठक में की जा सके। यद्यपि यह देखा गया था कि चालू परियोजनाओं के संबंध में बताये गये अवरोधों पर मोटे तौर पर कुछ उपचारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी गई थी, उप-समिति द्वारा निगरानी ने मात्रात्मक रूप में इन परियोजनाओं को पूरा करने में हुई प्रगति को नहीं दर्शाया। इसके अतिरिक्त उप-समिति को स्क्रीनिंग प्लांट-II, स्क्रीनिंग प्लांट -III और डिपोजिट-13 के लिए सांविधिक मंजूरी, जो कि लंबी अवधि से लंबित थी, को प्राप्त करने में हो रहे विलंब के बारे में उचित जानकारी नहीं दी गई और इसलिए इन विलंबों पर उप-समिति कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप बोर्ड भी इस संबंध में हो रही कार्रवाहियों के प्रति सचेत नहीं था।
- (ii) 11बी खान और केआईओएम परियोजना कार्यों के अप्रैल 2012 तक की निर्धारित पूर्णता तिथियों को पार करने के बावजूद कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये। मुख्य पैकेजों अर्थात् 11बी खान के संबंध में क्रशिंग प्लांट और डाऊनहिल कनवेयर सिस्टम पैकेज की पूर्णता (अगस्त 2015) के बाद भी, शेष पैकेजों का पूरा न होना बोर्ड स्तरीय उप-समिति की उचित निगरानी की कमी को दर्शाता है।
- (iii) स्क्रीनिंग प्लांट-II के लिए अपेक्षित सूचना के प्रस्तुतीकरण में कम्पनी की ओर से विलंब पर बोर्ड उप-समिति द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
- (iv) बड़े निवेश जैसे ओडिशा में विवादित लौह अयस्क खान (एनआईएनएल) के अधिग्रहण हेतु ₹100.60 करोड़, आईसीवीएल में ₹376.36 करोड़ से अधिक निवेश, पर प्रबंधन द्वारा स्वयं यथोचित परिश्रम किये बिना निर्णय लिए गए। जब प्रबंधन ने ऐसे निवेशों में जोखिम को पाया तो ये मामले बाद में सलाहकार समिति को संदर्भित किये गये थे।
- (v) इसके अतिरिक्त, अधिग्रहण के समय पर (जुलाई 2010 से पहले) हानि उठाने वाली संज आयरन यूनिट (एसआईयू) पलोंचा को लाभ अर्जित करने वाली इकाई के रूप में प्रतिवर्तित करने के लिए लिये गये निर्णय/सलाह अब तक भी लागू नहीं किये गये थे। परिणामस्वरूप, अधिग्रहण के समय पर अनुमानित परिकल्पित लाभ प्राप्त नहीं

किये गये और एसआईयू लगातार हानि में चल रही थी जो कि 31 मार्च 2017 तक ₹194.77 करोड़ तक हो चुकी थी।

- (vi) प्रबंधन ने अनुवर्ती निविदाओं के लिए पूर्व योग्यता मानदंड को निश्चित करने से पहले बीइएमएल द्वारा निर्मित डंपर्स के निष्पादन के बारे में उपभोक्ता विभाग का फीडबैक प्राप्त नहीं किया, और उनकी खरीद करती रही। इसके परिणामस्वरूप खराब प्रदर्शनकारी उपस्कर की खरीद हुई जिसके उपलब्धता प्रचालन के प्रथम वर्ष के दौरान खरीद के लिए निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट 85 प्रतिशत से कम थी।
- (vii) जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया गया था, नीतिगत प्रबंधन योजना - विज्ञन 2025 के कार्यान्वयन की आवधिक अर्ध-अवधि समीक्षा नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप अनुमानित लक्ष्यों की प्राप्ति को रोकने वाली कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
- (viii) सीएजी की 2012-13 की प्रतिवेदन सं. 20 में की गयी सिफारिश सं 2 संदर्भित है, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि कम्पनी को अपनी परियोजना कार्यान्वयन और निगरानी पर ध्यान केंद्रित करके अपनी परियोजना प्रबंधन योग्यता को बढ़ाने की आवश्यकता है। कम्पनी को सभी परियोजना गतिविधियों के लिए समयावधि और लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने और सतत निगरानी और उचित उपचारात्मक कार्रवाई द्वारा उनका सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यह भी सिफारिश की गई थी कि कम्पनी के निदेशक बोर्ड को चालू परियोजनाओं की प्रगति की आवधिक समीक्षा करनी चाहिए और जहां पर भी आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए ताकि परिकल्पित परियोजनाओं को पूरा किया जा सके। यद्यपि कम्पनी ने सिफारिश स्वीकार की, चालू परियोजनाओं के संबंध में पूर्ण करने के लिए लक्षित कार्यों, पूर्ण हो चुके कार्यों, विलंब के कारण, व बैठक के बाद पूरे किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यों को दर्शाते हुए विशिष्ट लक्ष्य और समय अवधि, 17 समीक्षा बैठकों, जो कि अप्रैल 2012 और दिसंबर 2017 के बीच अवधि के दौरान हुई थी, में निर्धारित नहीं किए गए।

कम्पनी ने दावा किया (मार्च 2018) कि एनएमडीसी में आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद था और विभिन्न चालू परियोजनाओं की समीक्षा के लिए निदेशक मंडल द्वारा एक उप-समिति गठित की गई थी और उपरोक्त उप-समिति के कार्यवृत्त नियमित अंतराल पर बोर्ड की सूचना के लिए पेश किये जाते हैं।

यद्यपि हमने पाया कि चालू परियोजनाओं की समीक्षा के लिए उप-समिति के गठन के बावजूद लगभग सभी परियोजनाएं उप-समिति द्वारा प्रभावी निगरानी और उचित अनुवर्ती कार्रवाई की कमी के कारण विलंबित होती हैं।

प्रबंधन के उत्तर के अतिरिक्त मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि 2012-13 की सीएजी की प्रतिवेदन सं. 20 की सिफारिश सं. 2 का निपटान परियोजनाओं के निगरानी और तीव्र कार्यान्वयन के लिए उठाये गये कदमों को ध्यान में रखते हुए फरवरी 2015 में कर दिया गया था।

उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है कि 2012-13 की सीएजी की प्रतिवेदन सं. 20 की सिफारिश सं. 2 के संबंध में पैरा को कंपनी द्वारा 11बी परियोजना, केआईओएम परियोजना और डोनीमलाई पैलेट प्लांट के कार्यान्वयन हेतु लक्ष्यों के साथ समय सीमाओं की प्रस्तुती के आधार पर इस शर्त पर आगे जारी न रखने का निर्णय लिया गया था कि उक्त पर ध्यान दिया जाएगा और अनुवर्ती लेखापरीक्षाओं में सत्यापन किया जाएगा। वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने देखा कि चालू परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने की उप-समिति ने 11बी खदान, केआईओएम परियोजना तथा पैलेट संयंत्र के विकास के संदर्भ में समय सीमाओं, समय सीमाओं के संशोधन तथा इसकी प्राप्ति की मॉनीटरिंग के साथ कोई माइलस्टोन निर्धारित नहीं किया, यद्यपि इन परियोजनाओं के समापन में विलम्ब था।

अध्याय-VI

निष्कर्ष और सिफारिशें

6.1 निष्कर्ष

देश में लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में, कम्पनी ने 2016-17 में ₹9,738.45 करोड़ की आय पर ₹4,293.68 करोड़ के कर पूर्व लाभ सहित लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। 2012-17 की अवधि को कवर करते हुए कम्पनी के परिचालन निष्पादन की समीक्षा पर यद्यपि कई आपत्तियां और चिंताएं थीं जो नीचे दर्शाई गई हैं।

कम्पनी की अधिकतम अनुमत उत्पादन क्षमता 2015-16 तक 37 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) और 2016-17 के दौरान 44 एमटीपीए थी। स्लरी पाईप लाईन की अनुपलब्धता, स्क्रीनिंग सुविधाओं की अनुपलब्धता, भंडार की संतृप्ति, उपभोक्ताओं से आदेशों की कमी जैसे कारणों से क्षमता का उपयोग 27 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की संगत कमी के साथ 73 प्रतिशत (2012-13) और 82 प्रतिशत (2014-15) के बीच अस्थिर बना हुआ था। एसएमपी-विज्ञ 2025 सकारात्मक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ तैयार की गई थी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में लौह अयस्क और इस्पात के मूल्यों में गिरावट के अनुमानों के बावजूद भी यह किया गया। यद्यपि कम्पनी ने 2018-19 तक 50 एमटीपीए और 2021-22 तक 67 एमटीपीए तक अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न सुविधाएं (कॉम्प्लैक्स वार) परिकल्पित की, इन सुविधाओं को पूरा करने के लिए समय सीमाएं अवास्तविक प्रतीत हो रही हैं जो कि उत्पादन के लक्ष्यों को पूरा करने और समय सीमा के अनुपालन में कमी से प्रतीत हुआ है।

बैलाडिला क्षेत्र में 11बी खान और डोनीमलाई क्षेत्र में कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना खान का विकास, जो कि उत्पादन क्षमता के संवर्धन के लिए था, कम्पनी/सलाहकार और ठेकेदारों दोनों के कारण काफी विलम्बित हुआ। यद्यपि इन परियोजनाओं के मुख्य पैकेज क्रमशः अगस्त 2015 और मई 2017 तक पूरे किये गये थे, पूर्ण क्षमता उत्पादन स्क्रीनिंग प्लांट के गैर संस्थापन के कारण पूरे नहीं किये जा सके। बैलाडिला क्षेत्र में डिपोजिट 13 के संबंध में सांविधिक मंजूरियाँ प्राप्त करने में विलंब (14 वर्ष) था, जिसके परिणामस्वरूप खदान के विकास में विलंब हुआ। कम्पनी कर्नाटक राज्य वन विभाग द्वारा मांगे गये आवश्यक विवरण के प्रस्तुतीकरण में विलंब के कारण डोनीमलाई में स्क्रीनिंग प्लांट-।। के लिए अपेक्षित सांविधिक मंजूरी प्राप्त नहीं कर सकी और किरनडुल कॉम्प्लैक्स में स्क्रीनिंग प्लांट ।।। के लिए कम्पनी, पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग पर आरोपित कारणों से सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने में नौ वर्ष लग

गये। निकासी क्षमता वृद्धि परियोजना कार्य अपूर्ण रहे अथवा उन्हें सांविधिक मंजूरी को प्राप्त करना अब भी शेष था, जो की संशोधित एसएमपी - विज्ञन 2025 में निर्धारित किये गये लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति में अवरोधक थे।

नगरनार, छत्तीसगढ़ में एकीकृत इस्पात संयंत्र के निर्माण में अतार्किक विलंब हुए, जिसे मार्च 2014 तक पूरा किया जाना निर्धारित किया गया था, जिसके कारण परियोजना हेतु लागत अनुमानों में उद्धर्व वृद्धि करना आवश्यक हो गया। इस रिपोर्ट में विलंब के विभिन्न कारण दर्शाये गये हैं जिनमें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार न किये जाने पर बल दिया गया है। कर्नाटक में एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए भूमि पर अधिकार प्राप्त करने में काफी विलंब हुआ। भूमि पर स्वामित्व पाने में हुए आठ वर्षों के विलंब से संयंत्र को स्थापित करने में व्यापक प्रभाव पड़े। कम्पनी को कर्नाटक में इस एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए कैप्टिव खान के रूप में प्रयोग करने के उद्देश्य से रमनदुर्ग खान के लिए खनन लीज अभी तक प्राप्त करनी थी (मार्च 2018)।

डोनीमलाई में पैलेट संयंत्र मार्च 2012 की निर्धारित पूर्णता तिथि के प्रति जून 2017 में आरंभ किया गया था, वह भी 2017-18 के दौरान संस्थापित क्षमता के छः प्रतिशत से नीचे के उत्पादन के साथ। पन्ना, मध्य प्रदेश में हीरा खान की पूरक खनन लीज की समाप्ति के कारण, कम्पनी एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां 2020 के बाद वह इसके पास उपलब्ध टफ का प्रसंस्करण नहीं कर पाएगी।

निष्पादन लेखापरीक्षा से यह भी ज्ञात हुआ कि कम्पनी द्वारा आरंभ की गई संयुक्त उद्यम परियोजनाओं में काफी कमियां थीं। पांच संयुक्त उद्यम कम्पनियों में किया गया ₹714 करोड़ का निवेश अब तक कोई रिटर्न नहीं दे सका था। कम्पनी ने अभी तक चालू परियोजनाओं के लिए स्पष्ट लक्ष्यों के साथ समय सीमा निर्धारित करने के संबंध में 2012-13 की प्रतिवेदन सं. 20 में की गई सीएजी की सिफारिश लागू नहीं की थी और परिणामस्वरूप, कम्पनी के दावे, कि कार्यान्वयन के अन्तर्गत परियोजनाओं और पैकेजों की बोर्ड स्तरीय उप-समिति द्वारा निगरानी की जा रही थी, के बावजूद विभिन्न चालू परियोजनाओं की प्रगति विलंबों से प्रभावित हो रही थी।

6.2 सिफारिशें

- 1) कंपनी को अपनी आवधिक योजनाओं में लक्ष्य निश्चित करते समय बाजार प्रचलनों पर विचार करना चाहिए ताकि निर्धारित लक्ष्य व्यवहारिक और प्राप्ति योग्य हों।
- 2) कंपनी निर्धारित समय सीमाओं के भीतर सांविधिक मंजूरियां प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों को समयानुसार प्रस्तुत करना और संबंधित सांविधिक प्राधिकारियों से निरंतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

- 3) कंपनी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश उद्यमों में शामिल होने से पूर्व जोखिम तथ्यों पर समुचित उद्यम करने और समुचित संज्ञान देने की आवश्यकता है।
- 4) कंपनी को परियोजनाओं/निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन में विलंब और समय तथा लागत की वृद्धि से बचने के लिए अपनी परियोजना क्रियान्वयन तंत्र/नीति को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
- 5) कंपनी का बोर्ड परियोजनाओं को समयानुसार समाप्त करने के लिए निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करें।

लेखापरीक्षा सिफारिशों पर इस्पात मंत्रालय की प्रतिक्रिया:

इस्पात मंत्रालय उपरोक्त सिफारिश सं. (2), (3) तथा (4) से सहमत था। सिफारिश सं. (1) के संबंध में मंत्रालय ने कहा कि अस्थिर बाजार दशाओं के मद्देनजर लौह-अयस्क उद्योग में सही बाजार प्रचलनों का पूर्वानुमान लगाना बहुत कठिन है। सिफारिश सं. (5) के संबंध में मंत्रालय ने कहा कि चालू परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा निदेशक मंडल की उप-समिति करती है और परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु सलाह और उपचारात्मक कार्रवाई सुझाती है।

लेखापरीक्षा सिफारिश सं. (1) तथा (5) पर मंत्रालय के उपरोक्त उत्तरों पर विधिवत विचार किया गया है और उनपर लेखापरीक्षा के मतों के साथ इस प्रतिवेदन के संबंधित पैरा (पैरा 2.1.4 तथा 5.1) में शामिल कर लिया गया है।

वैंकटेश मोहन

नई दिल्ली

(वैंकटेश मोहन)

दिनांक: 30 मई 2019

उप-नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली


(राजीव महणि)

दिनांक: 31 मई 2019

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

अनुलग्नक-1 (पैरा 1.1) एनएमडीसी लिमिटेड की परियोजनाओं का भौगोलिक फैलाव



(स्रोत: वर्ष 2016-17 के लिए एनएमडीसी की वार्षिक रिपोर्ट)

अनुलग्नक-II

(पैरा 2.2.2)

प्रत्येक खनन परियोजना में 2012-13 से 2016-17 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान मार्च के अंत में उपलब्ध विविध एचईएमएम उपस्करों के विवरण

उपस्कर	बचेली					किरन्टुल					डोनीमलाइ					पन्जा				
	मार्च 2013	मार्च 2014	मार्च 2015	मार्च 2016	मार्च 2017	मार्च 2013	मार्च 2014	मार्च 2015	मार्च 2016	मार्च 2017	मार्च 2013	मार्च 2014	मार्च 2015	मार्च 2016	मार्च 2017	मार्च 2013	मार्च 2014	मार्च 2015	मार्च 2016	मार्च 2017
इंपर	20	20	20	23	20	30	24	24	23	21	18	17	17	17	17	7	6	6	6	7
शॉवल	11	11	11	10	10	13	11	10	9	12	8	8	8	8	9	2	3	2	2	2
डॉजर	13	13	13	13	13	11	11	11	11	11	9	9	8	9	8	3	3	2	2	4
ट्रिल	12	12	13	13	13	15	15	14	15	15	8	8	7	7	8	3	3	3	3	3
ग्रेडर	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	2	2	3	3	3	1	1	1	1	0

अनुलग्नक-III
(पैरा 2.2.2(ख))

अन्यों की तुलना में बीईएमएल निर्मित डंपरों का तुलनात्मक प्रदर्शन दर्शाता विवरण

क्रम.सं.	उपस्कर की क्रम सं.	मेक और मॉडल	डंपर की क्षमता (टनों में)	संस्थापन की तिथि	31-08-2017 को संचयी घंटा मीटर रिडिंग (एचएमआर)	खदान जिसमें तैनात	उपयोग के महीनों की संख्या	प्रति माह औसत उपयोग घंटों में	प्रति वर्ष औसत उपयोग घंटों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9=कॉलम.6/ कॉलम.8	10=कॉलम.6*12/ कॉलम.8
बचेली कॉम्प्लेक्स									
1	एचपी-1सी	बीईएमएल 85टी	85	10-मार्च-2013	12248	डिपाजिट 5	53	231	2773
2	एचपी-2बी	बीईएमएल 85टी	85	15-दिसम्बर-2005	19033	डिपाजिट 5	140	136	1631
3	एचपी-3बी	बीईएमएल 85टी	85	3-अक्टूबर-2008	19535	डिपाजिट 5	106	184	2212
4	एचपी-4सी	बीईएमएल 85टी	85	25-मार्च-2016	5730	डिपाजिट 5	17	337	4045
5	एचपी-5सी	बीईएमएल 85टी	85	25-मार्च-2016	5817	डिपाजिट 5	17	342	4106
6	एचपी-6बी	बीईएमएल 85टी	85	3-अक्टूबर-2008	17821	डिपाजिट 5	106	168	2017
7	एचपी-8बी	बीईएमएल	85	3-अक्टूबर-2008	22190	डिपाजिट 5	106	209	2512

क्रम.सं.	उपस्कर की क्रम सं.	मेक और मॉडल	डंपर की क्षमता (टनों में)	संस्थापन की तिथि	31-08-2017 को संचयी घंटा मीटर रिडिंग (एचएमआर)	खदान जिसमें तैनात	उपयोग के महीनों की संख्या	प्रति माह औसत उपयोग घंटों में	प्रति वर्ष औसत उपयोग घंटों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9=कॉलम.6/ कॉलम.8	10=कॉलम.6*12/ कॉलम.8
		85टी							
8	एचपी-9बी	बीईएमएल 85टी	85	25-मार्च-2016	5696	डिपाजिट 5	17	335	4021
9	एचपी-10बी	बीईएमएल 85टी	85	3-अक्टुबर-2008	18945	डिपाजिट 5	106	179	2145
10	एचपी-11बी	बीईएमएल 85टी	85	15-दिसम्बर-2005	27920	डिपाजिट 5	140	199	2393
11	एचपी-12बी	बीईएमएल 85टी	85	19-अगस्त-2004	25584	डिपाजिट 5	156	164	1968
12	एचपी-13बी	बीईएमएल 85टी	85	6-नवम्बर-2009	13074	डिपाजिट 5	93	141	1687
13	एचपी-34	बीईएमएल 85टी	85	1-अप्रैल-2006	21686	डिपाजिट 10/11ए	136	159	1913
14	एचपी-35	बीईएमएल 85टी	85	6-मई-2006	20308	डिपाजिट 10/11ए	135	150	1805
15	एचपी-36	बीईएमएल 85टी	85	18-मार्च-2006	18965	डिपाजिट. 10/11ए	137	138	1661
16	एचपी-37	बीईएमएल	85	11-अप्रैल-2006	18648	डिपाजिट	136	137	1645

क्रम.सं.	उपस्कर की क्रम सं.	मेक और मॉडल	डंपर की क्षमता (टनों में)	संस्थापन की तिथि	31-08-2017 को संचयी घंटा मीटर रिडिंग (एचएमआर)	खदान जिसमें तैनात	उपयोग के महीनों की संख्या	प्रति माह औसत उपयोग घंटों में	प्रति वर्ष औसत उपयोग घंटों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9=कॉलम.6/ कॉलम.8	10= कॉलम.6*12/ कॉलम.8
		85टी				10/11ए			
17	एचपी-38	बीईएमएल 85टी	85	1-अप्रैल-2006	18752	डिपाजिट 10/11ए	136	138	1655
18	एचपी-39	बीईएमएल 85टी	85	18-मार्च-2006	20987	डिपाजिट 10/11ए	137	153	1838
19	एचपी-40	बीईएमएल 85टी	85	1-अप्रैल-2006	19121	डिपाजिट 10/11ए	136	141	1687
20	एचएम-7बी	सीएटी	100	12-जून-2003	38298	डिपाजिट 5	170	225	2703
डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स									
1	एचपी-3ए	बीईएमएल बीएच-85-1	85	14-सितम्बर-2005	22526	डीआईओएम	143	158	1890
2	एचपी-7बी	बीईएमएल बीएच-85-1	85	19-अगस्त-2004	22294	डीआईओएम	156	143	1715
3	एचपी-10	बीईएमएल बीएच-85-1	85	17-जून-2009	12854	केआईओएम	98	131	1574
4	एचपी-11	बीईएमएल बीएच-85-1	85	1-अगस्त-2009	10154	केआईओएम	96	106	1269
5	एचपी-12	बीईएमएल	85	20-दिसम्बर-2005	16691	डीआईओएम	140	119	1431

क्रम.सं.	उपस्कर की क्रम सं.	मेक और मॉडल	डंपर की क्षमता (टनों में)	संस्थापन की तिथि	31-08-2017 को संचयी घंटा मीटर रिडिंग (एचएमआर)	खदान जिसमें तैनात	उपयोग के महीनों की संख्या	प्रति माह औसत उपयोग घंटों में	प्रति वर्ष औसत उपयोग घंटों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9=कॉलम.6/ कॉलम.8	10=कॉलम.6*12/ कॉलम.8
		बीएच-85-1							
6	बीएच-4बी	बीईएमएल बीएच-100एस	100	6-दिसम्बर-2012	14742	डीआईओएम	56	263	3159
7	बीएच-14	बीईएमएल बीएच-100एस	100	8-मार्च-2013	16258	डीआईओएम	53	307	3681
8	बीएच-15	बीईएमएल बीएच-100एस	100	8-मार्च-2013	15279	डीआईओएम	53	288	3459
9	बीएच-16	बीईएमएल बीएच-100एस	100	28-मार्च-2013	16932	डीआईओएम	53	319	3834
10	बीएच-17	बीईएमएल बीएच-100एस	100	20-मार्च-2013	15249	डीआईओएम	53	288	3453
11	बीएच-21बी	बीईएमएल बीएच-100एस	100	18-मार्च-2013	16984	डीआईओएम	53	320	3845
12	एचएम-1ए	सीएटी 777डी	100	21-जनवरी-2006	44888	डीआईओएम	139	323	3875
13	एचएम-2ए	सीएटी 777डी	100	19-जनवरी-2006	47962	डीआईओएम	139	345	4141
14	एचएम-5ए	सीएटी 777डी	100	19-जनवरी-2006	47575	डीआईओएम	139	342	4107
15	एचएम-6ए	सीएटी 777डी	100	12-अप्रैल-2006	45865	डीआईओएम	136	337	4047
16	एचएम-8ए	सीएटी 777डी	100	6-फरवरी-2006	46672	डीआईओएम	138	338	4058

क्रम.सं.	उपस्कर की क्रम सं.	मेक और मॉडल	डंपर की क्षमता (टनों में)	संस्थापन की तिथि	31-08-2017 को संचयी घंटा मीटर रिडिंग (एचएमआर)	खदान जिसमें तैनात	उपयोग के महीनों की संख्या	प्रति माह औसत उपयोग घंटों में	प्रति वर्ष औसत उपयोग घंटों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9=कॉलम.6/ कॉलम.8	10=कॉलम.6*12/ कॉलम.8
17	एचएम-9ए	सीएटी 777डी	100	17-जनवरी-2006	47860	डीआईओएम	139	344	4132
किरन्दुल कॉम्प्लैक्स									
1	एचपी-49ए	बीईएमएल बीएच 50 एम	50	1-मई-2010	5847	डिपाजिट 11बी	87	67	806
2	एचपी-60	बीईएमएल बीएच 85-1	85	10-नवम्बर-2008	8812	डिपाजिट 11बी	105	84	1007
3	एचपी-61	बीईएमएल बीएच 85-1	85	16-अक्टुबर-2008	6278	डिपाजिट 11बी	106	59	711
4	एचपी-62	बीईएमएल बीएच 85-1	85	16-अक्टुबर-2008	9385	डिपाजिट 11बी	106	89	1062
5	एचपी-63	बीईएमएल बीएच 85-1	85	30-नवम्बर-2008	7540	डिपाजिट 11बी	105	72	862
6	एचपी-37ए	बीईएमएल बीएच 50 एम	50	1-मई-2010	4839	डिपाजिट 14	87	56	667
7	एचपी-53ए	बीईएमएल बीएच 50 एम	50	1-मई-2010	4422	डिपाजिट 14	87	51	610
8	एचपी-17बी	बीईएमएल बीएच 60 एम	60	25-मई-2012	6216	डिपाजिट 14	63	99	1184

क्रम.सं.	उपस्कर की क्रम सं.	मेक और मॉडल	डंपर की क्षमता (टनों में)	संस्थापन की तिथि	31-08-2017 को संचयी घंटा मीटर रिडिंग (एचएमआर)	खदान जिसमें तैनात	उपयोग के महीनों की संख्या	प्रति माह औसत उपयोग घंटों में	प्रति वर्ष औसत उपयोग घंटों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9=कॉलम.6/ कॉलम.8	10=कॉलम.6*12/ कॉलम.8
9	एचपी-24बी	बीईएमएल बीएच 60 एम	60	25-मई-2012	5381	डिपाजिट 14	63	85	1025
10	एचपी-66	बीईएमएल बीएच 60 एम	60	18-नवम्बर-2012	7878	डिपाजिट 14	57	138	1659
11	एचपी-67	बीईएमएल बीएच 60 एम	60	18-नवम्बर-2012	7096	डिपाजिट 14	57	124	1494
12	एचपी-68	बीईएमएल बीएच 60 एम	60	18-नवम्बर-2012	8397	डिपाजिट 14	57	147	1768
13	सीपी-54	सीएटी 777डी	100	20-जून-2003	33530	डिपाजिट 11सी	170	197	2367
14	सीपी-55	सीएटी 777डी	100	14-नवम्बर-2005	31178	डिपाजिट 11सी	141	221	2653
15	सीपी-56	सीएटी 777डी	100	14-नवम्बर-2005	29985	डिपाजिट 11सी	141	213	2552
16	सीपी-57	सीएटी 777डी	100	5-जनवरी-2006	32976	डिपाजिट 11सी	139	237	2847
17	सीपी-58	सीएटी 777डी	100	5-जनवरी-2006	32976	डिपाजिट 11सी	139	237	2847
18	सीपी-64	सीएटी 777डी	100	5-अप्रैल-2011	18427	डिपाजिट 11सी	76	242	2910
19	सीपी-65	सीएटी 777डी	100	5-अप्रैल-2011	17788	डिपाजिट 11सी	76	234	2809
20	सीपी-22बी	सीएटी 773डी	60	24-जून-2011	15904	डिपाजिट 14	74	215	2579
21	सीपी-23बी	सीएटी 773डी	60	24-जून-2011	15271	डिपाजिट 14	74	206	2476
22	सीपी-52ए	सीएटी 773डी	60	24-जून-2011	16926	डिपाजिट 14	74	229	2745

अनुलग्नक-IV
(पैरा 2.2.2(ग))

**2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान तीन परियोजनाओं में निर्धारित घंटों, उपलब्ध घंटों और उपयोग किए गए घंटों के संबंध में
 तीन मुख्य एचईएमएम अर्थात् शॉवल, डंपर और ड्रिल की उपलब्धता और उपयोग**

सैक्टर एवं खान		निम्नलिखित के संदर्भ में प्रतिशतता	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बैलाडिला सैक्टर			प्रतिशत में				
किरन्डुल	शॉवल	निर्धारित घंटों पर उपलब्ध घंटे	82.26	84.52	77.56	78.72	72.86
		उपलब्ध घंटों पर उपयोग घंटे	20.21	26.52	32.81	32.89	43.10
	डंपर	निर्धारित घंटों पर उपलब्ध घंटे	87.48	83.62	74.42	73.88	66.01
		उपलब्ध घंटों पर उपयोग घंटे	21.65	25.60	31.55	33.67	43.35
	ड्रिल	निर्धारित घंटों पर उपलब्ध घंटे	83.85	87.41	83.99	75.16	73.01
		उपलब्ध घंटों पर उपयोग घंटे	16.62	15.16	16.47	16.64	20.79
बचेली	शॉवल	निर्धारित घंटों पर उपलब्ध घंटे	81.53	81.30	76.98	76.52	73.07
		उपलब्ध घंटों पर उपयोग घंटे	31.19	36.62	42.04	41.53	47.92
	डंपर	निर्धारित घंटों पर उपलब्ध घंटे	82.36	79.03	72.77	71.29	71.60
		उपलब्ध घंटों पर उपयोग घंटे	35.02	35.96	39.29	43.55	54.22
	ड्रिल	निर्धारित घंटों पर उपलब्ध घंटे	84.67	81.72	82.14	74.75	67.91
		उपलब्ध घंटों पर उपयोग घंटे	21.27	21.73	26.27	24.37	30.77
डोनीमलाई सैक्टर							
	शॉवल	निर्धारित घंटों पर उपलब्ध घंटे	80.34	77.00	76.22	74.10	73.25
		उपलब्ध घंटों पर उपयोग घंटे	49.66	51.38	54.36	51.66	52.11

सैक्टर एवं खान		निम्नलिखित के संदर्भ में प्रतिशतता	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बैलाडिला सैक्टर			प्रतिशत में				
डोनिमलाई	डंपर	निर्धारित घंटों पर उपलब्ध घंटे	73.63	72.91	70.76	68.07	78.77
		उपलब्ध घंटों पर उपयोग किये घंटे	62.15	51.81	49.13	56.87	65.91
	ड्रिल	निर्धारित घंटों पर उपलब्ध घंटे	85.77	72.87	79.14	74.19	58.36
		उपलब्ध घंटों पर उपयोग किये घंटे	27.39	33.99	43.05	36.75	54.12

अनुलग्नक-V

(पैरा 2.3.1)

डिपोजिट 11बी खदान के विकास के संबंध में 2012-17 के दौरान पैकेज-वार हुई प्रगति

पैकेज सं.	पैकेज का विवरण	ठेकेदार का नाम	मूल्य (₹ करोड़ में)	31.03.2012 को समाप्ति का %	वास्तविक समाप्ति	शेष कार्यों को पूरा करने में लगने वाला समय
I	क्रशिंग और स्टेकिंग अनुभाग	टीआरएफ लिमिटेड	115.19	72.12	अगस्त 2015	40 महीने
II	डाउनहिल कन्वेयर सिस्टम	सेंडविक एशिया प्रा. लि.	115.71	77.28	अगस्त 2015	40 महीने
III	अर्थवर्क और कार्यस्थल तैयारी	रत्ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	76.78	97.53	दिसम्बर 2009	--
IV	विद्युत सबस्टेशन और वितरण प्रणाली	सीमेंस लिमिटेड	10.99	91.16	अगस्त 2015	40 महीने
V-ए	जल आपूर्ति	केपी एंटोणी/एपीजे कन्सट्रक्शन	1.76	79.38	अक्टूबर 2011	--
V-बी	सेवा केंद्र भवन	बीसीसी इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड	17.33	29.16	अक्टूबर 2014 के दौरान निरस्त किया गया	शेष कार्य 4 उप-पैकेजों में विभाजित और अभी तक पूरे किये जाने थे (जनवरी 2018)
V-सी	इनडोर विद्युत आपूर्ति	ललिता इंजीनियरिंग प्रा. लि.	2.36	56.12	मई 2016 में निरस्त किया गया	पैकेज V-बी कार्यों का समाप्त होने के बाद किया जाना था।

पैकेज सं.	पैकेज का विवरण	ठेकेदार का नाम	मूल्य (₹ करोड़ में)	31.03.2012 को समाप्ति का %	वास्तविक समाप्ति	शेष कार्यों को पूरा करने में लगने वाला समय
V-डी	इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रॅवलिंग क्रेन	अल्फा सर्विसेज़	1.54	17.54	अप्रैल 2018 तक निलंबित	निर्माण पैकेज V-डी के काम पूरा होने के बाद किया जाना था
VI	दूरसंचार प्रणाली	इंफोनेट एशिया प्रा. लि.	1.78	50.47	*मई 2017 में पीएसी हुआ	अभी तक चालू किया जाना था
VII	अग्नि सुरक्षा प्रणाली	न्यू फायर इंजीनियर्स प्रा. लि.	7.36	70.45	*मई 2017 में पीएसी हुआ	अभी तक चालू किया जाना था

*पीएसी: प्रारम्भिक स्वीकृति प्रमाण-पत्र

अनुलग्नक-VI

(पैरा 2.3.2)

कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना के विकास के संबंध में 2012-17 के दौरान पैकेज-वार हुई प्रगति

पैकेज सं.	पैकेज का विवरण	ठेकेदार का नाम	मूल्य (₹ करोड़ में)	31.03.2012 को चरण समाप्ति	वास्तविक समापन	विलंब का कारण
I	क्रशिंग प्लांट (एलएसटीके)	एफएलस्मिडथ प्राइवेट लिमिटेड, चैन्नई	165.49	प्रमुख ड्रॉइंग और सामग्री को मंजूरी दी गई	मई 2017	उप-ठेकेदारों के साथ समस्याओं और ड्रॉइंग के अनुमोदन व प्रस्तुतीकरण में देरी के कारण।
II	डाउनहिल कन्वेयर सिस्टम (एलएसटीके)	एलीकॉन इंजी. गुजरात	190.86	प्रमुख ड्रॉइंग और सामग्री को मंजूरी दी गई	जुलाई 2017	जनशक्ति और सामग्री जैसे पर्याप्त संसाधन संग्रहण में ठेकेदार की निकृष्ट योजना, ड्राइगिंस के प्रस्तुतीकरण में देरी, आदि. के कारण
III	इलेक्ट्रिकल वर्क्स (एलएसटीके)	शनाइडर इले. इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंगलोर	10.95	ड्रॉइंग अनुमोदित और सामग्री को डिस्पैच मंजूरी दी गई।	मार्च 2017	वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने में देरी और ठेकेदार द्वारा संसाधनों का निकृष्ट संग्रहण
IV	दूरसंचार (एलएसटीके)	इंफोनेट एशिया, चैन्नई	3.14	निविदाकरण अभी शुरू की जानी थी।	---	ठेकेदार द्वारा संसाधनों का निकृष्ट संग्रहण
V ए	जल आपूर्ति पाइपलाइन (मद दर)	डी टेक प्रोजेक्ट्स पी लिमिटेड चैन्नई	4.51	अभी तक ड्रॉइंग को मंजूरी दी जानी थी	दिसम्बर 2015	डाउनहिल कन्वेयर कॉरिडोर को अंतिम रूप देने के लिए कार्य स्थल उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा

पैकेज सं.	पैकेज का विवरण	ठेकेदार का नाम	मूल्य (₹ करोड़ में)	31.03.2012 को चरण समाप्ति	वास्तविक समापन	विलंब का कारण
						पीडब्ल्यूडी रोड के माध्यम से निर्माण समग्री की शिफिटिंग में देरी के कारण भी देरी हुई, जो कि निर्माणाधीन थी।
V बी	सेवा केन्द्र (मद दर) और सहायक भवन	बीसीसी इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	29.59 (संशोधित)	अधिकतर ड्रॉइंग को मंजूरी दे दी गई	सितम्बर 2015	कंपनी द्वारा कार्य आदेश (20,000 क्यूमी. से 65,000 क्यूमी तक वर्धन) जारी करने से पूर्व मात्रा बिल का अनुचित निर्धारण/आकलन
V सी	ईओटी क्रेन की आपूर्ति तथा स्थापन (एलएसटीके)	एएमटी इंटरनेशनल, गोबिन्दगढ़	1.35	कार्य आदेश दिया गया	सितम्बर 2015	उपस्कर आपूर्ति की गई लेकिन पैकेज V बी से फ्रंट तथा पैकेज IV से उर्जा की अनुपलब्धता के कारण स्थापित नहीं किया जा सका।
VI	खान तक पहुंचने हेतु रोड (मद दर)	सूर्योदय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	47.82	कार्य आदेश अभी तक दिया जाना था	---	8.3 किमी में से 5.4 किमी के लिए चरण-I वन मंजूरी दिसम्बर 2017 में प्रदान की गई थी

अनुलग्नक-VII

(पैरा 3.1.2, 3.1.3 तथा 3.1.4)

नगरनार एकीकृत इस्पात संयंत्र (एनआईएसपी) के लिए पैकेज देने हेतु लिए गए समय को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	पैकेज का नाम	निविदा की तिथि	ठेके का मूल्य (₹ करोड़ में)	एलएसी की तिथि (ठेका देने का पत्र)	निविदा जारी करने से निविदाकरण हेतु लिया गया समय (माह)	विलम्ब हेतु कारण
मुख्य पैकेज - पीआईपी (परियोजना क्रियान्वयन योजना) के अनुसार प्रत्येक पैकेज के लिए सीमित निविदा पूछताछ (एलटीई) से एलएसी देने के लिए 19 माह की अवधि						
1	आरएमएचएस- (पैकेज-1)	07.07.10	1395.00	01.08.11	13	निविदा नोटिस 07.07.10 को जारी किया गया। तकनीकी वाणिज्यिक चर्चा दिसम्बर 2010 तथा जनवरी 2011 के बीच की गई। मेकॉन ने 24.05.11 को लागत आकलन प्रस्तुत किया। बोली मूल्य 02.06.11 को प्राप्त किये गए। निविदा संवीक्षा समिति (टीएससी) ने 07.06.11 व 08.06.11 को बैठक की।
2	कोक अवन- (पैकेज-2)	21.05.10	1978.36	24.08.11	15	निविदा जांच मई 2010 को जारी की गई। बोली कीमत को जून 2011 को खोला गया।
3	उप-उत्पाद- (पैकेज-3)	01.07.10	509.00	15.12.11	17	ज़ीईओआई को मार्च 2009 में जारी किया गया। पैकेज में कुछ सुविधाओं को जोड़ने/हटाने की वजह से लागत आकलन में संशोधन हुआ था जिसके कारण बोली को समय समय पर बढ़ाया गया। अन्ततः, एलएसी को 15.12.11 को जारी किया गया, अर्थात् निविदा

क्र. सं.	पैकेज का नाम	निविदा की तिथि	ठेके का मूल्य (₹ करोड़ में)	एलएसी की तिथि (ठेका देने का पत्र)	निविदा जारी करने से निविदाकरण हेतु लिया गया समय (माह)	विलम्ब हेतु कारण
						जारी करने से 17 माह व ज़ीईओआई जारी करने से 32 माह के पश्चात्।
4	सिन्टर प्लांट - पीके-(पैकेज-4)	13.04.10	764.79	24.01.11	10	रुचि-प्रकटन मार्च 2009 में जारी किया गया। एलटीई को 13.04.10 को जारी किया गया। एलओए को 24.01.11 को जारी किया गया।
5	ब्लास्ट फर्नेस- (पैकेज-5)	22.04.10	1813.93	30.04.11	12	एलटीई को अप्रैल 2010 में जारी किया गया। एलओए को अप्रैल 2011 में जारी किया गया।
6	एसएमएस-पीके- (पैकेज-6)	20.05.10	2054.00	25.04.12	23	ज़ीईओआई को दिसम्बर 2009 में जारी किया गया। योग्यता पूर्ण करने पर आठ बोलीदाताओं में से दो के लिए 20.05.10 को एलटीई जारी किया गया। चूंकि मेकॉन ने लागत आकलन प्रस्तुत नहीं किया था अतः बोर्ड द्वारा स्वीकृत मेकॉन की मूल्य मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 06.01.12 को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया तथा निविदा जारी करने से 23 माह व ज़ीईओआई जारी करने से 40 माह के सम्पूर्ण विलम्ब के साथ अप्रैल 2012 में एलएसी जारी किया गया।
7	थिन स्लैब कास्टर एंड एचएसएम-	08.04.10	2633.00	04.05.12	25	लिमिटेड टेंडर (एलटी) को प्रस्तुति तिथि 23.09.2010 के साथ 08.04.2010 को जारी किया गया। बोलियों को मानक बोली

क्र. सं.	पैकेज का नाम	निविदा की तिथि	ठेके का मूल्य (₹ करोड़ में)	एलएसी की तिथि (ठेका देने का पत्र)	निविदा जारी करने से निविदाकरण हेतु लिया गया समय (माह)	विलम्ब हेतु कारण
	(पैकेज-7)					दस्तावेज़ (एसबीडी) में परिवर्तनों के कारण दिसम्बर 2011 में मूल्यांकित किया गया। एलओए को मई 2012 में जारी किया गया।
8	लाइम एंड डोलोमाइट कलसिनेशन प्लांट-(पैकेज-8)	05.07.11	148.45	23.11.12	16	निविदाएं 05.07.11 को जारी की गई। तकनीकी-वाणिज्यिक चर्चा नवम्बर/दिसम्बर 2011 के बीच की गई। संशोधित मूल्य बोली 17.02.12 को खोली गई। एनएमडीसी टीम ने जुलाई 2012 में बोलीदाताओं में एक के प्रमाणपत्र का सत्यापन करने के लिए चीन का दौरा किया तथा बोर्ड की स्वीकृति के पश्चात् ठेका दिया गया।
9	ऑक्सीजन प्लांट-(पैकेज-9)	10.08.11	582.00	16.04.12	9	ईओआई को जुलाई 2009 में जारी किया गया। विलम्ब इस विचार-विमर्श की वजह से था कि संयंत्र को बीओओ/बीओएम आधार पर बनाया जाए या संस्थापन हेतु बनाया जाए। वैशिक निविदा 10.08.2011 को जारी की गई। लागत आकलनों को 08.04.11 को तैयार किया गया। तकनीकी विनिर्देशों में परिवर्तन के आधार पर, संशोधित मूल्य बोली 27.01.12 को खोली गई तथा एलएसी 16.04.12 को जारी किया गया। इस प्रकार, इसमें ईओआई जारी करने से सम्पूर्ण रूप से 37 माह का विलम्ब था।

क्र. सं.	पैकेज का नाम	निविदा की तिथि	ठेके का मूल्य (₹ करोड़ में)	एलएसी की तिथि (ठेका देने का पत्र)	निविदा जारी करने से निविदाकरण हेतु लिया गया समय (माह)	विलम्ब हेतु कारण
सहायक पैकेज - पीआईपी के अनुसार प्रत्येक पैकेज के लिए एलटीई से एलएसी के देने हेतु 17 माह की अवधि						
1	पावर ब्लोइंग स्टेशन (पैकेज-10)	11.06.11	502.76	23.11.12	17	निविदा को 11.06.11 को जारी किया गया। कार्य 23.11.12 को दिया गया। कोई विलम्ब नहीं था।
2	मेन रिसीविंग स्टेशन (पैकेज-42)	16.06.11	140.45	21.04.14	34	मार्च 2011 में लागत आकलनों की प्रस्तुति के पश्चात् जून 2011 में एनआईटी जारी किया गया। तकनीकी बोली जुलाई 2011 में प्राप्त की गई। तथापि टीएससी ने पीक्यू मानदण्ड में संशोधन, बोलीदाताओं के साथ चर्चा तथा मेकाँन द्वारा लिए गए मूल्यांकन समय के कारण मई 2012 में प्रस्ताव का पुनरीक्षण किया। बोर्ड की स्वीकृति के पश्चात् कार्य आदेश को अप्रैल 2014 में जारी किया गया (बोर्ड द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के कारण विलम्ब)।
3	टर्बो ब्लोअर्स (पैकेज- 10ए)	11.06.11	226.37	03.05.14	35	निविदा अधिसूचना 11.06.11 को जारी की गई। मानक बोली दस्तावेज 03.08.11 से 25.06.13 के बीच कई बार संशोधित किया गया। मूल्य बोली 03.07.13 को खोली गई। टीएससी 21.09.13 को आयोजित की गई। बोर्ड स्वीकृति 14.03.14 को मांगी गई।

क्र. सं.	पैकेज का नाम	निविदा की तिथि	ठेके का मूल्य (₹ करोड़ में)	एलएसी की तिथि (ठेका देने का पत्र)	निविदा जारी करने से निविदाकरण हेतु लिया गया समय (माह)	विलम्ब हेतु कारण
4	आईपीपीएल- (पैकेज-20)	10.01.12	141.10	01.08.14	31	निविदा को 10.01.12 को जारी किया गया। निविदा को 12.03.12 को खोला गया। बोलीदाताओं द्वारा किए गए विचलनों के कारण निविदा मूल्यांकन रिपोर्ट (टीएआर) को संशोधित किया गया। संशोधित टीएआर को 24.07.12 को जारी किया गया। टीएससी की बैठक पुनः 09.08.2012 व 10.08.2012 (मूल रूप से 26.06.12 व 27.06.12) को हुई। अंतिम रूप देने के लिए 4 में से 3 प्रस्तावों का चयन किया गया। मेकॉन ने तकनीकी विनिर्देशों को स्वीकृत करने के लिए परिवर्तन प्रस्तावित किए। मेकॉन से मूल्य निहितार्थ की प्राप्ति में विलम्ब की वजह से, पात्र बोलियों का बोली मूल्य 12.03.2013 को प्राप्त किया गया। टीएससी की बैठक अंतिम रूप में 02.05.2013 को हुई तथा एल 1 बोलीदाता का चयन किया गया। एल 1 बोलीदाता के साथ मूल्य कटौती चर्चा तथा +/-5% से अधिक ठेकागत मात्रा में परिवर्तनों पर स्पष्टीकरण में विलम्ब के कारण, एल 1 बोलीदाता को एलओए जारी करने (01.08.2014) में असामान्य रूप से विलम्ब हुआ।

क्र. सं.	पैकेज का नाम	निविदा की तिथि	ठेके का मूल्य (₹ करोड़ में)	एलएसी की तिथि (ठेका देने का पत्र)	निविदा जारी करने से निविदाकरण हेतु लिया गया समय (माह)	विलम्ब हेतु कारण
5	पीपीडीएस-(पैकेज-32)	08.05.12	358.62	10.09.14	28	मई 2012 में निविदा जांच जारी होने के पश्चात तकनीकी आशोधन में परिवर्तन की वजह से, टीएआर प्रस्तावों का तकनीकी मूल्यांकन 01.06.2013 को जारी किया गया। टीएससी की जुलाई 2014 की सिफारिशों के अनुसार, सितम्बर 2014 में एल 1 (भेल) को एलओए जारी किया गया।
6	संयंत्र के अन्दर जल पैकेज (पैकेज-17-01)	22.06.11	356.85	22.12.14	42	निविदा 22.06.11 को आमंत्रित तथा 05.09.11 को खोली गई। मेकॉन ने 26.04.12 को संशोधित निविदा मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की। निदेशक (वित्त) का मत था कि परिकल्पित पीक्यू मानदण्ड अपेक्षित वित्तीय तथा तकनीकी क्षमता के अनुरूप नहीं था। इसे 02.01.2013 को उप-समिति को भेजा जो निदेशक (वित्त) के मत के साथ सहमत नहीं थी। पैकेज को 17(1) तथा 17(2) में बांटा गया। पुनः निविदाकरण का परामर्श दिया गया। वैशिक निविदा 18.10.13 को जारी की गई। पूर्व-बोली बैठक 01.11.13 को हुई। टीएआर 28.02.14 को प्रस्तुत किया गया। कार्य दल की बैठक 28.02.14 को हुई। पांच बोलियां प्राप्त की गई। 17(1) पर शिकायतें
7	संयंत्र के बाहर जल पैकेज (पैकेज-17-02)	22.06.11	314.58	22.12.14	42	

क्र. सं.	पैकेज का नाम	निविदा की तिथि	ठेके का मूल्य (₹ करोड़ में)	एलएसी की तिथि (ठेका देने का पत्र)	निविदा जारी करने से निविदाकरण हेतु लिया गया समय (माह)	विलम्ब हेतु कारण
						प्राप्त की गई। कम्पनी द्वारा गठित समिति ने 26.09.14 को चीन का दौरा किया। ठेका दिसम्बर 2014 को दिया गया।
8	कम्प्रैस्ड एयर सिस्टम (पैकेज-11)	01.09.12	56.51	23.01.15	29	लागत आकलन 27.04.2012 को बनाया गया। एलटीई को सितम्बर 2012 में जारी किया गया। टीएससी को 20.05.2014 को आयोजित किया गया। जनवरी 2015 में एलओए जारी किया गया।
9	केन्द्रीय अग्नि स्टेशन, फायर पोस्ट एवं टेलीफोन एक्स्चैंज बिल्डिंग (पैकेज-26)	08.09.14	15.35	27.10.15	13	--
10	डीजल जनरेटर (पैकेज-12)	08.12.15 (आरटी)	37.18	27.09.16	28	मई 2014 में, वैश्विक निविदा जारी की गई। केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इसलिए दिसम्बर 15 में पुनः निविदा की गई। निविदा 12.01.16 को खोली गई तथा ठेका 27.09.16 को दिया गया।

क्र. सं.	पैकेज का नाम	निविदा की तिथि	ठेके का मूल्य (₹ करोड़ में)	एलएसी की तिथि (ठेका देने का पत्र)	निविदा जारी करने से निविदाकरण हेतु लिया गया समय (माह)	विलम्ब हेतु कारण
11	केंद्रीय प्रयोगशाला भवन (पैकेज 16)	04.02.16	17.61	19.01.17	25	दिसम्बर 2014 में खुली निविदा जांच के प्रत्युत्तर में दो प्रस्ताव प्राप्त हुए जो तकनीकी रूप से अयोग्य थे। संशोधित तकनीकी विनिर्देशों के साथ पुनः निविदाएं जारी (फरवरी 2016) की गई थी। प्रतिक्रिया में अप्रैल 2016 तक छह प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और सितम्बर 2016 में टीएससी ने सभी छह बोलियों को अर्हता प्रदान की। दिसम्बर 2016 में बोली राशि का मूल्यांकन करने के बाद जनवरी 2017 में कार्य आदेश दिए गए। इस प्रकार, कार्य आदेश देने के लिए कुल 25 महीने का समय लिए गया था।
12	केंद्रीय कार्यशाला के लिए भवन पैकेज-28ए	06.04.15	92.89	10.06.16	43	मेकॉन ने नवम्बर 2012 में विस्तृत लागत अनुमान तैयार किए जो तकनीकी विनिर्देशों में परिवर्तन के कारण जुलाई 2014 में संशोधित एवं अनुमोदित किए गए थे। मार्च 2015 में बोर्ड द्वारा अनुमानित लागत के अनुमोदन के बाद अप्रैल 2015 में एनआईटी जारी किया गया। अक्टूबर/दिसम्बर 2015 में टीएससी द्वारा मूल्यांकित 4 बोलियां प्राप्त हुई थी और तीन फर्म अर्हक थी। जनवरी 2016 में बोलियों की कीमत खोली गई और उद्वरणों की तुलना अद्यतन अनुमानित मूल्य से की गई थी और एल1 बोलीकर्ता में मूल्य 9.2%

क्र. सं.	पैकेज का नाम	निविदा की तिथि	ठेके का मूल्य (₹ करोड़ में)	एलएसी की तिथि (ठेका देने का पत्र)	निविदा जारी करने से निविदाकरण हेतु लिया गया समय (माह)	विलम्ब हेतु कारण
						तक उच्च पाए गए थे। एल1 बोलीकर्ता के साथ बातचीत के बाद, बोर्ड के अनुमोदन के साथ जून 2016 में कार्य आदेश जारी किया गया। इस प्रकार, कुल 43 महीने का समय लिया गया था।
13	प्लांट इलुमीनेशन पैकेज-33	19.01.16	19.20	11.01.17	12	दिसम्बर 2014 में जारी मूल निविदा रद्द की गई क्योंकि केवल एक बोली तकनीकी रूप से अर्हक थी। जनवरी 2016 में पुनः निविदा जारी की गई एवं जनवरी 2017 में एलओए जारी किया गया।
अवसंरचना पैकेज						
1	स्टूडियो अपार्टमेंट-2	15.12.10	28.36	22.06.11	6	सितम्बर 2010 में प्रस्ताव की शुरूआत के बाद दिसम्बर 2010 में एनआईटी जारी किया गया। टीएससी ने मार्च 2011 में सभी 3 बोलियों की अर्हता प्रदान की और एल1 बोलीदाता की मूल्य बोली का मूल्यांकन अप्रैल 2011 में किया गया और जून 2011 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था।
2	स्टॉर्म वाटर ड्रेन सीवरेज प्लांट - (पैकेज-43ए)	25.03.14	124.92	08.03.16	46	मेकॉन ने मई 2012 में विस्तृत लागत अनुमान प्रस्तुत किए जो अगस्त 2012 में कम्पनी द्वारा अनुमोदित किए गए थे। हालांकि, पीक्यू मानदंड को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण मार्च 2014

क्र. सं.	पैकेज का नाम	निविदा की तिथि	ठेके का मूल्य (₹ करोड़ में)	एलएसी की तिथि (ठेका देने का पत्र)	निविदा जारी करने से निविदाकरण हेतु लिया गया समय (माह)	विलम्ब हेतु कारण
						मैं एनआईटी जारी किया गया था। जून 2014 में प्राप्त तीन बोलियों को टीएससी द्वारा नवम्बर 2014 में तकनीकी रूप से अयोग्य पाया गया। अप्रैल 2015 में पुनः निविदाएं जारी की गई। प्राप्त हुई दो बोलियों का मूल्यांकन किया गया था और एल1 बोलीदाता को फरवरी 2016 में बोर्ड के अनुमोदन से चुना गया था। मार्च 2016 में कार्य आदेश जारी किया गया। इस प्रकार कुल 46 महीने का समय लिया गया था।
3	स्टील लोडिंग फ्लैट फार्म (पैकेज-53)	24.06.16 (आरटी)	9.78	10.04.17	10	कोई विलम्ब नहीं।
4	लोकोमोटिव की खरीद (पैकेज-48)	10.11.11 (ओटी) 30.07.16(आरटी)	104.91	28.12.16	5	मूल रूप से पट्टे के आधार पर प्रस्तावित किया गया और आरआईटीईएस एवं डीएलडब्ल्यू वाराणसी से पूछताछ की गई और आखिरकार जुलाई 2016 में एलटीई जारी किया गया और दिसम्बर 2016 में एलओए जारी किया गया था।
5	केंद्रीय स्टोर भवन (पैकेज-52)	06.05.14	27.26	02.06.16	25	मेकॉन ने सितम्बर 2011 में लागत अनुमानों को प्रस्तुत किया जो अगस्त 2012 में संशोधित किए गए थे। कंपनी ने मार्च 2013 में

क्र. सं.	पैकेज का नाम	निविदा की तिथि	ठेके का मूल्य (₹ करोड़ में)	एलएसी की तिथि (ठेका देने का पत्र)	निविदा जारी करने से निविदाकरण हेतु लिया गया समय (माह)	विलम्ब हेतु कारण
						लागत अनुमानों को स्वीकार किया। हालांकि, मई 2014 में एनआईटी जारी किया गया। अगस्त 2014 में 3 फर्मों की बोलियां खोली गईं और दिसम्बर 2014 में एक फर्म ने टीएससी अर्हता प्राप्त की। हालांकि, अक्टूबर 2015 में पैकेज और एनआईटी की पुनः निविदा जारी करने का निर्णय किया गया था। तकनीकी एवं बोली की कीमत का मूल्यांकन करने के बाद, जून 2016 में कार्य आदेश जारी किया गया था। इस प्रकार, पैकेज देने में 25 महीने का समय लिया था।
सक्षम बनाने वाले पैकेज						
1	निर्माण जल	26.03.10	31.16	06.12.10	8	कोई मुद्दा नहीं
2	साइट समतलीकरण चरण-I	05.06.10	23.66	31.12.10	6	कोई मुद्दा नहीं
3	निर्माण शक्ति	17.04.10	39.58	17.01.11	9	कोई मुद्दा नहीं
4	संयंत्र रोड नेटवर्क एवं अस्थाई ड्रेनेज चरण-I	25.06.10	26.35	18.05.11	10	कोई मुद्दा नहीं

क्र. सं.	पैकेज का नाम	निविदा की तिथि	ठेके का मूल्य (₹ करोड़ में)	एलएसी की तिथि (ठेका देने का पत्र)	निविदा जारी करने से निविदाकरण हेतु लिया गया समय (माह)	विलम्ब हेतु कारण
5	बाउंड्री वाल एवं वाच टावर	26.02.11	22.83	02.11.11	9	कोई मुद्दा नहीं
6	साइट समतलीकरण चरण-II	17.12.11	15.80	14.08.15	44	दिसम्बर 2011 में एनआईटी जारी करने के बाद, कम्पनी/परामर्शदाता ने एक वर्ष लिया अर्थात् दिसम्बर 2012 तक एल1 बोलीदाता को अंतिम रूप दिया। हालांकि, कंपनी द्वारा साइट से संबंधी अपेक्षा को अंतिम रूप नहीं दिया गया। अतः अपेक्षाओं को अंतिम रूप देने के बाद अगस्त 2014 में पुनः निविदा जारी किया गया क्योंकि चयनित एल1 बोलीदाता अपनी बोली कीमत की वैधता बढ़ाने का इच्छुक नहीं था। सितम्बर 2014 तक प्राप्त 8 बोलियों में से तीन बोलियों को दिसम्बर 2014 में अंतिम सूची में शामिल किया गया था। यद्यपि, जनवरी 2015 में बोलियों की कीमत का मूल्यांकन किया गया था, अगस्त 2015 में कार्य आदेश जारी किया गया क्योंकि चरण-I के बाकी कार्यों को इस कार्य आदेश में शामिल करने के लिए प्रस्ताव किया गया था। इस प्रकार, कंपनी/परामर्शदाता की साइट अपेक्षाओं को अंतिम रूप देने में असफलता के परिणामतः कार्य आदेश को अंतिम रूप देने में 44 महीने की देरी हुई।

क्र. सं.	पैकेज का नाम	निविदा की तिथि	ठेके का मूल्य (₹ करोड़ में)	एलएसी की तिथि (ठेका देने का पत्र)	निविदा जारी करने से निविदाकरण हेतु लिया गया समय (माह)	विलम्ब हेतु कारण
7	प्लांट रोड नेटवर्क फेज-II	07.01.15	40.43	17.02.16	13	कोई मुद्दा नहीं
8	रेलवे तटबंध के लिए रीटेनिंग दीवार	09.12.15	31.45	29.08.16	21	मेकॉन ने नवम्बर 2014 में प्रारम्भिक लागत अनुमान प्रस्तुत किए, लेकिन विनिर्देशों एवं अनुमानित कीमत के संशोधन के कारण दिसम्बर 2015 में खुली निविदा जांच जारी की गई थी। अप्रैल 2016 में निविदा संवीक्षा समिति के अनुसार चार बोलियों में से (जनवरी 2016 में प्राप्त) दो बोलियां अर्हक थी। जुलाई 2016 में बोलियों की कीमत का मूल्यांकन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अगस्त 2016 में कार्य आदेश जारी किए गए थे। प्रदृष्ट कार्य आदेश अनुमान से 0.55% कम था। इस प्रकार, इस पैकेज को देने के लिए 21 महीने का समय लिया गया था।
रेलवे पैकेज						
1	रेलवे साइडिंग पैकेज-I	26.03.14	283.32	21.09.15	18	पांच बोलीदाताओं में से एक हैदराबाद उच्च न्यायलय चला गया। मामले के निपटान के बाद, एल1 को कार्य आदेश दिया गया था। इसलिए, 18 महीने का समय लिया गया था।

क्र. सं.	पैकेज का नाम	निविदा की तिथि	ठेके का मूल्य (₹ करोड़ में)	एलएसी की तिथि (ठेका देने का पत्र)	निविदा जारी करने से निविदाकरण हेतु लिया गया समय (माह)	विलम्ब हेतु कारण
2	रेलवे साइडिंग पैकेज-II	29.12.14	78.92	01.03.16	14	मई 2015 में आयोजित टीएससी ने तकनीकी रूप से इरकँन को अहंक माना। जुलाई 2015 में बोली राशि खोली गई और देखा गया कि एल 1 की राशि अनुमान से 24% उच्च थी, बोलीदाता के साथ बातचीत की गई और राशि में कटौती की गई, जिसमें समय लगा।
3	रेलवे साइडिंग पैकेज-IV	15.04.15	84.15	19.04.16	12	जून 2015 के दौरान बोलियों की समीक्षा की गई और एकमात्र बोलीदाता को अहता प्राप्त हुई। मूल्य बोली को खोलने के बाद, आकलन मूल्य की तुलना में उद्धृत मूल्य बहुत अधिक था। हालांकि बोलीदाता को साथ वार्ता और निदेशकों की समिति के अनुमोदन के बाद कार्य आदेश दिया गया जिसमें समय लगा।

(ओटी- मूल निविदा; आरटी -संशोधित निविदा; एलटी - सीमित निविदा)

अनुलग्नक-VIII

(पैरा 3.1.6.1, 3.1.6.2, 3.1.6.4 और 3.1.6.5)

एनआईएसपी के लिए पैकेजों के निष्पादन हेतु लिया गया समय दर्शाते ब्यौरे

क्रम सं.	पैकेज का नाम	ठेके का मूल्य (₹ करोड़ में)	एलएसी तिथि	प्रभावी तिथि	निर्धारित पूर्णता तिथि	पूर्ण/तक बढ़ाया गया	कार्य की प्रगति और देरी के कारण
मुख्य पैकेज							
1	आरएमएचएस (पैकेज-1)	1395.00	01.08.11	30.08.11	28.02.14	31.07.18	दिसम्बर 2017 तक समग्र प्रगति 88 प्रतिशत की थी। श्रम बल की कम तैनाती के कारण ढाँचे के धीमे निर्माण के साथ-साथ फैब्रिकेशन हेतु संरचनाओं की अनुक्रमिक आपूर्ति, देरी के कारण थे।
2	कोक ओवन(पैकेज-2)	1978.36	24.08.11	06.09.11	05.06.14	30.06.18	दिसम्बर 2017 तक समग्र प्रगति 88.43 प्रतिशत थी। अपर्याप्त श्रमबल और सामग्री देरी के मुख्य कारण थे।
3	उप-उत्पाद(पैकेज-3)	509.00	15.12.11	10.01.12	09.07.14	31.12.17	दिसम्बर 2017 तक समग्र प्रगति 91 प्रतिशत थी। अपर्याप्त श्रम बल और सामग्री और कार्य की धीमी प्रगति देरी के कारण थे।
4	सिन्टर प्लांट- पीके- (पैकेज-4)	764.79	24.01.11	22.02.11	21.11.13	21.12.17	दिसम्बर 2017 तक समग्र प्रगति 94.92 प्रतिशत थी। कार्य की धीमी प्रगति देरी का कारण थी।
5	ब्लास्ट फर्नेस (पैकेज -5)	1813.93	30.04.11	29.05.11	28.02.14	15.03.18	दिसम्बर 2017 तक समग्र प्रगति 86 प्रतिशत थी। अपर्याप्त श्रम बल और सामग्री और कार्य की धीमी प्रगति देरी के कारण थे।

क्रम सं.	पैकेज का नाम	ठेके का मूल्य (₹ करोड़ में)	एलएसी तिथि	प्रभावी तिथि	निर्धारित पूर्णता तिथि	पूर्ण/तक बढ़ाया गया	कार्य की प्रगति और देरी के कारण
6	एसएमएस-पीके-(पैकेज-6)	2054.00	25.04.12	23.05.12	22.04.15	31.12.17	दिसम्बर 2017 तक समग्र प्रगति 85 प्रतिशत थी। सामग्री की गैर-क्रमबद्ध आपूर्ति के साथ-साथ श्रम बल की कम तैनाती के कारण कार्य की धीमी प्रगति देरी के कारण थी।
7	थिन स्लैब कास्टर एण्ड एचएसएम-(पैकेज-7)	2633.00	04.05.12	03.06.12	02.05.15	31.12.17	दिसम्बर 2017 तक समग्र प्रगति 90 प्रतिशत थी। श्रमबल की कम तैनाती के कारण कार्य की धीमी प्रगति देरी का कारण था।
8	लाइम एण्ड डोलोमाइट कैलसिनेशन प्लांट-(पैकेज -8)	148.45	23.11.12	22.12.12	21.12.14	31.12.18	दिसम्बर 2017 तक समग्र प्रगति 44.91 प्रतिशत थी। सिविल और संरचनात्मक आरेखण, अपर्याप्त श्रम बल और सामग्री की अनुपलब्धता और सिविल कार्यों हेतु उप-ठेकेदार को नहीं लगाना देरी के कारण थे।
9	ऑक्सीजन प्लांट-(पैकेज-9)	582.00	16.04.12	15.05.12	14.11.14	31.12.17	दिसम्बर 2017 तक समग्र प्रगति 97.80 प्रतिशत थी। समाप्ति के कार्य लम्बित थे।
सहायक पैकेज							
1	पावर ब्लोइंग स्टेशन (पैकेज-10)	502.76	23.11.12	22.12.12	21.12.14	31.03.18	दिसम्बर 2017 तक समग्र प्रगति 76 प्रतिशत थी। श्रम बल की कम तैनाती के कारण कार्य की धीमी प्रगति देरी का कारण थी।

क्रम सं.	पैकेज का नाम	ठेके का मूल्य (₹ करोड़ में)	एलएसी तिथि	प्रभावी तिथि	निर्धारित पूर्णता तिथि	पूर्ण/तक बढ़ाया गया	कार्य की प्रगति और देरी के कारण
2	मेन रिसीविंग स्टेशन (पैकेज-42)	140.45	21.04.14	20.05.14	19.05.16	31.05.17	दिसम्बर 2017 तक समग्र प्रगति 93 प्रतिशत थी। अपर्याप्त श्रम बल की तैनाती के कारण कार्य की धीमी प्रगति के कारण देरी हुई।
3	टर्बो ब्लोअर (पैकेज -10ए)	226.37	03.05.14	01.06.14	31.08.16	31.12.17	दिसम्बर 2017 तक समग्र प्रगति 85 प्रतिशत थी। श्रम बल की कम तैनाती के कारण कार्य की धीमी प्रगति देरी का कारण थी।
4	आईपीपीएल- (पैकेज-20)	141.10	01.08.14	31.08.14	30.08.16	31.12.17	दिसम्बर 2017 तक समग्र प्रगति 94.60 प्रतिशत थी। श्रम बल की कम तैनाती के कारण कार्य की धीमी प्रगति देरी का कारण थी।
5	पीपीडीएस-(पैकेज-32)	358.62	10.09.14	10.10.14	09.10.16	09.04.18	दिसम्बर 2017 तक समग्र प्रगति 95 प्रतिशत थी। पर्याप्त विनिर्माण सामग्री, मशीनरी और श्रम बल की अनुपलब्धता के कारण देरी हुई।
6	वाटर पैकेज इनसाइड प्लांट (पैकेज-17-01)	356.85	22.12.14	20.01.15	19.01.17	31.03.18	दिसम्बर 2017 तक सम्पूर्ण प्रगति 98.50 प्रतिशत थी। कम श्रमबल तैनाती के कारण कार्य की धीमी प्रगति विलंब का कारण थी।
7	वाटर पैकेज आउटसाइड प्लांट (पैकेज -17-02)	314.58	22.12.14	20.01.15	19.01.17	19.12.17	दिसम्बर 2017 तक सम्पूर्ण प्रगति 67.69 प्रतिशत थी। कम श्रमबल तैनाती के कारण कार्य की धीमी प्रगति विलंब का कारण थी।

क्रम सं.	पैकेज का नाम	ठेके का मूल्य (₹ करोड़ में)	एलएसी तिथि	प्रभावी तिथि	निर्धारित पूर्णता तिथि	पूर्ण/तक बढ़ाया गया	कार्य की प्रगति और देरी के कारण
8	कंप्रैस्ट एयर सिस्टम (पैकेज-11)	56.51	23.01.15	21.02.15	20.02.17	20.02.18	दिसम्बर 2017 तक सम्पूर्ण प्रगति 92 प्रतिशत थी। कम श्रमबल तैनाती और कंक्रीट की अनियमित आपूर्ति के कारण कार्य की धीमी प्रगति विलंब का कारण थी।
9	सेंट्रल फायर स्टेशन, फायर पोस्ट एंड टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग (पैकेज-26)	15.35	27.10.15	26.11.15	25.11.16	31.03.18	दिसम्बर 2017 तक सम्पूर्ण प्रगति 83 प्रतिशत थी। कम श्रमबल तैनाती और मशीनरी आपूर्ति के कारण कार्य की धीमी प्रगति विलंब का कारण थी।
10	डीजल जेनरेटर (पैकेज-12)	37.18	27.09.16	27.10.16	26.02.18	26.02.18	दिसम्बर 2017 तक सम्पूर्ण प्रगति 41.62 प्रतिशत थी।
11	सेंट्रल लेबोरेट्री बिल्डिंग(पैकेज-16)	17.61	19.01.17	19.01.17	18.07.18	18.07.18	बेसिक इंजिनियरिंग और विस्तृत इंजीनियरिंग क्रमशः 66.67 प्रतिशत और 9.80 प्रतिशत तक पूरी की गई थी।
12	बिल्डिंग फॉर सेंट्रल वर्कशॉप (पैकेज-28ए)	92.89	10.06.16	09.07.16	08.04.18	08.04.18	निकासी कार्य पूरा किया गया और आरसीसी कार्य और संरचना आपूर्ति प्रगति पर था।
13	प्लांट इलुमीनेशन (पैकेज 33)	19.20	11.01.17	10.02.17	09.02.18	09.02.18	ठेकेदार द्वारा साईट संग्रहण प्रगति पर था।

क्रम सं.	पैकेज का नाम	ठेके का मूल्य (₹ करोड़ में)	एलएसी तिथि	प्रभावी तिथि	निर्धारित पूर्णता तिथि	पूर्ण/तक बढ़ाया गया	कार्य की प्रगति और देरी के कारण
अवसंरचना पैकेज							
1	स्टूडियों अपार्टमेंट (पैकेज -2)	28.36	22.06.11	22.06.11	21.06.12	22.11.15	कार्य पूरा नहीं किया गया। मामला निर्णयाधीन था।
2	स्टॉर्म वॉटर ड्रेन सिवरेज प्लांट (पैकेज 43ए)	124.92	08.03.16	08.04.16	07.07.17	30.06.18	दिसम्बर 2017 तक सम्पूर्ण प्रगति 52.40 प्रतिशत थी। कम श्रमबल तैनाती और फ्रंट कार्य स्थल की उपलब्धता के कारण कार्य की धीमी प्रगति विलंब का कारण थी।
3	स्टील लोडिंग प्लैटफॉर्म (पैकेज 53)	9.78		10.04.17	09.04.18	09.04.18	आरसीसी कार्य प्रगति पर था।
4	लोकोमोटिव की खरीद (पैकेज - 48)	104.91	28.12.16	28.12.16	27.09.18	---	खरीद प्रक्रियाधीन थी।
5	सेंट्रल स्टोर बिल्डिंग (पैकेज- 52)	27.26	02.06.16	02.07.16	01.11.17	---	संरचना आपूर्ति प्रक्रियाधीन थी।

क्रम सं.	पैकेज का नाम	ठेके का मूल्य (₹ करोड़ में)	एलएसी तिथि	प्रभावी तिथि	निर्धारित पूर्णता तिथि	पूर्ण/तक बढ़ाया गया	कार्य की प्रगति और देरी के कारण
सक्षम बनाने वाले पैकेज							
1	निर्माण जल	31.16	06.12.10	06.12.10	05.12.11	30.06.16	जून 2016 में ठेका निरस्त किया गया। बैलेंस पाईप लाइन की हाईड्रो टैस्टिंग लंबित थी।
2	साईट लेवलिंग चरण-1	23.66	31.12.10	31.12.10	30.12.11	30.04.13	कार्य पूरा किया गया।
3	निर्माण ऊर्जा	39.58	17.01.11	17.01.11	17.10.11	30.03.15	30 मार्च 2016 को निष्पादन गारंटी टैस्ट किया गया।
4	प्लांट रोड नेटवर्क और अस्थायी ड्रेनेज फेज-।	26.35	18.05.11	18.05.11	17.05.12	30.04.13	कार्य पूरा किया गया।
5	बाऊंडरी वॉल और वाँच टावर	22.83	02.11.11	02.11.11	01.11.12	30.05.15	64 प्रतिशत कार्य पूरा करने के बाद, 22 दिसम्बर 2015 तक ठेका निरस्त कर दिया गया।
6	साईट लेवलिंग चरण-॥।	15.80	14.08.15	14.08.15	13.08.16		31 दिसम्बर 2017 तक 52 प्रतिशत कार्य पूरा किया गया था।
7	संयंत्र रोड नेटवर्क चरण -॥।	40.43	17.02.16	17.02.16	16.02.17		सड़क कार्य प्रगति पर था।

क्रम सं.	पैकेज का नाम	ठेके का मूल्य (₹ करोड़ में)	एलएसी तिथि	प्रभावी तिथि	निर्धारित पूर्णता तिथि	पूर्ण/तक बढ़ाया गया	कार्य की प्रगति और देरी के कारण
8	रेलवे एंबैकमेंट हेतु रिटेनिंग वॉल	31.45	29.08.16	30.09.16	29.09.17	31.03.18	दिसम्बर 2017 तक 29 प्रतिशत कार्य पूरा किया था।
रेलवे पैकेज							
1	रेलवे साईडिंग पैकेज-1	283.32	21.09.15	20.10.15	19.04.17	31.12.17	31 अक्टूबर 2017 तक प्रगति 51 प्रतिशत थी।
2	रेलवे साईडिंग पैकेज-II	78.92	01.03.16	30.03.16	29.03.17	31.03.18	31 अक्टूबर 2017 तक प्रगति 35 प्रतिशत थी।
3	रेलवे साईडिंग पैकेज-IV	84.15	19.04.16	18.05.16	17.05.17	31.12.18	29 अक्टूबर 2017 तक प्रगति 51 प्रतिशत थी।

संकेताक्षर की सूची

एपीसीसीएफ	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एएसएक्स	ऑस्ट्रेलियाई स्टॉक एक्सचेंज
बीएचईएल	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
बीआरपीएल	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड
सीसीईए	आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति
सीसीएफ	मुख्य वन संरक्षक
सीईसीबी	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड
सीईआरसी	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग
सीएफई	स्थापना के लिए सहमति
सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड
सीएमडी	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/अनुबंधित अधिकतम मांग
सीएमडीसी	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम
सीएमपीडीआई	केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान
सीपीएसई	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
सीएसपीडीसीएल	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
डीबीएम	डेड बन्ट मैग्नेसाइट
डीसीएफ	वन उप-संरक्षक
डीएफओ	विभागीय वन अधिकारी
डीजीपीएस	डिफरेंशियल रलोबल पोजिशनिंग सिस्टम
डीआईओपी/ डीआईओएम	डोनीमलाई लौह अयस्क परियोजना/ डोनीमलाई लौह अयस्क खदान
डीएमपी	हीरा खनन परियोजना
डीपीई	सार्वजनिक उद्यम विभाग
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीआरसीएलओ	डारैक्टली रिड्यूस्ड कैलिब्रेटेड लंप ओर
ईएसी	विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
ईसी	पर्यावरण मंजूरी
ईआईए	पर्यावरण प्रभाव आकलन

ईएमपी	पर्यावरण प्रबंधन योजना
ईओआई	रुचि की अभिव्यक्ति
ईपीसीएम	अभियांत्रिकी, खरीद, निर्माण और प्रबंधन
एफएसी	वन सलाहकार समिति
एफसी	वन मंजूरी
एफआईएमआई	भारतीय खनिज उद्योग संघ
एफआरए	वन अधिकार अधिनियम
जीईओआई	रुचि की वैशिवक अभिव्यक्ति
जीओके	कर्नाटक सरकार
एचसीसी	हार्ड कोकिंग कोल
एचईएमएम	हैवी अर्थ मूर्विंग मशीनरी
आईबीएम	भारतीय खान ब्यूरो
आईसीवीएल	इंटरनेशनल कोल वैचर्स लिमिटेड
आईडीसी	निर्माण के दौरान ब्याज
जेओआरसी	संयुक्त अयस्क रिजर्व समिति
जेपीसी	संयुक्त संयंत्र समिति
जेवी/जेवीसी	संयुक्त उद्यम/संयुक्त उद्यम कंपनी
केआईएडीबी	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड
केआईओपी/ केआईओएम	कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना/ कुमारस्वामी लौह अयस्क खदान
केके लाइन	किरन्दुल-कोठावालसा रेलवे लाइन
केआरसीएल	कृष्णपत्तनम रेलवे कंपनी लिमिटेड
केवीएसएल	कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड
एलएसी	अनुबंध सौपने संबंधी पत्र
एलटीए	दीर्घकालिक समझौते
एलटीई	सीमित निविदा पूछताछ
एमडीओ	खदान विकासक-सह-परिचालक
एमएमडीआरए	खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम
एमओईएफएंडसीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

एमओआर	रेल मंत्रालय
एमओएस	इस्पात मंत्रालय
एमओयू	समझौता जापन
एमआरएसएस	मुख्य प्रापक और स्टेप डाऊन सब स्टेशन
एमटीपीए	प्रति वर्ष मिलियन टन
एनसीएल	एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड
एनआईएनएल	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड
एनआईएसपी	नगरनार एकीकृत स्टील प्लांट
एनआईटी	निविदा आमंत्रित करने की सूचना
एनपीवी	निवल वर्तमान मूल्य
ओ एंड एम	प्रचालन और अनुरक्षण
पीसीबी	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पीईआरटी	परियोजना मूल्यांकन और समीक्षा तकनीक
पीएफसीसीएल	पावर फाइनेंस कंसल्टिंग कंपनी लिमिटेड
पीआईपी	परियोजना कार्यान्वयन योजना
पीएमसी	परियोजना प्रबंधन और निर्माण पर्यवेक्षण
पीक्यूसी	पूर्व अहंता मानदंड
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
पीडब्ल्यूसी	प्राइस वाटर हाउस कूपर्स
आरसीई	संशोधित लागत अनुमान
आरआईएनएल	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
आरएमएचएस	कच्चा माल हैंडलिंग सिस्टम
आरओएम	रन ऑफ माईन
आरटीसीएम	रियो टिंटो कोल मोजाम्बिक
सेल	भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड
एसबीडी	मानक बोली दस्तावेज़
एसएचएलसीसी	राज्य उच्च स्तरीय निकासी समिति
एसआईयू	स्पंज आयरन यूनिट

एसएमपी	नीतिगत प्रबंधन योजना
एसओपी	मानक संचालन प्रक्रिया
एसपी	स्क्रीनिंग प्लांट
एसपीवी	विशेष उद्देश्य वाहन
टीएआर	निविदा मूल्यांकन रिपोर्ट
टीईएफआर	तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट
टीएफई	टेक्नोफैब इंजीनियरिंग लिमिटेड
टीओआर	संदर्भ की शर्तें
टीपीए	टन प्रति वर्ष
टीएससी	निविदा जांच समिति
वीएडीए	विजयनगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in